राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अंक ४] द्वितीय विधान सभा के चतुर्थ सत्र का पंचम दिवस [संख्या ४

मंगलवार, २८ अक्टूबर, १६५८

विधान सभा की बैठक म० पू० ११.२ बजे विधान सभा भवन, जयपुर, में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : श्री पी० के० चौधरी।

गटेण्डा, (त० दौसा) के स्कूल भवन का निर्माण

१३३. **श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा)** : Will the Education Minister be pleased to state :—

(a) What the amount sanctioned for constructing a school building in village Gatenda, Tehsil Dausa?

(b) Has this amount been spent and whether the Government has received any complaint in this connection ?

उप-शिक्षामंत्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (a) A total sum of Rs.2500 was sanctioned, Rs, 1500 during 54-55 and Rs. 1000 during 56-57 for constructing a school building at Gatenda in tehsil Dausa.

(b) According to verifications made by the Tehsildar, the total expenditure was for a sum of Rs. 4500 till 27-2-58 which also includes the Government aid of Rs. 2500. A complaint was received from the Head Master, Hindi Primary School Gatenda Tehsil Dausa.

श्री पी० के० चौधरी : Whether the building has been completed or not ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : No.

श्री पी० के० चौधरी : How long you will take to complete it ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : It depends on the public contributions.

श्री पी० के० चौधरी : What was required as public contribution for this ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : Equal amount.

जागीरदारों की खुदकाश्त व प्रोपर्टी की इन्क्वायरी

१३४, **रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा)** ; क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

Page No.2

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

(क) क्या यह सही है कि राजस्व विभाग से माह मई व जून सन् १९५८ में कोई ऐसा आदेश निकाला गया था कि राजस्थान के सब जागीरदारों की खुदकाश्त व प्रोपर्टी की इन्क्वायरी की जावे ?

(ख) क्या यह सही है कि टौंक डिस्ट्रिक्ट में इस कार्य के लिये स्पेशल ऑफिसर ए० एस० ओ० को मुकर्रर किया गया था ?

(ग) क्या उक्त ऑफिसर ने जांच करके रिपोर्ट पेश कर दी ? अगर हां, तो क्या सरकार बताने को तैयार है ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (क) समस्त जागीरदारों के लिये कोई आदेश नहीं निकला ।

(ख) जी हां । जागीरदार उनियारा के खिलाफ वहां के काश्तकारों द्वारा शिकायत की जाने पर कि 'उनको बेदखल किया गया है' रावराजा उणियारा की खुदकाश्त की जमीन की जांच करने के आदेश दिये गये ।

(ग) जी हां ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : यह इन्क्वायरी किस एक्ट की किस धारा के तहत में और किस कॉम्पीटेन्ट कोर्ट के मातहत करवाई गई ?

श्री दामोदरलाल व्यास : एक सरकारी आर० ए० एस० अधिकारी के मातहत करवाई थी ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या यह सही है कि जब जागीरदारी की इन्क्वायरी के लिये जागीर कमिश्नर हैं, कलेक्टर हैं फिर अन्य व्यक्ति को अपाइन्ट करने की कार्यवाही करने की क्या जरूरत हुई ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह तो सरकार ने अपनी जानकारी के लिये कार्यवाही की थी कि वास्तव में किसानों की शिकायत सही है या नहीं । जितनी शिकायत थी, जाँच करने पर उससे और भी अधिक पाई गई ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या सरकार के पास ऐसा कानून नहीं था कि उसके तहत बेदखली की जांच करती, बेदखली का भी कानून बना हुआ है । फिर चार वर्षों के बाद यह कार्यवाही करने में आपका क्या दृष्टिकोण था ?

श्री दामोदरलाल व्यास : दृष्टिकोण सिर्फ वास्तविकता जानने का था । वह जान ली गई और उस पर जो आवश्यक थी, वह कार्यवाही की जा रही है ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या यह सही है कि उस जाँच करने वाले अधिकारी को यह आश्वासन दिया गया था कि इस तरह की रिपोर्ट देने पर उसे एस० डी० ओ० बना दिया जावेगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास : वह तो आर० ए० एस० है, उसका अधिकार ही है, बन भी सकता है । वह तो बनते ही रहते हैं ।

एक माननीय सदस्य : जांच का परिणाम क्या निकला ?

श्री दामोदरलाल व्यास : परिणाम यह निकला कि जितनी शिकायत थी उससे कहीं ज्यादा पाई गई ।

एक माननीय सदस्य : एक्शन क्या लिया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : एक्शन यह लिया कि सरकारी वकील को हिदायत कर दी गई कि रावराजा की प्रापर्टी के डिस्प्यूट में अपने एतराज पेश कर दें।

रावराजा श्री सरदारसिंह : एस०डी० ओ० का कोर्ट बना है, वहां कानून के मातहत कार्यवाही की जा सकती थी। क्या सरकार में और उसमें भेद है जो उसने अलग जांच करवाई ?

श्री दामोदरलाल व्यास : वहां तो इजेक्टमेन्ट की कार्यवाही के लिये जाते हैं। मैंने तो यह जानने के लिये जांच करवाई कि जो जमीन सरकार की होनी चाहिये थी उसे रावराजा ने अपनी खुदकाश्त में दर्ज कराने की कोशिश की। अब शिकायत सही पाने पर सरकार ने अपने वकील को हिदायत कर दी है कि वह जागीर कार्यालय में उचित कार्यवाही करे।

रावराजा श्री सरदारसिंह : इसमें राजस्व मन्त्री को क्या इन्टरेस्ट था ?

श्री दामोदरलाल व्यास : राजस्व मंत्री को हर काश्तकार की बहबूदी में इन्टरेस्ट है और हर सरकारी जमीन को सुरक्षित रखने में इन्टरेस्ट है।

एक माननीय सदस्य : यह कितनी जमीन है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : १७ हजार बीघा जमीन है खुदकाश्त की, जिसमें बहुत से पहाड़ हैं और तालाबों के पेटे भी हैं।

प्राइमरी मिडिल स्कूल, बनीपार्क

१३५. रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या बनी पार्क कोलोनी जयपुर में कोई प्राइमरी या मिडिल स्कूल है, अगर हां, तो कहां पर ?

(ख) अगर नहीं तो उक्त कालोनी के बच्चों को शिक्षा ग्रहण के लिये कितनी दूर जाना पड़ता है ?

उप-शिक्षामंत्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) (क) जी हां, निम्नलिखित स्कूल बनी पार्क में हैं :

(१) सिन्धी कोलोनी मिडिल स्कूल, जयपुर, (२) यूनियन मिडिल स्कूल, जयपुर, (३) बाल निकेतन स्कूल, (४) राजकीय प्राइमरी स्कूल, वाटरवर्क्स, (५) राजकीय प्राइमरी स्कूल, लेबर कोलोनी, (६) राजकीय प्राइमरी स्कूल, स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स, जयपुर, (७) राजकीय प्राइमरी स्कूल, नुमाइश कैम्प, (८) राजकीय प्राइमरी स्कूल, स्टेशन रोड, जयपुर, (९) राजकीय प्राइमरी स्कूल, पॉवर हाउस, जयपुर।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या वहां पर नई स्कूलें बनाने के लिये सरकार के पास प्रार्थना पत्र आये हैं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यह बिल्कुल अलग प्रश्न है और जो सूचना मांगी वह मैंने दे दी है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : अच्छा साहब।

श्री पी० के० चौधरी : यह बाल निकेतन क्या है, लड़कों के लिये है या लड़कियों के लिये भी है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : इसमें लड़के और लड़कियां दोनों पढ़ते हैं।

श्री पी० के० चौधरी : टीचर्स कितने हैं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यह जानकारी अभी मेरे पास नहीं है।

तहसीलदारों व नायब तहसीलदारों का फिक्सेशन

१३६. **श्री भीमसेन** (लूणकरनसर) : क्या राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) बीकानेर डिविजन के कितने नायब तहसीलदारों एवं तहसीलदारों का फिक्सेशन नहीं हुआ है, और क्यों ?

(ख) सरकार उक्त कर्मचारियों का फिक्सेशन कब तक करने का विचार रखती है ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) :

(क) ३९ नायब तहसीलदारों का फिक्सेशन नहीं हुआ है। कार्यवाही जारी है। तहसीलदारों का फिक्सेशन महालेखापाल द्वारा किया जाता है। उनसे सूचना मंगवाई गई है।

(ख) जहां तक नायब तहसीलदारों का सम्बन्ध है, उनका फिक्सेशन शीघ्र हो जावेगा। तहसीलदारों के फिक्सेशन के लिये महालेखापाल को लिखा गया है।

श्री भीमसेन : जल्दी कब हो जावेगा। साल, दो साल या तीन-चार सालों में ?

श्री दामोदरलाल व्यास : कमी पूरी होते ही हो जावेगा। रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं था। हिसाब-किताब में कुछ पुराना रिकॉर्ड बरामद किया जा रहा है। तो इस तरह की जोखामियां हैं उनको पूरा करते ही यह काम हो जावेगा।

श्री भीमसेन : यह रिकॉर्ड गुम होने की वजह से कितने साल से यह नहीं हो रहा है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : रिकॉर्ड गुम होने का तो सवाल नहीं, बीकानेर युनिट का फिक्सेशन करना है। वहां के रिकॉर्ड को देखकर।

जयपुर शहर की रिकॉग्नाइज्ड मिडिल स्कूलें

१३७. **डॉ० बहादुरसिंह** (डॉ० चंद्रकला की अनुपस्थिति में) : क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) जयपुर शहर में कितने रिकॉग्नाइज्ड सरकारी और गैर सरकारी मिडिल स्कूल्स हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(ख) इन स्कूलों का शिक्षा विभाग द्वारा कब कब निरीक्षण हुआ ?

(ग) क्या उक्त सब संस्थाओं के पास पर्याप्त मकान, शिक्षण सामग्री, खेल मैदान और योग्य स्टॉफ है ?

(घ) यदि नहीं, तो इन स्कूलों का काम समुचित तथा व्यवस्थित रूप से चलाने के लिये सरकार क्या विचार कर रही है ?

उप-शिक्षा-मंत्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) (१) सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(ख) गुरू नानकदेव विद्यालय का २०-९-५७ को, देव ऋषि विद्यालय का १८-१०-५७ को, उस्मानिया मिडिल स्कूल का २७-११-५६

Page No.5

(डॉ बहादुरसिंह)

को, रेजिडेन्सी मिडिल स्कूल का ८-११-५६ को, महाराजा मिडिल स्कूल का २२-११-५६ को, मॉडल स्कूल का २२-६-५६ को, दरबार मिडिल स्कूल का २८-६-५६ को, मोदीखाना मिडिल स्कूल का ११-१-५७ को, घाटगेट मिडिलस्कूल का १२-१-५७ को,रामगंज मिडिल स्कूल का ६-२-५७ को ।

(ग) राजकीय शिक्षण संस्थाओं में मकान व शिक्षण सामग्री पर्याप्त हैं । प्राइवेट संस्थाओं में जहां सम्भव हो सामग्री जुटाने का व पूरा स्टॉक रखने का प्रयत्न किया जाता है ।

(घ) इन स्कूलों का काम तो व्यवस्थित रूप से चल रहा है । केवल कुछ संस्थाओं में स्थानाभाव के कारण खेल के मैदान प्राप्त नहीं हो सके ।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

डॉ० बहादुरसिंह : यह जो ५६ के बाद निरीक्षण नहीं किया गया, इसका कारण क्या है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : ज्यादा स्कूलें होने के कारण निरीक्षण नहीं हो सका, पर फिर भी निरीक्षण होना चाहिये, यह मैं भी महसूस कर रहा हूँ । इसके लिये आगे से उचित हिदायतें दे दी जावेंगी ।

डॉ० बहादुरसिंह : एक डिप्टी इन्सपेक्टर को साल में कितनी स्कूलें कम से कम विज़िट कर लेनी चाहिये ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यह तो हल्के में कितनी संख्या है, इस पर निर्भर होता है इस पर भी साल में एक बार तो हरएक का निरीक्षण कर ही लेना चाहिये,ऐसा मानते हैं ।

श्री पी. के. चौधरी : There is a fixed quota for each Deputy Inspector.

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : that they must visit seven centres in a year. No

श्री पी० के० चौधरी : तो क्या कोटा है उनका ?

श्रीपूनमचन्द बिश्नोई : The exact number is not known.

श्री पी० के० चौधरी : Will you please check up, if the Dy. Inspector Kota . as visited his quota of schools?

समाज कल्याण विभाग द्वारा कोटा जिले की संस्थाओं को सहायता

१३८. **श्री दयाकृष्ण विजय** (छबड़ा) : क्या समाज कल्याण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) कोटा जिला में समाज कल्याण विभाग की ओर से किन किन संस्थाओं को सहायता दी जा रही है ?

(ख) कोटा जिला में समाज कल्याण की ओर से कितनी महिला कार्यकर्त्रियां सवेतन नियुक्त की जा चुकी हैं तथा उन्हें क्या कार्य दिया गया है ?

उप-समाज कल्याण मंत्री (श्री भीखाभाई): (क) कोटा जिले में इस कार्यालय द्वारा श्री सरदारसिंह पटेल शेहरिया छात्रावास शाहबाद के संचालनार्थ भील सेवा मंडल, जयपुर को ही एक मात्र सहायता प्रति वर्ष प्रदान की जाती है ।

(ख) केवल संस्कार केन्द्र, कोटा में आंशकालिक शिल्पकला शिक्षिका कार्य करती

Page No.6

(श्री दयाकृष्ण विजय)

है। इसका वेतन २०) रु० माहवार है। वह अशिक्षित अनुसूचित जाति की प्रौढ़ाओं व कन्याओं को सिलाई व बुनाई कार्य प्रतिदिन २ घंटे सिखलाती है।

एक सहायक अशिक्षिका जिला आश्रम गृह में भी है। उसका कार्य आश्रम गृह में आई हुई लड़कियों का प्रबन्ध करना है।

श्री दयाकृष्ण विजय : महिला कल्याण परिषद् नामक संस्था चल रही है, क्या वह समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत नहीं है ?

श्री भीखाभाई : नहीं है।

महाराणा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, धौलपुर

१३६. **डॉ० बहादुरसिंह** (धौलपुर): क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सच है कि सन् ५७ और ५८ में महाराणा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, धौलपुर को फर्नीचर श्री हरीलाल जी, शिक्षा निरीक्षक के अधिकार से सप्लाई किया गया ? यदि हां, तो क्या उक्त फर्नीचर अभी तक सुरक्षित है ? यदि नहीं, तो क्यों, तथा उसमें से कितना नष्ट हो गया ?

(२) क्या यह भी सच है कि उक्त फर्नीचर के पेमेन्ट के समय स्थानीय हैडमास्टर ने एतराज पेश किया था ? यदि हाँ, तो क्यों ?

उप-शिक्षा मन्त्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (१) यह सत्य नहीं है। फर्नीचर सुरक्षित है, केवल कुछ आलमारियों के घुन लग गई है। जिसके लिए फर्म को लिखा गया है। फर्म ने उन्हें ठीक करने व बदलने का आश्वासन प्रधानाध्यापक को दिया है।

(२) यह सच नहीं है।

डॉ० बहादुरसिंह : यह बिल्कुल सत्य है कि जो कुर्सियाँ सप्लाई की गई हैं, वे पचास फीसदी खराब हो चुकी हैं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जी नहीं।

डॉ० बहादुरसिंह : यह मैं बिल्कुल प्रत्यक्ष देख चुका हूँ। क्या राज्य सरकार इस पर दुबारा जांच करना चाहेगी ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : अगर आप यह इनफॉर्मेशन देते हैं तो हम इसकी जांच करवायेंगे।

रावराजा सरदारसिंह : यह घुन लगने का क्या कारण है, क्या इस्तेमाल में नहीं आती हैं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : वह लकड़ी शायद घुन लगने वाली ही होगी।

एस० डी० ओ० कोटा के कार्यालय का सुल्तानपुर में स्थानान्तरण

१४०. **श्री दयाकृष्ण विजय** : (छबड़ा) क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) एस० डी० ओ० कोटा के अधीन कौन कौन सी तहसीलें हैं ?

(ख) क्या कोटा नगर इन तहसीलों के मध्य में स्थित है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार यह उचित समझती है कि ऐसे महत्वपूर्ण न्यायालयों को किसी मध्य के उचित स्थान पर स्थापित किया जावे ?

(श्री दयाकृष्ण विजय)

(ग) क्या यह सही है कि सुल्तानपुर की जनता की ओर से यह मांग की गई है कि सुल्तानपुर मध्य में स्थित बड़ा कस्बा है तथा यहां भवन भी हैं, अत: एस० डी० ओ० कोर्ट यहां स्थानान्तरित कर दिया जाये ? यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (क) लाडपुरा, दीगोद, बड़ोद, इटावा, पीपलदा तथा सब तहसील इन्द्रगढ़ ।

(ख) जी नहीं। सरकार जनता की सुविधाओं को अवश्य ध्यान में रखती है । मगर स्थान का प्रशासनिक दृष्टि से उपयुक्त होना भी आवश्यक है ।

(ग) जी नहीं ।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या सरकार यह उचित समझती है कि न्याय को सस्ता और सुलभता से देने के लिए न्यायालय ऐसी जगह पर रखे जायें कि जिस स्थान के अन्तर्गत वह तहसील हो और बड़ा कस्बा हो ?

श्री दामोदरलाल व्यास : सुविधा तो देखी जाती है, मगर मैंने कहा कि प्रशासनिक दृष्टि से भी यह चीज देखी जाती है । सुविधा मकानों की देखी जाती है, जहां सरकारी कर्मचारियों के लिए जगह मिल सकती हो, सड़कों की सुविधा हो और बहुत सी बातों का ध्यान रखा जाता है । केवल डिस्टेन्स ही एक फैक्टर नहीं है और भी दूसरे बहुत सारे फैक्टर्स हैं ?

श्री दयाकृष्ण विजय : सुल्तानपुर जिसका अभी मैंने जिक्र किया वहां के लोग मकान भी देने को तैयार हैं, वहां पर मोटरें भी आती जाती हैं, सड़कें भी हैं, ऐसा सेन्ट्रल प्लेस होते हुए भी आप वहां पर न्यायालय नहीं रखते हैं और कोटा में रखते हैं, तो इससे लोगों को बहुत कठिनाइयां होती हैं ।

श्री दामोदरलाल व्यास : जनता की सुविधा और एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियेन्स दोनों देखी जाती हैं ।

श्री मदनसिंह : मैं समझता हूँ, माननीय सदस्य ने जयपुर बैंच का नमूना देखा है, इसलिए न्यायालयों का प्रश्न तो पहले ही हल हो चुका है ।

श्री अध्यक्ष : श्री दयाकृष्ण विजय ।

डिग्री कालेज के लेक्चरार की नियुक्ति

१४१. श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

क्या किसी डिग्री कॉलेज में ऐसे लेक्चरार हैं जिन्हें पी० एस० सी० ने दो बार रिजेक्ट कर दिया हो, ओवर एज हो और सरकार उसको ६-६ महीने की अस्थायी नियुक्ति दे दे कर लेक्चरार बनाये हुए हैं ? यदि हां, तो कहां ?

उप-शिक्षा मंत्री: (श्री पूनमचन्द बिश्नोई): जी नहीं ।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या भीलवाड़ा में इस प्रकार के लेक्चरार हैं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जी नहीं ।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या श्री हिंगोरानी इस तरह के लेक्चरार हैं जो भीलवाड़ा में हैं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जी नहीं ।

श्री अध्यक्ष : श्री दयाकृष्ण विजय ।

बीमा विभाग

१४२. श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : क्या वित्त मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) बीमा विभाग में ऐसे कितने व्यक्ति हैं, जिन्होंने अपने बीमा के घोषणापत्र तो भर दिये हैं, किन्तु उन्हें पॉलिसी प्राप्त नहीं हुई है ?

(२) उक्त विभाग में ऐसे कितने केसेज़ हैं, जिनमें कि मृतक व्यक्तियों के उत्तराधिकारियों को अभी तक रुपये प्राप्त नहीं हुए हैं ?

(३) बीमा विभाग में अब तक ऐसे ऐसे कितने डैथ क्लेम केस हुए हैं जिनमें उत्तराधिकारियों को ३ माह पश्चात् भुगतान हुआ है ? उपरोक्त सूचना की तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें तथा विलम्ब का कारण बतावें ?

वित्त मंत्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : (१) कोई नहीं।

(२) बीमा विभाग में १६० ऐसे केसेज़ है जिनमें कि मृतक व्यक्तियों के उत्तराधिकारियों को अभी तक रुपये प्राप्त नहीं हुए हैं।

(३) ३५९ डैथ क्लेम केसेज़ में उनके उत्तराधिकारियों को तीन माह पश्चात् भुगतान हुआ, इनकी तालिका मय विलम्ब के कारण के संलग्न है।

(सूची अत्यधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री दयाकृष्ण विजय : इन मृतक व्यक्तियों को अब तक इनके क्लेम्स नहीं प्राप्त होने के क्या कारण हैं ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : कुछ की मृत्यु की सूचनाएं देर से प्राप्त हुईं और ऐसे केसेज़ ३० हैं। १४२ केसेज़ ऐसे हैं कि जिनमें डैथ क्लेम फॉर्म इस विभाग में देर से प्राप्त हुए। ५ केसेज़ ऐसे हैं जिनमें उत्तराधिकारी प्रमाणपत्र देर से प्राप्त हुए। १४ केसेज़ ऐसे जिनमें आवश्यक सूचनाएं एवं विवरण देर से प्राप्त हुए। १६८ ऐसे हैं, जिनमें क्लेम डिस्चार्ज रिसीट एवं बिल देर से प्राप्त हुए।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या आप अंतिम तारीख बता सकते हैं प्राप्त होने की ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : इस समय उपलब्ध नहीं हैं मेरे पास।

श्री दयाकृष्ण विजय : यह तो बहुत ही सम्बन्धित प्रश्न है। आज तक उनके क्लेम्स नहीं मिले हैं। यह ऐसा महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसकी जानकारी प्राप्त होनी चाहिए ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : डेट्स की लिस्ट तो मैं आपको दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहब्बतसिंह।

गवर्नमेन्ट कॉलेज सिरोही में साइंस व कॉमर्स कक्षाएं

१४३. श्री मोहब्बतसिंह (सिरोही) : Will the Education Minister be pleased to state :

1. Is the Government contemplating to introduce Science and Commerce classes in the Govt. Degree College at Sirohi in degree classes from the next educational session 1959-60 ?

2. If the answer is in the negative, does the Govt. contemplate to main-

(श्री मोहब्बतसिंह)

tain it as a Degree College in Arts only ?

3. How many such Degree Colleges are there in the State in which only Arts subjects are taught ?

4. Is it a fact that subject of Agriculture was introduced in Inter classes in this institution last year ? If so, why Agriculture classes have been stopped from this Session

उप-शिक्षा मन्त्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (1) The matter is under examination.

(2) No, but it cannot be said when Commerce and Science will be started.

(3) The list is enclosed.

(4) Yes. The Agriculture classes have been stopped, because it has been decided to teach Agriculture only in the Agriculture Colleges.

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री मोहब्बतसिंह : आपने जो यह निर्णय लिया कि एग्रीकल्चर विषय सिर्फ एग्रीकल्चर कॉलेज ही में पढ़ाया जायेगा, यह कब लिया ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : इस साल ।

श्री मोहब्बतसिंह : एग्रीकल्चर क्लासेज़ जहां दूसरी जगह चल रही हैं और जो एग्रीकल्चर कॉलेज नहीं हैं, क्या वहां भी बन्द किया गया है या केवल सिरोही में ही बन्द किया गया है ?

श्री पूनमचंद बिश्नोई : सरकारी कॉलेज में भी बन्द कर दिया गया । प्राईवेट इन्स्टीट्यूशन्स दो एक ऐसे हैं, जहां अब भी चलती है।

श्री मोहब्बतसिंह : क्या सरकार के सामने जो नीति है उससे अगले वर्ष जब एग्रीकल्चर कॉलेज खोले जायेंगे तो सिरोही में भी एग्रीकल्चर कॉलेज़ खोलने का विचार है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : एग्रीकल्चर कॉलेज़ के बारे में हम अकेले निर्णय नहीं ले सकते हैं, इसमें सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट से भी स्वीकृति लेनी पड़ती है । दूसरे, जहां जहां की मांगें हैं उनको भी ध्यान में रखा जाता है । इन सब को देखकर बाद में ही निर्णय लिया जा सकता है ।

श्री अध्यक्ष : श्री दयाकृष्ण विजय ।

कोटा जिले में काश्तकारों को कृषि ऋण

१४४. श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) ; क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) कोटा जिले में ऐसे कितने काश्तकार हैं जिन्होंने राज्य का कृषि ऋण अवधि समाप्त हो जाने के बावजूद भी आज तक नहीं दिया है ?

(२) ऐसे काश्तकारों की कितनी संख्या है, तथा उनके क्या नाम हैं ? जिन्हें ऋण शेष होते हुए भी पुनः ऋण दिया गया है ?

कृपया तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) :
(१) ६५७ काश्तकार ।

(२) ऐसे काश्तकारों की संख्या १०१

Page No.10

(श्री दामोदरलाल व्यास)

है । नामों की तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिए)

श्री दयाकृष्ण विजय : वह तालिका प्राप्त नहीं हुई है ।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं पढ़ दूं आपको ।

श्री दयाकृष्ण विजय : मुझको मिलनी चाहिए थी ।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने तो भेज दी, अगर नहीं मिली तो मै पढ़ दूंगा ।

श्री अध्यक्ष : नोटिस ऑफिस में पहुँच गई होगी ।

श्री दयाकृष्ण विजय : मैं अभी खुद होकर आया हूँ, वहां से मुझे कोई सूची प्राप्त नहीं हुई ।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं पढ़ने को तैयार हूँ ।

श्री अध्यक्ष : क्या बहुत लम्बी लिस्ट है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : १०? नाम हैं ।

श्री अध्यक्ष : आप लिस्ट दे दीजिए । कुछ समय बाद सप्लीमेन्टरी के लिए समय दे देंगे ।

(शेष के लिए कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या १४५

श्री अध्यक्ष : श्री बालमुकुन्द ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १४६

श्री मुरलीधर व्यास ।

(अनुपस्थित)

श्री श्रीभानसिंह ।

जिला भरतपुर में विक्रय कर की वसूली

१४७. श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : Will the Minister for Separate Revenue please state:-

(1) The total amount collected by Government as sales tax revenue from the sale of bricks manufactured by brick kilns in Bharatpur Distt. ? Also state separately the sales tax paid by each brick kiln owner and manufacturer indicating their names and amount paid ?

(2) From how many in it still due?

पृथक--राजस्व मंत्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : (१) तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(२) दो.

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिए)

श्री श्रीभानसिंह : दो कौन कौन से हैं जिन्होंने सेल्स टेक्स पे नहीं किया, फिर पे नहीं किया तो क्यों नहीं किया ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : श्री मटौली राम, सुभाषचन्द्र भरतपुर और राजेन्द्र एण्ड कम्पनी, भरतपुर । इनको नोटिस दिया गया है व इनके खिलाफ कार्यवाही जारी है । जवाब तलब किया गया है, अगर सन्तोषजनक जवाब नहीं मिला तो कार्यवाही की जायेगी ।

श्री श्रीभानसिंह : कार्यवाही कब से जारी है, आपने नोटिस कब जारी किया और किस समय का यह सेल्स टैक्स बकाया है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : १६४६--५० की फर्स्ट क्वार्टर का पे नहीं किया है, कार्यवाही कब से शुरू की, वह तारीख तो इस समय मेरे पास नहीं है । अगर आप इसके बारे में बहुत ही कीन (keen) हों तो अलग से भेज दूंगा ।

श्री श्रीभानसिंह : आपके सेल्स टैक्स ऑफिसर ने एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट से कभी टैली किया कि सिर्फ १२ किल्न्स हैं, आपके मुताबिक ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : १८ हैं ।

श्री श्रीभानसिंह : आपने १० तो ऐसी रखी हैं जिन्होंने पे कर दिया है और दो ऐसी हैं जिन्होंने पे नहीं किया तो इस तरह से १२ ही किल्न्स हुई ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : कुछ ऐसी हैं जिन्होंने अभी तक रजिस्टर नहीं भरे हैं ।

श्री श्रीभानसिंह : जिन दो किल्न्स ने पे नहीं किया है तो क्या एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट को लिखा है कि कोल का कोटा इन दो किल्न्स को अलॉट नहीं किया जाय ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय ; कार्यवाही की जा रही है, यह श्योर है ।

श्री श्रीभानसिंह : क्या कार्यवाही में यह भी है कि कोर्ट में केस इन्स्टीट्यूट किया जा रहा है या फिर उनको पेमेन्ट के लिए रिमाइन्डर्स भेजे जा रहे हैं कि आप सेल्स टैक्स पे करिये ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : कार्यवाही की जा रही है ।

श्री श्रीभानसिंह : मैं यह पूछना चाहता हूँ कि जब कि पे करने का कायदा है, तो उन्होंने क्यों नहीं किया ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : उन्होंने पे नहीं किया, उसकी ही तो कार्यवाही चल रही है ।

श्री श्रीभानसिंह : They have realised from the purchaser. और उन्होंने अपनी रिसीट में शो किया है और फिर गवर्नमेन्ट को सेल्स टैक्स पे नहीं किया तो यह हो सकता है कि सेल्स टैक्स इन्सपेक्टर ने डिमाण्ड नहीं की और फिर यह हो सकता है कि अभी तक उनके पास नोटिस नहीं गया हो ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : नोटिस गया है उनके पास ।

श्री श्रीभानसिंह : वह तो अभी गया है ।

प्रश्न संख्या १४८

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास ।

(अनुपस्थित)

श्री मूलचन्द डागा ।

गोचर भूमि--पाली तहसील

१४६. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या राजस्व मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे ।

(१) पाली तहसील में किन किन गांवों में कितनी कितनी जमीन गोचर के लिए सेटिलमेन्ट विभाग द्वारा नियुक्त की जा चुकी है ? उसकी सूची सदन की मेज पर रखें ?

(२) जिन गांवों में गोचर भूमि मुकर्रर

Page No.12

(श्री मूलचन्द डागा)

की जा चुकी है, उन गांवों की पशु संख्या कितनी है ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) :

(१) ६७ ग्राम, ६७१६८ बीघा जमीन।

सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिए)

(२) ३२४१४२ पशु। इनमें भेड़-बकरी व २२०२८८ व गाय भैंस २४६४२ हैं।

श्री मूलचन्द डागा : सूची तो मिली नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नोटिस ऑफिस में है।

छः से ग्यारह वर्ष तक की आयु के, स्कूलों में जाने वाले छात्र

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : Will the Education Minister be pleased to state:-

(a) What is the percentage of school going children in the age group of 6-11 yrs. in Rajasthan ?

(b) What is the ratio of the students and teachers in Primary Schools in Rajasthan ?

(c) What is the percentage of trained teachers in Rajasthan ?

(d) What is the expenditure incurred by the Government over each school going child in the age Group of 6-11 per annum for his education ?

उप-शिक्षा मन्त्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (a) 24.1

(b) 1:27.

(c) 40%

(d) Rs. 33/- annually.

श्री पी०के० चौधरी : What is the total number of boys in the age from 6 to 11 ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : At present this is not with me. You have asked the percentage and that I have given.

श्री श्रीभानसिंह : Is Rs. 33/-- annually the total social expenditure or only on Education ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : On Education.

श्री पी०के० चौधरी : Is this correct that this expenditure is the highest in comparison with other States ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : I cannot say.

श्री श्रीभानसिंह : Will the Hon'ble Minister say that Rs. 33/- is per capita expenditure incurred or what ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : Yes, per capita.

श्री पी०के० चौधरी : Is the percentage of the schoolgoing age children lowest in the State ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : Yes, it may be.

श्री श्रीभानसिंह : Whether the figures given in the Statistical report are wrong which shows that Rs. 3.75 is the per capita expenditure on education ?

Page No.13

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : The per capita expenditure given in the report includes those students also who are not going to school), but we have given per capita expenditure only for those who are going to school.

श्री पी०के० चौधरी : What is yonr target in the second Five Year Plan for the children from 6 to 11 years ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : It must reach 60%.

श्री पी. के. चौधरी : How do you propose to cover this within these two years.

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : By opening more schools and by encouraging people to send their children to schools. We have recently started enrolment fortnight and we have achieved good results.

श्री पी०के० चौधरी : What is the ratio of students and teachers in other States ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : It is different with different states, but It is between 45 and 50.

तहसील उनियारा से अफसर व पटवारियों का तबादला

१५१. रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि जुलाई, सन् १६५८ से अब तक तहसील उनियारा से कुछ ऑफिसर्स व पटवारियों का तबादला हुआ है ? अगर हाँ, तो किस किस का और क्यों ?

(२) उपरोक्त तबादलों में से उसी डिस्ट्रिक्ट में कितने और दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में कितने किये ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (१) जी हाँ, प्रशासनिक कारणों से निम्नलिखित तीन व्यक्तियों का तबादला किया गया :

(१) श्री कस्तूरचन्द कानूनगो

(२) श्री बद्रीप्रसाद पटवारी और

(३) श्री बृजमोहन पटवारी ।

(२) उपरोक्त तीनों तबादले उसी जिले में किये गये हैं ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : पटवारी वहीं हैं या अपनी ड्यूटी पर चले गये हैं ।

श्री दामोदरलाल व्यास : तबादलों के लिये पूछा तो उनके ऑर्डर्स हो गये हैं । चले गये या नहीं, यह आपने नहीं पूछा है ।

बिड़ला वैगन फैक्ट्री भरतपुर को दी जाने वाली बिजली

१५२. श्री श्रीमानसिंह (बयाना) : Will the Minister for Commerce and Industries be pleased to state :

1. In which year will the Birla Wagon Factory at Bharatpur be supplied with electricity ?

2. Was there any agreement between the Government and the factory as to the specific date on which the Government would be able to supply electricity to it.

Page No.14

(श्री श्रीभानसिंह)

3. Did the Government through a written letter assure the management and specify the year in which the electric power was to be supplied to the factory ?

4 . If so, what are the reasons for the delay ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) (वाणिज्य व उद्योग मंत्री की अनुपस्थिति में:)

1. Power is now available with the Birla Wagon Factory in Bharatpur.

2. & 3. No, Sir.

4. Question does not arise.

श्री श्रीभानसिंह : On which date was the power made available at the Birla Wagon Factory ?

श्री दामोदरलाल व्यास : The exact date is not available at present with me, but it has been made available.

श्री श्रीभानसिंह : In which year the power was made a available to the Birla Wagon Factory ?

श्री दामोदरलाल व्यास : This year, 1958 ?

श्री श्रीभानसिंह : Is the Hon'ble Minister aware whether A. C. or D. C. current was supplied and up to what killowatts was supplied ?

श्री दामोदरलाल व्यास : I can't say this.

श्री श्रीभानसिंह : I can say it definitely that the electric current has not been supplied to them upto this day.

श्री दामोदरलाल व्यास : The Birla Wagon Factory is not working due to floods, otherwise electricity is available for Birla Factory.

श्री श्रीभानसिंह : Mr. Speaker, Sir, I still challenge that uptil this day the electricity has not been supplied to the Birla Wagon Factory, whether it is within use or no use.

श्री दामोदरलाल व्यास : I have said, Sir, that the power is available for the Birla Wagon Factory, and they can have it from the power House, but the factory is not working on account of floods.

श्री पी० के० चौधरी : Is the Hon'ble Minister aware of the difference "is available" and actually supplied.

श्री दामोदरलाल व्यास : When I say that it is available for supply, then it is available provided they are prepared to take.

श्री पी० के० चौधरी : It has not yet been supplied, you admit it.

श्री अध्यक्ष : This is all irrelevant. He has said that the power is available; if they don't take it this is not Government fault.

श्री श्रीभानसिंह : On what date the Government wrote to the Manager that the power is available ?

Page No.15

श्री दामोदरलाल व्यास : The exact date is not available with me at present. All that I can say is that the power is available. We are ready to supply them and they can take it.

श्री श्रीभानसिंह : In which year the Birla Wagon Factory has been supplied with electricity ?

श्री दामोदरलाल व्यास : I have already said that this year the power is made available to the Wagon Factory.

श्री अध्यक्ष : To supply the power was the duty of the Government and it has been supplied. It is for them to utilise that or not.

श्री पी० के० चौधरी : Whether they have been intimated the fact that the power is available ?

श्री दामोदरलाल व्यास : We have intimated them. As a matter of fact we have put in a new Engine for this purpose.

श्री पी० के० चौधरी : When did you intimate ?

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : वर्ष आरम्भ होने से पहले सप्लाई की जा चुकी थी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने पहले कह दिया है कि एवेलेबल है, इसकी सूचना दे दी गई और एक नया एन्जिन लगाया गया है only for that work.

श्री श्रीभानसिंह : माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि सूचना दे दी गई। मैं यह पूछता हूँ कि सूचना कब दे दी गई है ?

श्री अध्यक्ष : That is not available with him.

श्री श्रीभानसिंह : Then in which month or year ?

श्री दामोदरलाल व्यास : Year, I have already said 1958.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : One question more, Sir. बिरला जी ने जिन एजेन्टों को इस काम के लिए एन्गेज किया था वे आपसे मिले कि नहीं ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : On a point of order, Sir......

श्री अध्यक्ष : Next question.

कोटपूतली तहसील में जमीनों का अलॉटमेंट

१५३. श्री रामकरणसिंह (कोटपूतली) : क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) तहसील कोटपूतली में १९५१ से आज तक किन-किन को कितनी जमीन अलॉट हुई है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(२) क्या यह सही है कि कुछ जमीन अलॉटमेंट बन्द होते हुए भी कुछ लोगों को दी गई है ?

(३) यदि हां, तो क्यों ?

(४) क्या यह भी सत्य है कि अलॉटमेंट कमेटी की सिफारिश के बिना जमीन नहीं दी जाती है ?

Page No.16

(श्री रामकरणसिंह)

(५) यदि हां, तो अधिकारियों ने कुछ प्रार्थना पत्रों पर सिफारिश करके कलेक्टर के पास क्यों भेजा और जमीन क्यों दी गई ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (१) सन् १६५५ से माह जुलाई सन् १६५८ तक २२७ व्यक्तियों को भूमि अलॉट हुई। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(२) जी हां ।

(३) अस्थाई काश्त के लिए भूमि दी गई जिसकी जांच अलग से की जा रही है ।

(४) जी हां ।

(५) केवल एक व्यक्ति को जमीन दी गई है जिसकी मंजूरी राज्य सरकार से हुई है ।

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिये)

श्री श्रीभानसिंह : माननीय अध्यक्ष, अभी माननीय सदस्य ने जो फरमाया था उनको एक माननीय सदस्य ने पोइन्ट ऑफ ऑर्डर करके बिठा दिया । मैं यह चाहूंगा कि जो कुछ प्रश्न पूछा गया उसमें माननीय सदस्य अपना एक्सप्लेनेशन दें कि इस तरह से सदस्यों के ऊपर लांछन लगाते हैं ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैंने प्रश्न पूछा है...

श्री श्रीभानसिंह : I am addressing the Chair...

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : As the Hon'ble Speaker thinks I have asked the question I must get the reply.

श्री श्रीभानसिंह : I think the Hon'b'e Member has not learnt anything from Parliament.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : He is nobody to give me certificate.

(हंसी)

(घंटी)

श्री श्रीभानसिंह : Mr. Speaker, Sir, I would submit that the Hon'ble Member has used a sentence, "कि बिरला जी ने जिन एजेन्टों को नियुक्त किया था आपसे मिलने के लिए, वे एजेन्ट मिले या नहीं ।" इसलिये इसका मैं माननीय अध्यक्ष से स्पष्टीकरण चाहता हूं कि जो क्वेश्चन में इस तरह से पूछा गया है, वह मेरे ऊपर लांछन है ।

(श्री ज्वालाप्रसाद के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष : Order ! order please !

श्री श्रीभानसिंह : I never meant that...

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : I have not...

श्री श्रीभानसिंह : You are one of them...

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : He is directed...

श्री अध्यक्ष : That question was disallowed and their should be no discussion on the point of order.

श्री श्रीभानसिंह : I may snbmit that the Hon'ble member has used this.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : I may be allowed on a point of order, Sir.

श्री श्रीभानसिंह : First I have risen and I must explain.

श्री अध्यक्ष : There is no point of order.

जो प्रश्न पूछा गया था उसे अलाऊ नहीं किया गया। इसलिये आगे का प्रश्न लिया जाय।

श्री श्रीभानसिंह : मैं अर्ज करता हूं कि टर्म यूज़ की है कि बिड़लाजी के एजेन्ट आपसे मिले या नहीं, मैं इसको अपने ऊपर लांछन लेता हूं।

श्री अध्यक्ष : I think, you should not take it a reflection upon you.

श्री श्रीभानसिंह : It was definitely a reflection on me.

श्री पी० के० चौधरी : How much money you have so withdrawn on the 23rd October ?

श्री श्रीभानसिंह : He must be asked to explain.

श्री अध्यक्ष : His question was disallowed and we have passed on to another question.

श्री श्रीभानसिंह : I will again submit that the Hon'ble member must be asked to explain.

श्री अध्यक्ष : There is nothing to explain.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : I may be allowed...

श्री अध्यक्ष : Order ! order !! You are creating more confusion.

श्री श्रीभानसिंह : (अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : क्लेरिफिकेशन का प्रश्न नहीं पैदा होता है। इस तरह की छुटपुट बातें नहीं होनी चाहिये। पहले का प्रश्न खत्म हो चुका है और दूसरा प्रश्न आ चुका है, उस पर ही रहें, पुरानी बात नहीं लावें।

श्री श्रीभानसिंह : माननीय सदस्य के रिमार्क से जो कंट्रोवर्सी शुरू हुई है उसका अन्त कैसे हो सकता है, जब तक कि वे एक्सप्लेन नहीं कर सकें ?

श्री अध्यक्ष : There is no controversy and this debate is uncalled for.

श्री श्रीभानसिंह : I am not debating Sir. I am only making a humble submission that certain remarks which the Hon'ble member made in the House and which amounts to asper-tions or reflections on a member. This should not be and with an idea of check it may not be done.

श्री अध्यक्ष : That is the trouble. His idea of check is different.

श्री श्रीभानसिंह : Since my idea of check is different, I have made a submission that an explanation is very necessary from him.

श्री अध्यक्ष : I think no explanation is necessary.

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, प्रश्नोत्तर काल सदन की, कार्यवाही का एक महत्वपूर्ण भाग होता है जिसमें जनहित के महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाते हैं। ऐसे अवसर पर गम्भीरता बरतते हुए सवाल पूछे जाते हैं। ऐसे अवसर पर सदन में एक दूसरे के प्रति लांछन लगाने वाली कार्यवाही को

Page No.18

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

रोकने के लिये जरूर प्रयत्न करना चाहिये ।

श्री पी० के० चौधरी : I may submit that the controversial question of the member should be expunged from the proceedings.

श्री अध्यक्ष : The question really was not allowed...

श्री पी० के० चौधरी : So it must be expunged.

श्री अध्यक्ष : There is no question to expunge. Whatever he asked was disallowed. We have proceeded to other question.

श्री रामकरणसिंह : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या १५३ के भाग (३) का जवाब देते समय मंत्री महोदय ने बताया था कि जो एलोटमेंट हुआ है वह नियम के विरुद्ध है, भूमि नियम के विरुद्ध दी गई है और उसकी जांच हो रही है । मेरा निवेदन यह है कि जब भूमि नियम के विरुद्ध दी गई है तो फिर जांच क्या बाकी रह गई है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जिस अधिकारी ने ऐसा ऑर्डर दिया है उसके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है ।

श्री श्रीभानसिंह : क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : डिपार्टमेंटल कार्यवाही की जा रही है ।

श्री श्रीभानसिंह : अब तक उसमें क्या प्रगति हुई ? उसको नोटिस दिया गया या सस्पेन्ड किया गया था, क्या कार्यवाही की गई ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है, अलग से प्रश्न पूछिये ।

श्री श्रीभानसिंह : आपने ही तो कहा है कि कार्यवाही हो रही है और उसी की जानकारी देने के बारे में कहने पर कह रहे हैं कि अलग प्रश्न पूछिये । तो फिर आपके पास क्या जानकारी है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : डिपार्टमेंटल कार्यवाही की जा रही है, किस स्टेज पर कार्यवाही पहुंची यह अभी नहीं कहा जा सकता ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने किस स्टेज पर पहुंचने का उत्तर दिया ? उस आदमी को सस्पेन्ड किया है, नोटिस दिया है या क्या किया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जो सूचना मेरे पास है वह मैंने आपको बतला दी ।

श्री मदनसिंह दांता : क्या पटवारी की गलती मालूम हो गई ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इसकी जांच हो रही है ।

श्री पी० के० चौधरी : What about the allotment ? Whether any allotment has been cancelled or it still continues.

श्री दामोदरलाल व्यास : The allotment can be cancelled only according to law once the allotment is taken.

श्री पी० के० चौधरी : What step has the Government taken ?

श्री दामोदरलाल व्यास : According to law legal steps only.

श्री अध्यक्ष : श्री दयाकृष्ण विजय, नेक्स्ट क्वेश्चन ।

श्री रामकरणसिंह : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के भाग (५) में बताया गया है कि केवल एक व्यक्ति को जमीन दी गई है, वह व्यक्ति कौन है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : उस व्यक्ति का नाम श्री मक्खनलाल है, जिसके दोनों हाथ कटे हुए हैं ।

श्री रामकरणसिंह : क्या दूसरे व्यक्तियों को नहीं दी जायगी ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन ।

भीमगंज मंडी, कोटा में हाई स्कूल भवन के निर्माण की मांग

१५४. श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि भीमगंज मंडी, कोटा स्टेशन की जनता हाई स्कूल भवन के निर्माण की मांग गत ५ वर्षों से लगातार करती आ रही है ?

(२) क्या यह भी सही है कि इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु गत वर्ष सरकार ने कुछ रकम भी स्वीकृत की थी ? यदि हां, तो अब तक यह भवन निर्माण नहीं होने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) :
(१) जी हां ।

(२) भवन निर्माण के हेतु २५,००० रु० की धन राशि स्वीकृत की गई थी, जिसमें से १५,००० रु० खर्च हो चुके हैं और बाकी १०,००० रु० बजट में खर्च के लिए रख दिये गये हैं ।

लैंड रेकॉर्ड्स विभाग में भूतपूर्व ठिकाना खेतड़ी के कर्मचारी

१५५. श्री रामकरणसिंह (कोटपुतली) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) लैंड रेकार्ड्स में ठिकाना खेतड़ी के कुल कितने कर्मचारी राजस्थान सरकार ने सर्विस में लिए ?

(ख) क्या उन सबको राजस्थान की वेतन श्रृंखला में फिक्स कर दिया गया है ?

(ग) यदि हां, तो तहसील कोटपुतली में काम करने वालों का फिक्सेशन किस किस का, कब कब हुआ और किस किस का अब तक नहीं हुआ ? सूची सदन की मेज पर रखें ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) :
(क) ५१ कर्मचारी ।

(ख) उन सबको राजस्थान की वेतन-श्रृंखला में ले लिया गया है और फिक्सेशन की कार्यवाही की जा रही है ।

(ग) तहसील कोटपुतली में १२ कर्मचारी हैं, जिनके फिक्सेशन की कार्यवाही की जा रही है । सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(कृपया परिशिष्ट ७ देखिए)

श्री रामकरण सिंह : फिक्सेशन की जो कार्यवाही की जा रही है वह किस स्टेज पर है, है क्या मंत्री जी बता सकेंगे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : क्या फरमाया ?

श्री रामकरणसिंह : कार्यवाही किस स्टेज पर है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : अलग

(श्री दामोदरलाल व्यास)

अलग स्टेज पर अलग अलग कागज हैं । झुन्झुनूं जिले के ४८ कर्मचारी थे, जिनमें से ३८ लिये गये; बाकी १३ जयपुर जिले के लिये गये । उनके फिक्सेशन की कार्यवाही अलग अलग स्टेज पर है ।

श्री रामकरण सिंह : यह कार्यवाही कब आरम्भ हुई !

श्री दामोदरलाल व्यास : उनको राज्य-सेवा में एब्जोर्ब करने के बाद ।

श्री रामकरण सिंह : जब कि यह कार्यवाही ५.४ में प्रारम्भ हुई तो क्या यह अब तक समाप्त नहीं हुई ?

श्री दामोदरलाल व्यास : आरम्भ होने की ठीक तारीख का पता नहीं है, लेकिन समाप्त अभी नहीं हुई ।

जिला विकास समिति, बीकानेर द्वारा भवन निर्माण योजना

१५६. **श्री भीमसेन** (लूनकरनसर) : क्या योजना मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना के निर्माण के समय जिला विकास समिति, बीकानेर ने लूनकरनसर व बीकानेर में तहसील भवन, पुलिस स्टेशन तथा सरकारी कर्मचारियों के लिए मकानों की व्यवस्था करने की योजना प्रस्तुत की थी ? अगर हां, तो उस योजना को कार्यान्वित करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) (योजना मंत्री की अनुपस्थिति में)

हां, इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए प्रतिवर्ष भवनों की आवश्यकता एवं उनको बनाने के लिये धन की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए योजना बनाई जाती है तथा कार्यान्वित की जाती है । राजस्थान की प्रयोजना में प्रशासनीय भवनों के लिए कोई प्रॉवधान नहीं है ।

श्री भीमसेन : अध्यक्ष महोदय, पिछले अधिवेशन में मैंने इस बारे में जो प्रश्न पूछा था, उसका जो जवाब मिला था, वह आज के जवाब से भिन्न है । इसका क्या कारण है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : वही उत्तर आज दिया है जो पिछली बार दिया गया था, हर साल जितने फंड्स अवेलेबल होते हैं, उनका ध्यान रखते हुए और आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बिल्डिंग्ज़ बनाई जाती हैं । सेकण्ड प्लान में कोई अलग नहीं है ।

श्री भीमसेन : इस प्लान में बिल्डिंग्ज़ के लिये प्रोविजन है या नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इसमें २ करोड़ का प्रोविज़न बिल्डिंग्स् के लिये रखा है ।

श्री दामोदरलाल व्यास : प्लान में २ करोड़ रुपये बिल्डिंग्ज़ के लिये रखे हैं, जिनमें से जुडिशियल बिल्डिंग्ज़ के लिए २० लाख, रेवेन्यु के लिये ३० लाख, लोकअप्स के लिये ३० लाख, डाक बंगलों के लिये २० लाख, मिसलेनियस के लिये ५० लाख रु० का प्रोविजन किया गया है ।

प्रश्न संख्या १५७

श्री अध्यक्ष : श्री बालमुकुन्द ।

(अनुपस्थित)

आर. ए. एल. कलेक्टर

१५८. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा) : क्या मुख्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(रावराजा सरदारसिंह)

(१) क्या यह सही है कि राजस्थान के कुछ जिलों में आर०ए०एस० ऑफिसर्स कलेक्टर का काम कर रहे हैं ? अगर हाँ, तो कौन कौन आर० ए० एस० ऑफिसर किस किस डिस्ट्रिक्ट में कब से कलेक्टर के पद पर हैं ?

(२) किन डिस्ट्रिक्टों में इनको किन आधारों पर रखा गया है ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास, मुख्य मन्त्री की अनुपस्थिति में) : (१) हां, कुछ जिलों में आर०ए०एस० ऑफिसर कलेक्टर का काम कर रहे हैं। उनके नाम निम्न प्रकार हैं :

(क) श्री तेजसिंह कोठारी, आर०ए०एस०, कलेक्टर बांसवाड़ा, दिनांक २६-५-५८ से

(ख) श्री नारायणदास मेहता, आर०ए० एस० कलेक्टर, चित्तौड़गढ़, दिनांक २०-५-५८से

(ग) आई०ए०एस० (प्रमोशन रूल्स) के अन्तर्गत यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन आई०ए०एस० पोस्टों पर इनकी स्थानापन्न नियुक्ति को स्वीकृत कर चुकी है, इसलिये इनको स्थानापन्न कलेक्टर बनाया गया है।

रावराजा सरदारसिंह : क्या इनको in anticipations बनाया गया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : माननीय सदस्य यदि मेरा जवाब ध्यान से सुनते तो उनको मालूम हो जाता कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने इनकी नियुक्ति स्वीकार कर ली है ।

रावराजा सरदारसिंह : कब से ?

श्री दामोदरलाल व्यास : तारीख भी मैंने बताई है। कलेक्टर बांसवाड़ा, तारीख २६-५-५८ से और कलेक्टर चित्तौड़गढ़, २०-५-५८ से।

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल : क्या यू० पी०एस०सी० को, ऑफिशियेटिंग के लिये इन्हीं नामों की सिफारिश की गई थी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यहां से कोई नाम नहीं भेजे जाते, बल्कि वे खुद सिलेक्शन करते हैं। आप रूल्स मुलाहिजा फरमाइये ।

प्रश्न संख्या १५९

श्री अध्यक्ष : श्री जगदीश प्रसाद माथुर।

(अनुपस्थित)

श्री दयाकृष्ण विजय ।

कंजर कोलोनी- तहसील छबड़ा

१६० **श्री दयाकृष्ण विजय** (छबड़ा) : क्या समाज कल्याण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या तहसील छबड़ा, जिला कोटा की कंजर जाति को बसाने के लिये सरकार ने उक्त तहसील में कोई कंजर कोलोनी बनाई है ?

(२) उक्त कोलोनी में कितने मकान बनाये गये तथा इसके निर्माण कार्य में कितना धन व्यय हुआ ?

(३) क्या यह सही है कि इस वर्षा में ये मकान धराशायी हो गये हैं और सरकार का पैसा बरबाद हो गया है ? यदि हां, तो इस लापरवाही के लिये कौन अधिकारी जिम्मेदार है तथा उसके विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

Page No.22

उप-समाज कल्याण मंत्री (श्री भीखा भाई) : (१) जी हां, तहसील छबड़ा में कंजर जाति के पुनर्वास के निमित्त चाचाली की झोंपड़ी नामक स्थान पर एक कंजर आदर्श बस्ती बसाने की योजना गत दो वर्ष से चल रही है।

(२) उक्त कोलोनी में ५० मकान बनाने की योजना है, जिसमें से इस बरसात के पूर्व २६ मकानों का निर्माण हो चुका है तथा शेष पर काम चल रहा है। बस्ती पर ३१,००० रु० खर्च किये जाने को है। अब तक कितना व्यय हुआ उसकी सूचना सम्बन्धित अधिकारियों से प्राप्त की जा रही है।

(३) इस विभाग से तो केवल आसामियों को मकान बनाने हेतु ही सहायता दी जाती है। मकान वे अपने खुद ही बनाते हैं, अगर मकान धराशायी हो गये तो कोई अधिकारी उसके लिए जिम्मेदार नहीं है।

श्री दयाकृष्ण विजय : इनको अलग क्यों बसाया जाता है?

श्री भीखाभाई : अलग बसाने की बात नहीं है, जिस एरिया में यह जाति होती है, वहां जो अच्छी जगह मिलती है, वहीं इनको बसा देते हैं।

श्री पी० के० चौधरी : क्या अन्य स्थानों पर भी बसाने की योजना है?

श्री भीखाभाई : जहां से मांग आती है, जहाँ हमारे कार्यकर्त्ता मिलते हैं और बात होती है और पुनर्वास के लिए तैयार होते हैं, वहाँ बसा देते हैं। जहां म्युनिसिपैलिटी एरिया होता है और अगर म्युनिसिपैलिटी उस जगह को लेने को तैयार होती है, वहाँ म्युनिसिपैलिटी की राय से उनको बसाने की योजनायें बनाई जाती हैं।

श्री मदनसिंह : क्या यह उचित नहीं समझते कि इनको सभ्य लोगों के साथ बसाना चाहिए ताकि इनमें सभ्यता आये।

श्री भीखाभाई : हां, इनको सभ्य लोगों के आस-पास बसाया जाता है, बीकानेर में लोहार और हरिजनों को बसाया गया है।

श्री मदनसिंह : इनको क्यों नहीं बसाया जाता है? जयपुर में बीकानेर के सदस्य बंगले बना कर बसाये जा सकते हैं तो कंजरों को क्यों नहीं बसाया जा सकता है?

(उत्तर नहीं दिया गया)

श्री पी० के० चौधरी : क्या यह बात सही है कि मकान बनाने के लिए लोन देने से पहले मकान के नक्शे को मंजूर किया है?

श्री भीखाभाई : माननीय सदस्य को मालूम नहीं है। हम उनको मकान के लिए लोन नहीं देते हैं। दरअसल सब्सिडी देते हैं। पहले ३०० रुपये दिये जाते थे, अब ७०० रुपये तक दिए जाते हैं।

श्री पी० के० चौधरी : मेरा सवाल यह था कि लोन ग्रान्ट करने से पहले मकान के नक्शे को मंजूर करते हैं।

श्री भीखाभाई : यह बात सही नहीं है

श्री दयाकृष्ण विजय : माननीय उप-मंत्री जी ने बताया कि इतने मकानों पर इतना खर्चा हुआ। क्या वे सब मकान गिर गये हैं।

श्री भीखाभाई : हमारी सूचना है कि ६ मकान गिर गये हैं, क्योंकि एक दिन में

Page No.23

(श्री भीखाभाई)

११ इन्च वर्षा हुई थी। यह दैवी प्रकोप है, राज्य अधिकारियों की इसमें कुछ जिम्मेदारी नहीं है।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या १६ हजार देते समय यह देखने की आवश्यकता नहीं समझी कि एक मकान पर एक हजार रुपया खर्च होता है या नहीं ?

श्री भीखाभाई : दैवी प्रकोप के आगे तो लाखों रुपए का भी नुकसान हो सकता है।

श्री मदनसिंह : आज कल दैवी प्रकोप की बात नहीं है, प्रबन्ध की बात है। वह रुपया ठीक ढंग से खर्च हुआ या नहीं, इस काम के अन्दर खर्च हुआ या नहीं।

श्री भीखाभाई : मकान बनाने का काम कंजरों का था। उनको इसके लिए सब्सिडी दी जाती है और समाज कल्याण विभाग का अधिकारी देखता है कि मकान वाकई बनाया जा रहा है या नहीं। अगर फिर भी मकान गिर जाय तो मकान मालिक की जेब से जाता है।

श्री दयाकृष्ण विजय : समाज कल्याण विभाग के किस अधिकारी ने यह रकम दी है?

श्री भीखाभाई : जो रुपया दिया जाता है वह कॉन्स्टीट्यूशन और लॉ के माफिक दिया जाता है और समाज कल्याण के अधिकारी सुपरविजन करते हैं।

श्री दयाकृष्ण विजय : जो उसका सुपरविजन करता है और जिसने रकम दी है उस आदमी का नाम बताएं ?

श्री भीखाभाई : यह १६ हजार का सवाल नहीं है, यह ३१ हजार की योजना है, इसमें से १६ हजार खर्च हुआ है। इसकी विगत मैंने बताई है।

श्री दयाकृष्ण विजय : जब कंजर जाति एक चोर जाति है, अगर उसे रकम दी जाती है तो वह सुरक्षित नहीं रहेगी।

श्री भीखाभाई : कुल रुपया नहीं दिया गया है।

श्री पी० के० चौधरी : राजस्थान में हरिजन कॉलोनी में जो घर हैं, उनके लिए लोन देने से पहले नक्शे को सरकार एप्रूव नहीं करती है ?

श्री भीखाभाई : इसका जवाब नकारात्मक दे दिया है, समाज कल्याण विभाग लोन नहीं देता।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या यह सही है कि १० मकान नहीं बने, केवल ६ मकान बने थे और......

श्री भीखाभाई : अगर माननीय सदस्य जानकारी देते हैं तो उसकी जांच करवाई जायगी।

श्री रामचन्द्र : मेरा प्रश्न है कि कंजरों को सहायता देने से पहले अधिकारियों ने यह पता लगा लिया था कि मकान बनाने में समर्थ हैं या नहीं ?

श्री भीखाभाई : यह विद्या उनको आती है मकान बनाने की।

प्रश्न संख्या १६१

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

(अनुपस्थित)

Page No.24

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न संख्या १६२

श्री तेजमल बापना।

(अनुपस्थित)

श्री लालूराम।

हरिजनों की राज्य सेवा में नियुक्तियां

१६३. **श्री लालूराम टाटावत** (टोंक) : क्या मुख्य मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कितने हरिजन किस किस डिपार्टमेंट में किस किस ग्रेड पर, कहां कहां नियुक्त किये गये ?

(२) दूसरी पंचवर्षीय योजना में कितने हरिजन राज्य कर्मचारी लिये जावेंगे ?

राजस्व-मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास, मुख्य मन्त्री की ओर से) : (१) प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत की गई नियुक्तियों के बारे में हरिजनों से सम्बन्धित आंकड़े किसी एक स्थान पर एकत्रित नहीं किये गये हैं, इसलिए उपलब्ध नहीं हैं।

(२) दूसरी पंचवर्षीय योजना में हरिजनों की नियुक्ति करने के बारे में कोई विशेष उल्लेख नहीं है।

प्रश्न संख्या १६४

श्री अध्यक्ष : श्री मनोहर कोठारी।

(अनुपस्थित)

श्री मूलचन्द डागा।

माउन्ट आबू पर कर्मचारियों की बैठकों का आयोजन

१६५. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या मुख्य मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) पिछली गर्मी में माउन्ट आबू पर सरकार ने किस-किस विभागों के किन-किन कर्मचारियों की बैठकों का आयोजन किया और उन पर कितना सरकार का खर्चा हुआ ?

(२) इन भिन्न-भिन्न बैठकों में कौन-कौन उपस्थित हुए, उनकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास, मुख्य मन्त्री की ओर से) : माननीय, अध्यक्ष इसके लिए आज जवाब तैयार नहीं है, इसमें समय लगेगा।

(विराम)

श्री अध्यक्ष : Next week......

श्री बी० एन० जोशी।

गाडोलिया लोहार सम्मेलन

१६६. **श्री विश्वम्भरनाथ जोशी** (बांदीकुई) : Will the Social Welfare Minister be pleased to state :

(a) What amount was sanctioned by the Government in connection with the Sammelan of the wandering tribes known as Gadolia Lohar held at Chittor in Udaipur Division ?

(b) How much of the total amount sanctioned for the purpose was actually spent ?

(c) Have the accounts of the above mentioned Sammelan been submitted to the Government by the persons responsible for doing so ?

(श्री विश्वम्भरनाथ जोशी)

(d) Has any amount been returned or refunded to the Government out of the amount sanctioned for the purpose ?

उप-समाज कल्याण मन्त्री (श्री भीखा भाई) : (a) Rs. 12,000/-

(b) Rs. 10,597.93 N. P.

(c) All the accounts in this respect have been rendered to the Accountant General, Rajasthan, Jaipur for adjustment.

(d) Yes, an amount of Rs. 1402.07 N. P. was refunded to the Treasury.

श्री पी० के० चौधरी : इस सम्मेलन का खर्चा एक फन्ड में से हुआ था। क्या गवर्नमेन्ट के खर्चे से पूरा सम्मेलन हुआ ?

श्री भीखाभाई : इसकी जानकारी हमारे पास नहीं है।

प्रश्न संख्या १६७

श्री अध्यक्ष : श्री मनोहर कोठारी।

(अनुपस्थित)

डॉ० चन्द्रकला।

राजस्थान कॉलेज, जयपुर

१६८. **डॉ० बहादुरसिंह** (धौलपुर, डॉ० चन्द्रकला की अनुपस्थिति में) : क्या शिक्षा मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) राजस्थान कॉलेज में चालू सत्र में किस-किस कक्षा में कितने-कितने छात्र प्रविष्ट हुए ?

(२) क्या उक्त कॉलेज में प्रवेश के लिए प्राप्तांक की कोई सीमा निश्चित है ? यदि हां, तो क्या ?

(३) क्या यह सच है कि प्रवेश की निश्चित अवधि को एक से अधिक बार बढ़ाना पड़ा ? यदि हां, तो क्यों ?

उप-शिक्षा मन्त्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (१)

कक्षा	छात्र संख्या
प्रथम वर्ष में	२७
द्वितीय वर्ष में	२
तृतीय वर्ष में	३२
चतुर्थ वर्ष में	४
त्रिवर्षीय डिग्री कोर्स के प्रथम वर्ष में	६
कुल योग	७२

(२) जी हां, अन्तिम परीक्षा में न्यूनतम ५० प्रतिशत अंक प्राप्त कर लेना अनिवार्य है। परन्तु केवल इस वर्ष के लिये कॉलेज की शैशवावस्था की दृष्टि में रख कर तथा इसके एक्स्ट्रा केरीक्यूलर एक्टीविटीज़ को प्रोत्साहन देने के लिये उपरोक्त प्रतिशत केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिये जो इस प्रकार की एक्टीविटीज़ में विशेष रुचि रखते हों, ५० प्रतिशत से घटा कर ४५ प्रतिशत किया गया है।

(३) जी नहीं। केवल एक बार बढ़ाया गया था।

श्री अध्यक्ष : श्री मनरूपराम परिहार।

बूसी में कन्या पाठशाला खोलने की मांग

१६९. **श्री मनरूपराम परिहार** (खारची) : क्या शिक्षा मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि बूसी की जनता व पंचायत, गत ५ वर्षों से कन्या पाठशाला खोलने के लिए मांग कर रही है ?

(श्री मनरूपराम)

(२) क्या यह भी सही है कि शिक्षा विभाग द्वारा कई बार आश्वासन दिए जाने पर भी उक्त स्कूल अभी तक नहीं खोला गया ? यदि हां, तो क्यों, तथा अब कब तक स्कूल खोल दिया जावेगा ?

उप-शिक्षा मन्त्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (१) जी हां ।

(२) ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया । सरकार की नीति गर्ल्स प्राइमरी स्कूल अलग से खोलने की नहीं है । लड़के और लड़कियों को प्राइमरी स्कूल में साथ-साथ पढ़ाया जाता है । अगर लड़कियां की संख्या २० से ज्यादा होती है तो एक अध्यापिका वहां नियुक्त की जा सकती है ।

श्री अध्यक्ष : श्री सूरजमल ।

ग्राम खीरजो खास के पुरोहितों की ढाणियों के अग्निकाण्ड में सरकार द्वारा सहायता

१७०. **श्री सूरजमल** : क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि शेरगढ तहसील का ग्राम खीरजो खास के पुरोहितों की ढाणियां ता० ११-५-५७ को जल गई ?

(२) यदि हां, तो क्या यह सही है कि उपरोक्त ढाणियों के जलने से १७३८५ रु० व ४८७५ रु० जुमले २२२६० रु० का नुकसान हुआ और एक आदमी भी जलकर मर गया ?

(३) आग से जलकर नुकसान होने पर सरकार द्वारा कितनी प्रतिशत सहायता दी जाती है ?

(४) सरकार द्वारा ढाणियों के मालिक को कितनी धनराशि स्वीकृत की गई और उस धनराशि में से कितनी दी गई व बकाया कब तक दे दी जावेगी ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (१) जी हां ।

(२) जी हां। इस अग्निकाण्ड में १७३८५ रु० व ४८७५ रु० का नुकसान हुआ, परन्तु कोई भी व्यक्ति नहीं जला ।

(३) नियमानुसार ५ व्यक्तियां के परिवार को ७५ रु० प्रति व्यक्ति तथा ५ से अधिक वाले परिवार को ५० रु० प्रति व्यक्ति सहायता दी जा सकती है और ऐसी सहायता नुकसान के छठे हिस्से से ज्यादा नहीं होनी चाहिए ।

(४) श्री दौलतराम पुत्र श्री धन्नाराम व श्री शुकनाराम पुत्र श्री चेताराम को २२५ रु० व ३५० रु० नियम के मुताबिक सहायता के तौर पर ता० ३. १२. ५७ को पूरी रकम दी जा चुकी है ।

श्री सूरजमल : माननीय अध्यक्ष, मैंने आगे भी एक प्रश्न पूछा था । माननीय मन्त्रीजी ने यही उत्तर दिया कि अग्निकांड में आदमी जलकर नहीं मरा । मैं आपके द्वारा माननीय मन्त्रीजी की जानकारी में लाना चाहता हूँ कि आग के अन्दर एक आदमी जलकर मरा था और उसका नाम नैनाराम सन ऑफ सत्ताराम, जाति का पुरोहित था और खीरजो का रहने वाला था । माननीय मन्त्रीजी गलत उत्तर दे रहे हैं कि आदमी नहीं मरा । मैं माननीय मन्त्रीजी को

(श्री सूरजमल)

जानकारी दिलाना चाहता हूँ कि एक आदमी जल कर मरा था।

श्री दामोदरलाल व्यास : क्या नाम बताया ?

श्री सूरजमल : नैनाराम सन ऑफ सताराम, जाति का पुरोहित था। यह आपकी जानकारी के लिए है।

श्री दामोदरलाल व्यास : माननीय अध्यक्ष, मेरे पास सूचना नहीं है। अलबत्ता उसी ढाणी में आग लगी थी, उसमें सूचना थी कि काफी नुकसान हुआ है और एक आदमी जल जाने की सूचना नहीं है।

श्री सूरजमल : क्या यह सही है कि नुकसान होने के मुताबिक सरकार द्वारा सहायता दी गई ?

श्री दामोदरलाल व्यास : नुकसान के मुताबिक सहायता नही दी जाती, क्योंकि सहायता इमदाद के लिहाज से दी जाती है फन्ड्स की अवेलेबिलिटी को देखते हुए, सहायता की मिकदार मुकर्रर नहीं है। १।६ से ज्यादा नहीं दी जा सकती है, ७५ रु० से ज्यादा नहीं दी जा सकती है। अगर फन्ड्स ज्यादा हों व जरूरत कम हो तो कम दी जायगी।

श्री अध्यक्ष : श्री बहादुरसिंह।

धौलपुर में भवन निर्माण के लिए सरकार द्वारा दी गई राशि

१७१. **डॉ० बहादुरसिंह** (धौलपुर) : क्या योजना मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) धौलपुर नगर में अल्प आय वालों को भवन निर्माणार्थ सन् ५६–५७ एवं ५७–५८ में कितनी सहायता दी गई ?

(२) उक्त राशि से क्या भवन निर्माण हुए ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास, योजना मन्त्री की ओर से) : (१) धौलपुर नगर में अल्प आय वालों को भवन निर्माणार्थ सहायता देने की योजना लागू नहीं की गई है।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

डॉ० बहादुरसिंह : अब कब तक लागू होने वाला है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह अभी नहीं कहा जा सकता।

डॉ० बहादुरसिंह : क्यों ? क्या सरकार लागू नहीं करना चाहती ?

श्री दामोदरलाल व्यास : धौलपुर के लिये लागू करने का प्रश्न नहीं, अभी तो जिले के हैड क्वार्टर्स पर लागू नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष : श्री बालकिशन, श्री मुरलीधर व्यास, श्री जगदीश प्रसाद माथुर, श्री तेजमल बापना, श्री मनोहर कोठारी,

(उपरोक्त समस्त माननीय सदस्य अनुपस्थित)
प्रश्न समाप्त हुए।

प्रश्न संख्या १४४
(पूर्व क्रम से)

श्री दयाकृष्ण विजय : १४४ नं० के प्रश्न का उत्तर रह गया, आपने कहा था कि उत्तर दे देंगे।

श्री दामोदरलाल व्यास : The list was there in the Notice Office.

Page No.28

श्री दयाकृष्ण विजय : जितने किसानों से ऋण प्राप्त नहीं हुआ है, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : उनके खिलाफ कार्यवाही यह की जा रही है कि एग्रीकल्चर इन्डेब्टेडनेस एक्ट के मातहत वसूली की जा रही है।

श्री दयाकृष्ण विजय : एक तरफ तो वसूली की कार्यवाही की जा रही है, दूसरी ओर उनमें से १०१ लोगों को और ऋण दिया जा जा रहा है, इसका क्या कारण है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : कुछ काश्तकार ऐसे हैं जिन्हें डेवलपमेंट पर्पज़ेज के लिए कर्ज दिया गया था वह काम पूरे नहीं हुए हैं, इसलिये उन कामों को पूरा करने के लिए दिये हैं।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या ऐसे काश्तकार भी थे कुछ जिन्होंने सरकार को गलतफहमी में रखकर रकम ले ली है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : गलतफहमी में रखने का उदाहरण तो अभी सरकार के सामने नहीं आया।

श्री श्रीभानसिंह : कल के ११५ नं० के क्वेश्चन का जवाब मन्त्री महोदय ने आज देने को कहा था।

दिनांक २७ अक्टूबर १९५८, का स्थगित प्रश्न

नायब तहसीलदारों तथा प्रोवेशन नायब तहसीलदारों की सेवाएं

११५. श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : Will the Revenue Minister please :

(1) Did the Government provisionally or otherwise decided the seniority of services of the Naib-Tehsildars and probation Naib Tehsildars ?

(2) If yes, when was the list of both published in the Gazette ? If possible, please give the list.

(3) How many Naib-Tehsildars have been upgraded as permanent or officiating Tehsildars and how many probationer Naib-Tehsildars have been upgraded as officiating or permanent Tehsildars ? Please give their names, period of joining service and their number in the seniority list (provisional or final).

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास):

(१) ग्रुप ए, बी और सी के नायब तहसीलदारों की सीनियोरिटी राज्य सरकार द्वारा नोन—प्रोविजनल आधार पर तय की गई थी, पत्र संख्या १८४८। बी० आर० दिनांक ८-३-५६। ग्रुप डी० ई० सेटलमेंट और प्रोबेशनर नायब तहसीलदारों की सीनियोरिटी प्रोवीज़नल आधार पर तय की गई थी और अब राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(२) ग्रुप ए, बी और सी के नायब तहसीलदारों की सीनियोरिटी लिस्ट राजस्व मंडल के परिपत्र संख्या १८४८। बी. आर. दिनांक ८-३-५६ के अन्तर्गत राजपत्र में प्रकाशित हो चुकी है।

ग्रुप डी व ई सेटलमेंट और प्रोबेशनर नायब तहसीलदारों की प्रोवीज़नल सीनियोरिटी लिस्ट राजस्व मंडल ने तैयार कर राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक २२-१०-५६ में प्रकाशित करवा दी थी।

(श्री दामोदरलाल व्यास)

(३) ग्रूप ए और बी के समस्त नायब तहसीलदार एक व्यक्ति को छोड़ कर तहसीलदारों के स्थायी पदों पर दिनांक १-१-५६ को नियुक्त हो चुके हैं। (लिस्ट संलग्न है)

(कृपया परिशिष्ट ८ देखिये)

ग्रूप सी, डी व ई प्रोबेशनर आदि जो सब सम्मिलित वरिष्ठ तालिका में आ चुके हैं उनमें से ५४ व्यक्ति सब्स्टेन्टिव रूप से तहसीलदार के पद पर नियुक्त हो चुके हैं ।

इसके अतिरिक्त ३३ नायब तहसीलदार अस्थायी रूप से तहसीलदार के पद पर काम कर रहे हैं ।

श्री श्रीभानसिंह : उनमें से जिन नायब तहसीलदारों को तहसीलदार बनाया गया, उनको सीनियोरिटी से छांटा या सिलेक्ट किया गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : एक कमेटी इसके लिए मुकर्रर होती है और वह कमेटी सिलेक्ट करती है सीनियोरिटी कम मेरिट्स के आधार पर ।

श्री श्रीभानसिंह : जितने सीनियोरिटी लिस्ट में नायब तहसीलदार आये हैं, उनको इन्टव्यु के लिये बुलाया था कमेटी ने ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां, नियम देख लीजिये, नियमों के अनुसार सीनियोरिटी कम मेरिट्स के आधार पर किया है ।

श्री श्रीभानसिंह : जिन नियमों का मन्त्री महोदय कहते हैं उनको मैंने देखा है, श्री प्यारेलाल का क्या नम्बर है, उनके ऊपर वालों को क्यों नहीं इन्टव्यु के लिए कॉल किया गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : सीनियोरिटी कम मेरिट्स के आधार पर सिलेक्ट किया है, सब फैक्ट्स से कन्सीडर किया था । सिलेक्शन कमेटी जो अलग अलग आदमियों के बारे में निर्णय करती है, उन सब के निर्णयों के बारे में अलग अलग इन्डीविज्युअल्स के निर्णय के बारे में बताया जाना मुमकिन नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या सिलेक्शन कमेटी के निर्णय में सरकार रद्दोबदल कर सकती है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : आम तौर से नहीं ।

श्री भैरोंसिंह : मैं इस केस के बारे में जानना चाहता हूं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इसमें सरकार ने रद्दोबदल नहीं किया है ।

श्री भैरोंसिंह : इस सिलेक्ट कमेटी ने श्री प्यारेलाल को सिलेक्ट करके जो निर्णय भेजा है, उसमें सरकार ने रद्दोबदल नहीं किया है, क्या यह सही है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : नायब तहसीलदारों को तहसीलदार बनाने की एक कमेटी की मीटिंग हुई है एक ही, रद्दोबदल करने का सवाल ही पैदा नहीं होता ।

श्री पी० के० चौधरी : क्या कमेटी ने प्यारेलाल का इन्टव्यु किया था ।

श्री दामोदरलाल व्यास : Yes, Pyarelal is there.

Page No.30

श्री श्रीभानसिंह : मेरे कहने का मतलब यह है कि प्यारेलाल साहब के ऊपर के नम्बर हैं उनको क्यों नहीं बुलाया गया और ३०० नम्बर से उनको बुला लिया।

श्री दामोदरलाल व्यास : Because he was considered more suitable by the Committee.

श्री श्रीभानसिंह : But it was the criterian of seniority in service or...?

श्री दामोदरलाल व्यास : Yes. seniority in service also. Don't forget that.

श्री पी० के० चौधरी : क्या उनकी सर्विस बुक पर गवर्नमेंट का नोट लगा हुआ है, "He is most undeserving."

श्री दामोदरलाल व्यास : This is not within my knowledge, I will find out and then let you know.

श्री भैरोंसिंह : सिलेक्शन कमेटी के सामने जिन नायब तहसीलदारों को प्रमोशन देना होता है उनकी न्यारी लिस्ट जाती है क्या ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं फिर अर्ज करूंगा कि रूल्स को मुलाहिजा करिये, उनमें सब बताया हुआ है कि किन किन लोगों की लिस्ट कौन कौन भेजेंगे, लिस्ट कहां से आयगी, क्या आधार होगा ? Everything is there in the Rules.

श्री पी० के० चौधरी : It was a specific question, Mr. Speaker, Sir Whenever there is a question and we ask, the Hon'ble Minister quotes the Rules.

श्री अध्यक्ष : But when something is given in the rules, he will quote. When these rules.......

श्री पी० के० चौधरी : Whether all the candidates have been rejected by the Committee?

श्री अध्यक्ष : How can you go in the details ? Under the rules if it is necessary, he must have done it. First you ask one question and then you ask about the whole procedure.

श्री श्रीभानसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने इसलिये अपने क्वेश्चन में लिख दिया था Please give their names, period of joining service and their number in the seniority list (provisional or final).

वह माननीय मंत्री महोदय ने दी नहीं। उनके जोइनिंग पीरियड का सीनियोरिटी का वह नहीं दिया। इस पर पर्टिक्युलर आदमी का पूछते हैं, उसका उत्तर नहीं तो जिन लोगों के साथ इन्जस्टिस हुआ है उनका जवाब दे दिया जाय। पर्टिक्युलर काम को हम एडवोकेट नहीं करते, जिनको बाईपास किया है उनको पूछते हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने जवाब दिया कि ग्रुप ए., बी और सी के नायब तहसीलदारों की सीनियोरिटी लिस्ट राजस्व मण्डल के परिपत्र संख्या १८४८। बी० आर० दिनांक ८-३-५६ के अन्तर्गत राज-पत्र में प्रकाशित हो चुकी है। और दूसरी लिस्ट भी राज-पत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित की गई है।

श्री पी० के० चौधरी : Is there any list of such.

श्री दामोदरलाल व्यास : This is published in the Gazette, I cannot give you a separate list.

श्री श्रीभानसिंह : माननीय अध्यक्ष, हो सकता है कि उस समय में असेम्बली का सदस्य न हूं और मेरे पास फ्री गवर्नमेंट गजट नहीं आता हो।

श्री दामोदरलाल व्यास : The Hon' member was there as a member of this House that time.

श्री श्रीभानसिंह : माननीय अध्यक्ष, जैसा माननीय राजस्व मंत्री कह रहे हैं, नाम भी ज्यादा नहीं थे, सिर्फ ५४ ही आदमियों के नाम हैं। वे टाइप करवाकर दे सकते थे।

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से इन्डिविज्युअल गवर्नमेंट सर्वेन्टस के बारे में प्रश्नों के सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। इस प्रकार के प्रश्न बहुत आते हैं। इसलिये इस सम्बन्ध में हमें बहुत ही स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, और यह देखना होगा कि हर एक व्यक्ति के इन्डिविज्युअल केस को कहां तक एडवोकेट करने दिया जाय। पहली बात तो यह देखने की है कि उसकी रिलेवेन्सी कहां तक है। इस बात पर हमको सोचना होगा। इन्जस्टिस हुई है उस सम्बन्ध में प्रश्न यह है कि किस हद तक इन्डिविज्युअल केसेज़ को एडवोकेट किया जा सकता है, इसके बारे में सोचना पड़ेगा।

श्री श्रीभानसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं किसी का नाम इसीलिये नहीं लेता कि कई बार माननीय मंत्री महोदय ने इन्डिविज्युअल इन्सटान्स देने की बात कही है। अगर वे नम्बर दे देते हैं तो यह एक जनरल क्वेश्चन बन जाता है।

श्री अध्यक्ष : इसके लिये भी रूल्स बने हुए हैं और उनको कोई भी कमेटी गवर्नमेंट लेवल पर सुपर्सीड नहीं कर सकती। जो बनी है उसके लिये ये कब तक जवाबदार हो सकते हैं।

श्री पी० के० चौधरी : As far as in the Rules, I rememeber, there is no such clear provision that all the candidates should be interviewed and then rejected.

श्री दामोदरलाल व्यास : There is no such rule. Selection is made on the basis of record.

श्री पी० के० चौधरी : This is on the basis of paper ?

श्री दामोदरलाल व्यास : It is on the basis of record.

श्री पी० के० चौधरी : अध्यक्ष महोदय, रूल्स की पाबन्दी में ही तो बेजाब्तियां हुई हैं।

श्री अध्यक्ष : Questions are over.

श्री गोवरधनसिंह केन : अध्यक्ष महोदय, मैं रूल ८२ की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। इस रूल के अन्तर्गत पब्लिक इन्ट्रेस्ट के बारे में जो.........

श्री अध्यक्ष : मैं आपको बता देना चाहता हूं कि खाद्य मंत्री यहां पर नहीं हैं। श्री दयाकृष्ण विजय का भी इस विषय पर एडजोर्नमेंट मोशन आया है। उनके आने पर ही निर्णय किया जाएगा।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या यह खाद्य मंत्रीजी के आने तक पड़ा रहेगा ?

श्री अध्यक्ष : आखिर इसका जवाब कौन देगा? वही तो इसका जवाब देंगे।

(श्री अध्यक्ष)

इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि जब तक वे न आवें तब तक इसको पेन्डिंग में रहने दें। अब माननीय राजस्व मंत्री भरतपुर की बाढ़ स्थिति के बारे में स्टेटमेंट देंगे।

१२.४ म. प.

भरतपुर जिले में अकाल की स्थिति सम्बन्धी राजस्व मंत्री का वक्तव्य

श्री दामोदरलाल व्यास : (राजस्व मन्त्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, भरतपुर जिले में इस वर्ष दो बार बाढ़ आई। पहली बाढ़ बाणगंगा व गम्भीरी नदियों से दिनांक २६–७–५८ को आई व दूसरी बाढ़ सितम्बर के अन्तिम सप्ताह में आई। इन दोनों बाढ़ों का कारण औसतन से काफी अधिक वर्षा का होना था। पहली बाढ़ से तहसील बयाना के १८ गाँव व तहसील रूपवास के २१ गांव व भरतपुर तहसील के २३ गांव कुल मिला कर ६२ गांव प्रभावित हुए। इस बाढ़ से किसी मनुष्य व पशु की जान को कोई नुकसान नहीं पहुँचा। जिलाधिकारियों ने समय पर लोगों को राहत पहुंचाने के लिये कार्य किया तथा जहां जहां आवश्यकता समझी गई लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया गया। इसके लिए नावों की भी व्यवस्था की गई। ब्लॉक, रेवेन्यु, पुलिस व सिंचाई विभाग के कर्मचारियों की रिलीफ पार्टीज़ बनाई गई और प्रत्येक प्रभावित गांव को कम से कम दिन में एक बार जाकर देखा गया। कई जगह तो एक-एक गांव में दो-दो बार भी पार्टीज़ गई। इसके लिए ८ मिलिट्री बोट व ४२ मिलिट्री ऑफिसरों ने भी बाढ़ सहायता में स्थानीय अधिकारियों को मदद की। मौके पर चना, गुड, मिट्टी का तेल, प्याज, दियासलाइयां व कपड़े इत्यादि मुफ्त बांटे गए। पका हुआ खाना भी बांटा गया। कुछ व्यक्तियों को नकद सहायता भी दी गई। मवेशियों को चराने के लिए सुरक्षित जंगल खोल दिये गए। मैंने स्वयं ने भी कमिश्नर के साथ दिनांक ३०–७–५८ को प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और सहायता कार्यों को प्रशंसनीय पाया। मुफ्त सहायता दिए जाने व तकावी वितरण का भी समुचित प्रबन्ध किया गया। हर एक प्रभावित तहसील हैड क्वार्टर्स पर मेडिकल केम्पस की स्थापना की गई और मेडिकल अधिकारियों ने बाढ़ से ग्रसित गांवों का दौरा कर मौके पर ही चिकित्सा सहायता पहुँचाई। दूसरी बाढ़, जिला भरतपुर में माह सितम्बर के अन्तिम सप्ताह में डीग सब-डिविजन में गुडगांवा में बंध टूट जाने तथा मथुरा इलाके से पानी आने के कारण आई और यह पानी होम केनाल के जरिए कुम्हेर तहसील में दाखिल हुआ और उससे करीब ५८ गांव प्रभावित हुए। लेकिन कुम्हेर तहसील के कुल १३ गांव ही ऐसे थे जो कि पानी से घिरे हैं। इस बाढ़ से कामां तहसील के ६६ गांव, तहसील पहाड़ी के २१ गांव व तहसील डीग के ३५ गांव प्रभावित हुए। पहली बाढ़ के अनुसार ही इस समय भी सहायता कार्य समय पर किया गया। जो गांव पानी से घिर गए थे वहां से आदमियों को निकाला गया, खाने का सामान व अन्य जरूरी वस्तुएं मुफ्त वितरित की गईं तथा ४०० सेट बांस सिरकी के अस्थायी निवास व्यवस्था के लिए दिए जा चुके हैं। साथ ही मेडिकल एड भी पहुँचाई गई। एक एन०एम०सी०पी० युनिट पहले से भरतपुर में कार्य कर रहा था और दो युनिट्स दूसरी जगहों से और भेजे गए, जिनके मेडिकल स्टॉफ की मदद से एक

Page No.33

(श्री दामोदरलाल व्यास)

विस्तृत कार्यक्रम मलेरिया की रोकथाम करने के लिए बनाया और उसके अनुसार कार्यवाही जारी कर दी गई। जिन इलाकों में पानी भर गया था उनको पहले लिया गया। इसी तरह वेटरनरी डिपोर्टमेंट ने भी मवेशियों के इलाज के लिए प्रोग्राम बनाया और कार्य शुरू कर दिया गया। बाढ़ से प्रभावित कुछ क्षेत्रों को माननीय गृह मन्त्री व मैंने स्वयं ने भी जाकर देखा और स्थानीय अधिकारियों व माननीय सदस्यों से सलाह की। जो राहत कार्य बाढ़ ग्रस्त-क्षेत्र में चल रहे थे व जो सुझाव उस क्षेत्र के माननीय सदस्यों ने मौके पर दिए, उनको करीब करीब मैंने जाकर आदेश तुरन्त जारी कर दिए गए। कमिश्नर अजमेर, अजमेर, सुपरिन्टेन्डेंट इंजीनियर, सिंचाई विभाग व डाईरेक्टर रिलीफ ऑपरेशन्स ने भी दौरा किया और बाढ़ को रोकने के इन्तज़ाम में हाथ बंटाया।

राज्य सरकार ने जो सहायता भरतपुर के बाढ़ग्रस्त इलाकों के लिए दी, उसका संक्षिप्त विवरण भी मैं सदन की जानकारी के लिए प्रस्तुत कर देना चाहता हूँ। चूंकि बाढ़ से प्रभावित इलाकों में खरीफ की फसल नष्ट हो चुकी थी, इसलिए रबी में बोने के लिये बीजों का विशेष प्रबन्ध किया गया। बीज वितरण के लिए कृषि विभाग ने ३२,००० मन गेहूँ, ४,००० मन जौ व ४,००० मन चने का इन्तजाम किया। जिलाधीश ने भी लगभग साढ़े सात हजार मन चने का रिक्विज़िशन किया। रेवेन्यु तकावी भी समुचित मात्रा में दी गई। गंगानगर से भी एक लाख रुपये के चने का बीज मंगाने का विशेष प्रबन्ध किया गया है।

बाढ़ग्रस्त इलाकों में ग्रेच्युटरी रिलीफ यानी मुफ्त सहायता दिए जाने के लिए ३०,००० रुपये का अलॉटमेंट किया गया। राज्यपाल महोदय ने भी एक हजार रुपये की सहायता क्षति-ग्रस्त इलाकों को प्रदान की है।

मकानों के पुनर्निर्माण एवं क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत के लिए चार लाख रुपये की तकावी मंजूर की गई। साधारण तकावी की मद के अन्तर्गत तीन लाख पेंतीस हजार की विशेष तकावी मंजूर की गई, जिसमें पचास हजार रुपये की फूड व फोडर की तकावी भी शामिल है और इसके अलावा सत्तर हजार रुपये की विशेष तकावी बैलों की खरीद के लिए दी गई। तीन हजार की मंजूरी अनुसूचित जातियों के लिए समाज कल्याण विभाग से की जा रही है।

लगान की थाम व छूट के बारे में खतोनियां बनाई जा रही हैं और नियमानुसार थाम व छूट, बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों में दूसरे इलाकों को जहां कि अधिक बरसात से नुकसान हुआ है, दी जावेगी। बाढ़ से जो मकान गिरे या मरम्मत तलब हैं, उनके लिए भी समुचित तकावी का इन्तजाम किया गया।

इस तरह कुल मिला कर लगभग दस लाख रुपये बाढ़-ग्रस्त इलाकों की सहायता हेतु दिए गए। इसके अलावा ६०,००० रुपये ऑर्डिनरी तकावी तथा २,६०,००० रुपये ग्रो मोर फूड की तकावी कलेक्टर भरतपुर के डिस्पोज़ल पर है, जो भी इन परिस्थितियों के लिए सहायक होंगे। इसके अतिरिक्त जन-स्वास्थ्य, पशु-चिकित्सा आदि अन्य कार्यों पर भी जो विशेष खर्चा किया गया, वह अलग से है।

(श्री दामोदरलाल व्यास)

मवेशियों की चराई के इन्तजाम के लिए जितने भी रूंध हैं, वे चराई के लिए खोल दिए हैं। कोटा व जयपुर से घास भरतपुर व बयाना भेजी जा रही है। भूसे के लिए भी गवर्नमेंट को कलेक्टर्स के जरिये से प्रबन्ध किए जाने की कार्यवाही हो रही है जिसके बारे में वेगन्स की प्रायोरिटी देने के बारे में रेल्वे ऑथोरिटीज़ को लिखा जा चुका है। करीब दस हजार मन घास की बेल्स रूपवास में है, उनमें से भी अच्छा घास निकाल कर वितरण कराने के आदेश दिए जा चुके हैं। बांधों की मरम्मत जिनकी संख्या २६ है तथा बंडलियों को ऊंचा उठाने व सड़कों की मरम्मत करने की योजनाएं हैं, ताकि उन व्यक्तियों को राहत मिल सके जो परिश्रम कर अपना पालन करते हैं। सम्बन्धित विभागों को जल्दी ही काम शुरू करने के लिए लिखा जा चुका है।

सस्ते गल्ले की दुकानें मुफस्सिल इलाकों में खोलने का प्रबन्ध भी किया जा रहा है, जिनमें गेहूँ के अतिरिक्त मिलों का इन्तजाम भी किया गया है। कुछ म्युनिसिपेलिटीज़ ने अनुसूचित जातियों के लिए मकान बनाने के लिए योजनाएं बनाई हैं, जिनकी जांच लो ग्रुप इनकम हाउसिंग स्कीम के इंजीनियर के जरिये कराई जा रही है।

इस प्रकार आप देखेंगे कि राज्य सरकार प्रकृति के प्रकोप से उत्पन्न हुई विषम स्थिति के प्रति पूर्ण रूप से सजग रही है और क्षतिग्रस्त इलाकों को यथा समय पूर्ण सहायता पहुँचाने की व्यवस्था की गई है।

डॉ बहादुरसिंह (धौलपुर) : अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मंत्री महोदय ने वक्तव्य दिया है, उसमें मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि धौलपुर में करीब १०० घर ऐसे है जिनमें आज भी पानी भरा है और मलेरिया से लोग बीमार हैं और उनके बीमारी से उनके पशु मर रहे हैं। यही नहीं इन गांवों में गर्मियों के समय में आग लग चुकी थी, उसकी वजह से कई गांव बरबाद हो गये थे, उसके बाद वर्षा से भी उनकी बहुत बुरी हालत हो गई है। उनके लिए जो राहत के लिये तय हुआ था, वह भी उनको नहीं मिल रही है, ऐसी दशा में माननीय मंत्री महोदय से फिर निवेदन करूंगा कि इस इलाके में जहां राहत नहीं पहुंच पाई है वहां जल्दी से जल्दी राहत पहुंचाने की व्यवस्था की जाय।

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, धौलपुर तहसील की बाड़ी तहसील...

श्री अध्यक्ष : पहले आप दो-चार माननीय सदस्यों को बोलने दीजिए, उसके बाद आप उत्तर दीजिए।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : अध्यक्ष महोदय, जिन तहसीलों के बाढ़ ग्रस्त होने की सूचना माननीय मंत्री महोदय ने दी है, वह पूरी सूचना नहीं है। माननीय मंत्री महोदय ने सिर्फ बयाना, रूपवास, भरतपुर, कामां, डीग और पहाड़ी इन तहसीलों का ही नाम लिया है। मेरा उनसे निवेदन है, कि नदबई और नगर में भी करीब करीब उतनी ही बाढ़ आई है। वहां पर खरीफ की फसल बिल्कुल नष्ट हो चुकी है, खास तौर से नगर तहसील के आंकड़े मैंने मंगाये जिनमें यह बतलाया गया है, कुल ३८,७७६ बीघा फसल पानी के अन्दर है और १४,१११ बीघा जमीन पर खरीफ की फसल नष्ट हो गई है। २४,३६८ बीघा रबी पानी के अन्दर है। मकानों का नुकसान हुआ है। वह इस प्रकार है कि

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

११ तो पक्के मकान और १६७३ कच्चे मकान नष्ट हुए हैं। फसल खरीफ की बिल्कुल बरबाद हो गई है। उसके साथ साथ उसमें यह भी बताया गया है कि इन गांवों में अभी तक दवा-दारू नहीं पहुंची है। मवेशियों के लिये चारा नहीं पहुंचा है, यही स्थिति बयाना तहसील की है, जहां सबसे ज्यादा पानी आया, कल तक की मेरी सूचना है कि वहां पर भी मवेशियों के लिये चारा पहुंचाने की कोई व्यवस्था नहीं हुई। खास तौर से मुझे यह सुन कर आश्चर्य हुआ कि ७० हजार रुपया बैलों की तकावी के लिये मन्जूर हुआ है। भरतपुर जिला कृषि प्रधान जिला है, जहां पर कितने पशु बीमार हैं। यह माननीय मंत्री महोदय को पता नहीं, क्योंकि इस विभाग के वे सम्बन्धित मंत्री नहीं हैं। मैं उनसे यह निवेदन कर दूं कि वहां के सारे बैल नष्ट हो चुके हैं, उनकी दवा-दारू के लिए कुछ नहीं बताया। बैलों की जोड़ी आज कल ५००), ६००) रुपये से कम नहीं मिलती, जहां बयाना तहसील ने अकेली ने दो लाख रुपया बैलों की तकावी के लिये मांगा। वहां ७० हजार रुपया देना मैं समझता हूँ बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं कहा जा सकता। वहां के तहसीलदार ने ८० हजार रुपया चाहा था, किन्तु वहां सिर्फ १४ हजार रुपया दिया। इसलिए जो पशुओं की तकावी के लिए ७० हजार रुपया दिया गया है, वह बहुत नाकाफी है। बीज भी वक्त पर नहीं दिया जा रहा है। दवा-दारू का ठीक इन्तजाम नहीं। जिन गांवों में लोग मलेरिया से ग्रस्त हैं, वहां पर भी दवा पहुंची नहीं। जहां पुरानी कहावतोंके अनुसार दूध की नदियां बहती थीं, आज वहां हालत यह है कि बीमार व्यक्तियों के लिए भी दूध नसीब नहीं होता। दवा-दारू जहां नही पहुंच पाई, मवेशियों के लिये जहां चारा नहीं पहुंचा। लोगों को समय पर बीज नहीं मिल रहा है। अगर आज से दस दिन बाद यदि बीज पहुंचा, तो रबी की फसल तैयार होना नामुमकिन हो जायगा। आपके स्टेटमेन्ट देने के बाद वहां के बाढ़ पीड़ित लोगों का जितना नुकसान हुआ, मवेशियों की जो बरबादी हुई, मकानात जो गिरे और जिस तरह से लोग आज वहां के मलेरिया से पीड़ित हैं, उसको देखते हुए आपका जो मलेरिया निरोधक अभियान चल रहा है, वह सिर्फ शहरों तक ही सीमित है, वह अभी तक गांवों तक नहीं पहुंच पाया है। कुछ पंचों को जरूर गोलियाँ बांट दी गई है। होना यह चाहिए कि घर घर लोग पहुंचें, और वहां की स्थिति को देखें। कम से कम दो महीने के अन्दर जब से दूसरी बाढ़ आई है, बहुत कम मौके ऐसे हुए हैं, जिनमें गांवों में आपके अधिकारी पहुंचे होंगे। पशुओं से सम्बन्धित मंत्री महोदय, स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित मंत्री महोदय, इन सब को पूछ कर, इन तमाम चीजों को लेकर कि कितने पशु मरे, कितने चारे की जरूरत है, कितने बीज की जरूरत है, मलेरिया पीड़ित कितने व्यक्ति हैं। इन सब के पूरे आंकड़े एकत्रित किये जायें, जब तक आप इन सब बातों को देख नहीं लेते. तब तक आपका सदन में स्टेटमेन्ट देना पर्याप्त नहीं है।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो स्टेटमेन्ट दिया है वह फ्लड एफेक्टेड एरिया के लिए दिया है। माननीय धौलपुर से आने वाले सदस्य ने जो बात कही, नदबई और नगर के इलाके की जो बात कही, वहां जो नुकसान हुआ है, वह फ्लड के कारण नही हुआ, बल्कि ज्यादा वर्षा के कारण हुआ है। मैंने जिन जगहों का स्टेटमेन्ट दिया, वहां पर नदियों में

Page No.36

(श्री दामोदरलाल व्यास)

बाढ़ आ जाने के कारण नुकसान हुआ है और नदबई नगर और धौलपुर से जो नुकसान हुआ है वह ज्यादा वर्षा के कारण हुआ है, उसके लिए रिलीफ की मन्जूरी अलग से दी गई है।

इसके अलावा माननीय सदस्य ने यह भी बात कही कि मैंने पूरी जानकारी हासिल नहीं की है, इसलिए यह स्टेटमेन्ट पर्याप्त नहीं है। मैं उनसे निवेदन कर दूं कि मैंने जो स्टेटमेन्ट दिया है, उसके बारे में केवल जानकारी ही नहीं, बल्कि मैं खुद वहां गया था और हरेक डिपार्टमेन्ट के अधिकारी और वहां के माननीय सदस्य जो थे, उनके सामने सब डिपार्टमेन्ट के अधिकारियों को हिदायतें दी गई हैं और उसके मुताबिक इन्तजाम भी किया गया है। इसके अलावा मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि अगर किसी प्रकार इन्तजाम में खामी रही है, उसके आप हमें अपने अपने सुझाव दें, उन सुझावों को कार्य रूप में परिणत किया जायेगा जितना भी हुमेनली पोसीबल होगा। वहां अगर किसी प्रकार की केलेमिटी है, तो माननीय सदस्यों का कर्तव्य है कि उनको राहत देने के लिये हम कोशिश करें, मैं कोई जिद नहीं करता कि जो कुछ इन्तजाम किया गया है वह काफी है, जो कुछ गलती रह गई हो उसको दूर करने के लिये हम तैयार हैं, इस सम्बन्ध में आप अपने सुझाव दें, उसको पूरा करने की कोशिश की जायगी।

डॉ बहादुरसिंह (धौलपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि धौलपुर सब डिवीजन में फ्लड की बात है उसके लिए मैं यह निवेदन कर दूं कि छः मील तक पानी का करेन्ट चला, जिसमें धौलपुर तहसील के पचास और बाड़ी तहसील के २० गांवों को बरबाद कर दिया।

श्री दामोदरलाल व्यास : वहां तो वर्षा से ज्यादा नुकसान हुआ है।

श्री अध्यक्ष ; इनकी समस्याओं को भी आप हल करने की कोशिश कीजिये।

श्री दामोदरलाल व्यास: जरूर जरूर।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने बड़ी उदारतापूर्वक बताया है कि इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य अपने सुझाव दें, उन पर अमल करने की कोशिश की जायगी। मैं माननीय मंत्री महोदय को स्मरण दिलाऊं कि हमने इस सम्बन्ध में सुझाव आपके पास बीस रोज पहले ही दे दिये थे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उन सुझावों में किन किन पर अमल किया गया।

श्री दामोदरलाल व्यास : हमने तकावी के लिए रुपया मन्जूर किया, चिकित्सा के लिए मन्जूरी दी, इसके बाद ऐसे कौन से सुझाव हैं जिन पर अमल नहीं हुआ आप बता दीजिये। चिकित्सा के लिए मन्जूरी दी इसके बाद भी ऐसा कौन सा सुझाव है जिन पर अमल नहीं किया गया, आप ही बता दीजिए।

मैंने जो स्टेटमेन्ट दिया है वह फ्लड एफेक्टेड एरिया के लिए था, आप जिन जगहों के लिए कह रहे हैं, वहां तो अधिक वर्षा से हानि हुई है।

डॉ बहादुरसिंह : वर्षा और फ्लड दोनों एक ही बात है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : मैं अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय को जानकारी

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

के लिए जो सुझाव हमने दिये उनको पढ़ कर बताता हूँ। हमने सुझाव नं० २ यह दिया था जहां की जनता के लिए जीविकोपार्जन के साधन नही हैं उनके लिए जीविकोपार्जन के साधन जुटाये जायें।

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, हमने इरिगेशन डिपार्टमेन्ट और पी० डब्लु० डी० को यह हिदायतें कर दी हैं, जहां जहां की सड़कें और बान्ध हैं उनकी मरम्मत के काम शुरू कर दिये जायें ताकि जहा अनएम्प्लोयमेन्ट हों, उनको एम्प्लोयमेन्ट मिल सके।

डॉ बहादुरसिंह : काम जारी हुआ या नहीं।

श्री सूबेदारसिंह (बाड़ी) अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि धौलपुर, जो भरतपुर जिले में बसा हुआ है, वहां खरीफ की फसल बरबाद हो चुकी है, जहां पिछली साल भी खरीफ की फसल खराब हो चुकी थी वहां ज्यादा से ज्यादा बीज दिया जाना चाहिए। आप रबी अभियान का जो आन्दोलन चला रहे हैं, लेकिन जब तक आप पर्याप्त मात्रा में वहां बीज नहीं देते हैं तो यह आन्दोलन सफल नहीं हो सकता और वहां के लोगों की हालत इतनी खराब है कि उनके पास खाने का अनाज तक नहीं, वहां बीज वे कहां से लायेंगे। ऐसी हालत में वहां की जमीन बन्जर पड़ी रह जायगी। आज लोगों की स्थिति यह है कि बीज बोने के लिए उनके पास पैसा नहीं है, अगर पैसा है तो खरीदने के लिए अनाज नहीं है। वहां खाने को अनाज नहीं मिलता। आज सरसों बोने का समय है कि वहाँ सरसों नहीं मिलती। दूसरी बात यह है कि वर्षा की अधिकता के कारण जितने कुए बरबाद हो गये हैं, पानी देने की सुविधा नहीं होगी तब तक फसल अच्छी नहीं हो सकती। राज्य सरकार ने कूओं की तकावी के लिए कोई व्यवस्था नहीं की, उसके अलावा बैलों के लिए भी जो तकावी अलॉट की वह भी आज तक नहीं मिली है।

इस प्रकार से आज बीज की तकावी देनी है, बैलों की तकावी देनी है, वह ठीक समय पर मिल जावेगी तो व्यवस्था ठीक बैठेगी। पर अगर यह कोरी कागजी कार्यवाही ही चलती रही और ये साधन किसान को समय पर नहीं मिले तो आपका यह रबी अभियान फेल हो जावेगा और किसान की हालत खराब हो जावेगी। इसलिये इसमें जल्दी करनी चाहिये, कोरी कागजी कार्यवाही होकर नही रह जानी चाहिये।

दूसरी बात, मन्त्री महोदय के स्टेटमेंट में भरतपुर जिले को ही लेकर कह दिया गया, धौलपुर की तहसीलें नहीं आई। होता यह है कि राज्य कर्मचारी जो वहां जाते हैं, वे इंटीरियर में कभी जाते नहीं, उनकी सवारियां मोटरें या जीपें जहां तक जाती हैं वहां तक या रोड साइड तक वे देख कर चले जाते हैं। उनको मालूम नहीं इन्टीरियर की क्या हालत है। जहां सालाना औसत वर्षा ३०-३२ इन्च है वहां इस साल ५५ और ६० इन्च वर्षा हुई है। कच्चे मकान लोगों के ढह गये, खेत पानी में डूब गये, झोंपड़ियां जमीन से लग गईं। लोग चादर तान कर चौड़े मैदान में पड़े हैं। उन राज्य अधिकारियों ने कोशिश ही नहीं की उन तक पहुंचने की और उनकी हालत का अध्ययन करने की, क्योंकि उनकी हिम्मत नहीं पड़ती उन गांवों में जाने की।

मन्त्री महोदय ने फ्लड एरिया की बात कही है; मैं तो कहता हूँ फ्लड तभी आता है

(श्री सूबेदारसिंह)

जब बारिश होती है, तो जहां बारिश हुई वहां भी उसने उतना ही नुकसान किया है, सारे इलाके को ही अकाल एरिया घोषित करने की लोगों ने मांग की है । उनके पास न खाने को अनाज है, न मवेशियों के लिए चारा ही रह गया है ! बीज बोने के लिए नहीं हैं । यह हालत है उनकी । उन तक हर अधिकारी के पहुंचने की और उनकी मदद करने की जरूरत है । रोड साइड के कुछ गांवों में ही सहायता देने से काम नहीं चलेगा, अन्दर भी उन्हें दवाइयां पहुंचानी होंगी । मलेरिया को वहां भी रोकना होगा, सारी चीजों का प्रबन्ध वहां करना होगा । यह मेरा निश्चित मत है कि अगर इस प्रकार की डिले जारी रही और इन्टीरियर में लोगों तक पहुंचा नहीं गया तो धौलपुर की आबादी वाली जमीन में से १० पर्सेन्ट भी आबाद नहीं हो पावेगी, क्योंकि लोगों की हालत ऐसी नहीं कि उसे आबाद कर सकें, खेतों को सुधार सकें, उनमें फसल बो सकें और मलेरिया वगैरह बीमारियों से अपना बचाव कर सकें ।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : जो स्टेटमेंट दिया गया है वह इन्कम्पलीट है । इसमें रिहैबिलिटेशन और रिलीफ के लिये तो कह दिया, पर जो फ्लड है उसको आउस्ट करने के लिये आगे क्या स्टैप लिये जा रहे हैं, उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है । यह या तो इरिगेशन मिनिस्टर फरमावें या रेवेन्यु मिनिस्टर फरमावें । इस बारे में कुछ मालूम पड़े तो ठीक रहे ।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं सदन की जानकारी के लिये यह बता देना चाहता हूँ कि फ्लड भरतपुर में आइन्दा न आ सके, इसकी रोकथाम के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से इन्जीनियरों की टीम आई थी । उसने सारी जगह को एग्ज़ामिन किया है और अब अपने सुझाव तैयार कर रही है । उन पर गवर्नमेंट एक्शन लेगी । इस टीम के बारे में माननीय सदस्य स्वयं भी जानते हैं । उनके सामने उस टीम ने जगह जगह जाकर देखा है, लेवलिंग लिया है और अब जो वे कार्यवाही बता रहे हैं वह हो रही है । इन्फोर्मेशन कलेक्ट की जा रही है । जो टैक्निकल एडवाइज़ आवेगी हम उस पर एक्शन लेंगे ।

श्री मदनसिंह दांता (दांता रामगढ़) : वर्षा नहीं होगी अब ?

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्वमंत्री) : फ्लड नहीं आवेगा, वर्षा नहीं आने की नहीं कहता ।

(हंसी)

फ्लड के मुतल्लिक जो सुझाव वे देंगे वे मेजर्स हम अडॉप्ट करेंगे, मैं तो यह अर्ज कर रहा हूँ । फिर जितनी स्थिति आप बता रहे हैं मैं उससे सहमत नहीं हूँ । मैं स्वयं भरतपुर गया, धौलपुर के सदस्य को भी बुलाया था । बहादुरसिंहजी आये थे, उनसे बातचीत की थी । उन्होंने सन्तोष जाहिर किया था, जो काम किया जा रहा है उससे ऐसी स्थिति में यह उचित न्याय नहीं होगा वहां के अधिकारियों के साथ कि वे एफर्ट नहीं कर रहे हैं । मैं समझता हूँ कि बराबर उनका ध्यान है इस काम की तरफ । बराबर रिपोर्टें यहां भेजते हैं, एक्शन भी लेते हैं हमारी हिदायतों पर । उनकी तरफ की ढिलाई की बात गलत है । मैं आया तब ऐसी कोई बात मुझे नहीं बताई गई, बताते तो मैं वहीं एक्शन लेता । फिर भी आज बताई तो मैं उनको देखूंगा और जहां करने का होगा करने की कोशिश

Page No.39

(श्री दामोदरलाल व्यास)

करूंगा। मेरा कहने का यह मतलब नहीं कि धौलपुर में नुकसान नहीं हुआ। नुकसान हुआ है वर्षा से। मैंने यह स्टेटमेन्ट फ्लड के मुतल्लिक दिया है। वैसे वर्षा से गंगानगर में भी बहुत नुकसान हुआ है, वहां हजारों मकान गिर गये हैं। वर्षा से मकानों का गिर जाना, फसल का चौपट हो जाना दूसरी बात है और फ्लड दूसरी बात है। मैं फ्लड के मुतल्लिक कह रहा हूँ। आज का स्टेटमेन्ट सिर्फ फ्लड के मुतल्लिक दिया गया है। इसका मतलब यह नहीं कि धौलपुर में नुकसान नहीं हुआ। वहाँ भी हुआ, गंगानगर में भी हुआ, जहां अधिक वर्षा हुई, वहां सभी जगह कम-बेश नुकसान हुआ है।

श्री गोवरधनसिंह केन (बयाना) : अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंत्री जी ने जो स्टेट-मेन्ट दिया है उसमें यह बतलाया गया है कि ३० हजार रुपया हरिजनों के लिये सहायता रूप में समाज कल्याण विभाग से दिया गया है। यह बहुत खुशी की बात है। पर जहां दो लाख हरिजन बसते हैं वहां यह सहायता बहुत कम है। भरतपुर जिले के हरिजनों की हालत आज बहुत बुरी दशा में है, उनकी तरफ राज की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अब जो तकावी वगैरह बीज आदि को दिया गया है, वह भी नाम मात्र का दिया गया है। वहां की स्थिति को देखते हुए वह ना के बराबर है।

वहां हरिजन पहले से ही नीचे से नीचे स्थान पर रहते आये हैं और नीचे स्थान पर होने से स्वभावत: बाढ़ का भीषण प्रकोप सबसे अधिक उन पर ही हुआ है। आज उनकी यह हालत है कि उनके रहने के लिये न झौंपड़ों की व्यवस्था है, न दवा-दारू की व न खाने पीने की। आज भी वे उसी दशा में पड़े हैं। अगर मन्त्री महोदय हरिजनों के मौहल्लों में जाते और उनकी दशा अपनी आंखों देखते तो मालूम हो सकता था कि किस तरह से वे तड़प रहे हैं। आज वे हर दिशा में पिछड़े हुए ही हैं। बीज वगैरह की तकावी भी उनको ही मिलती है जिनके पास आज भी सब कुछ मौजूद होता है। वास्तव में जो गरीब और जरूरतमन्द हैं उनको नहीं मिलती। अगर सरकार इसकी सही व्यवस्था करे तभी उनकी मदद हो सकती है, वरना नहीं। यह जो तीस हजार रुपया देने की बात है वह भी कब दिया जावेगा इसकी भी जल्दी दिये जाने की उम्मीद नहीं है। आज दूसरी जगह फसल की बुआई हो गई है, फसल उग भी आई है, पर वहां अभी तैयारी भी नहीं हो रही है।

इसलिये मैं मन्त्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वे इस इलाके का दुबारा दौरा करें और वहां के जो कार्यकर्त्ता हैं, वहां के पंचायत के आदमी हैं उनसे सुझाव लें और उनके आधार पर व्यवस्था की जावे तो उत्तम होगा। इससे स्थिति का कुछ सही हल हो सकेगा।

श्री अध्यक्ष : लेजिस्लेटिव बिज़नेस,

१२.३८ म. प.

राजस्थान पशु-रोग विधेयक, १९५८

(अग्रेतर खण्डश: विचार-विमर्श)

श्री अध्यक्ष : राजस्थान एनीमल डिज़ीजेज़ बिल, १९५८ के क्लॉज ७ पर बहस हो रही थी।

श्री दयाकृष्ण विजय।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : माननीय अध्यक्ष, राजस्थान पशु रोग विधेयक के क्लॉज़ ७ के उपखण्ड (४) पर विचार चल रहा है।

उपखण्ड (४) के अन्तर्गत इस प्रकार का प्रावधान रक्खा गया है कि जो पशु किसी स्पेडिफाइड रास्ते से स्पेडिफाइड सीज़न में आवेगा उनको यदि किसी प्रकार की डिज़ीज चल रही है तो मजबूरी करके उसको वैक्सीनेट करने के लिये रोका जावेगा और स्टेशन पर रक्खा जावेगा। उसके चारे आदि की निगरानी रखने की व्यवस्था उनको रखनी होगी जो लेकर आये हैं। मेरा इसमें सुझाव है कि यदि ऐसे मार्ग पर जहां पर कि स्पेसीफाइड स्टेशन रक्खा है वहां यदि चरागाह का इन्तजाम नहीं है, यदि पानी का इन्तजाम नहीं है तो ले जाने वाला अगर गरीब हुआ तो वह कुछ भी व्यवस्था नहीं कर सकेगा ; न वैक्सीनेशन की फीस दे सकेगा, न चारे-पानी और ठहरने की व्यवस्था होगी।

तो इसलिये मैं इसमें संशोधन चाहता हूँ कि यह सारा भार सरकार उठाए। कम से कम वैक्सीनेशन का खर्चा सरकार को उठाना चाहिये और चारे-पानी की व्यवस्था सरकार न कर सके तो कम से कम सेन्टर ऐसी जगह रक्खा जावे जहां इन दोनों की उपलब्धि आसानी से हो सकती हो।

चारे के भण्डार रखे जायें ताकि जब कि पशु वहां पर रोकने के लिए उनको कहा जाये तो पशु भूख से मर न जायें और उनको समय पर चारा मिल सके। जैसा रखा गया है कि क्लॉज़ ७ इस तरह से है :

"Establishment of Quarantine stations :

(1) The State Government may establish quarantine stations for the inspection and detention of animals along the routes specified under sub section (2) of Section 5........."

क्लॉज़ ५ में यह है :

"(2) For the purpose aforesaid, the State Government may, by like notification, specify the season or seasons during which and route or routes by which any animals may be brought into the State and no person shall bring such animals into the State otherwise than during the season and by the route so specified."

ऐसे स्पेसीफाइड सीज़न के अन्दर एनीमल्स को रखा जाये तो उनको डिटेन की पॉवर्स दी गई हैं। क्लॉज़ के उपखण्ड (२) के अन्दर इस प्रकार हैं :

"(3) All animals inspected or detained at a quarantine station shall be liable :

(a) to be vaccinated against any scheduled disease if in the opinion of the officer in charge of such station it is necessary to do so; and

(b) to be marked in the prescribed manner.........."

और उप खण्ड (४) इस प्रकार हैं :

"(4) The animals detained at a quarantine station shall remain under the care of the person in charge who shall be responsible for their feeding and upkeep and for the payment of such fee for their vaccination and marking as may be prescribed."

(श्री दयाकृष्ण विजय)

मेरी आपत्ति इस जगह है। यह उसकी रेस्पोन्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए, यह रेस्पोन्सिबिलिटी तो इन्सपेक्टर के ऊपर होनी चाहिए, जो कि स्टेशन के ऊपर रखा गया है और ऐसे स्टेशन्स स्थापित करने से पूर्व हमें इस प्रकार की योजना बनानी चाहिए कि हम वहां पर उन आये हुए पशुओं को रख सकें और उनके लिए चारे, पानी और दवाइयों की व्यवस्था कर सकें। आगे इसमें लिखा है कि जब हम सरकार की ओर से ऐसा कदम उठा रहे हैं कि जो एपीडेमिक डिज़ीजेज़ हैं, जो संक्रामक रोग हैं, उनसे हम पशुओं को मरने से बचाना चाहते हैं तो ऐसे रोगों को रोकने के लिए हमें पैसा खर्च करना होगा। इन दोनों संशोधनों को रखते हुए कल भी मैंने चर्चा की थी कि धारा ४ के अन्दर ऐसा संशोधन रखा जावे और जो माननीय सदस्य ने संशोधन प्रस्तुत किया है, उसका मैं समर्थन करता हूँ।

श्री अध्यक्ष : डॉ० बहादुरसिंह।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : माननीय अध्यक्ष, जो माननीय सदस्य श्री पी० के० चौधरी ने संशोधन प्रस्तुत किया है धारा ७ की उप-धारा (४) में, इसका मैं समर्थन करता हूं और इसके समर्थन में मेरा सिर्फ इतना ही निवेदन है कि इस प्रकार से जो क्वैरन्टाइन बनाया जायगा और उसमें जो पशु रखे जायेंगे उनके फीडिंग का, उनके चारे का, उनके वैक्सीनेशन का और मार्किंग का जो भी खर्चा हो वह किसान से लिया जावे, वह उससे लिया जायेगा जिसके कि वे पशु होंगे। इस सम्बन्ध में यही कहना चाहता हूं कि जब हम यह देखते हैं कि हमारे इलाके में मारवाड़ के इलाके से पशुओं के एक-एक हजार जत्थे जाते हैं और उन जत्थों में कुछ पशु बीमार भी होते हैं और अगर उन बीमार पशुओं के साथ-साथ उनके सारे पशुओं को डिटेन किया गया कुछ दिन के लिए भी, तो उन गरीबों की क्या स्थिति होगी? एक हजार पशु जो कि जंगल में रुक जाते हैं वे चरते रहते हैं और पशुपालकों का कोई खर्च नहीं पड़ता है, सिर्फ उस व्यक्ति का ही जो कि उन पशुओं के साथ जाता है उसी का खर्च होता है और यदि वह क्वैरन्टाइन में जाता है और एक पशु के ऊपर एक रुपया भी खर्च पड़ा तो उसका एक हजार रुपया प्रति दिवस का खर्च होगा और इस तरह से यदि उस व्यक्ति को पाँच-सात रोज़ रोका गया तो आधे पशु तो उसके वैसे ही बिक गये समझो। माननीय अध्यक्ष, इस सम्बन्ध में इतना ही निवेदन है कि चारा और दूसरी सहूलियतें देना क्वैरन्टाइन का कर्त्तव्य है। यदि राज्य सरकार वैक्सीनेशन की, मार्किंग की और चारे की व्यवस्था करे और क्वैरन्टाइन जंगल में बनाये तो पशुओं की सेवा हो सकती है। मेरे ख्याल से चारे की और वैक्सीनेशन की फीस वगैरह नहीं होनी चाहिए। मेरा सिर्फ इतना ही निवेदन है।

श्री मदनसिंह दांता (दांता रामगढ़) : माननीय अध्यक्ष, इस सम्बन्ध में मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता। मैं इस चीज का समर्थन करता हूं कि यह वैक्सीनेशन तो फ्री होना चाहिए, कारण कि सरकार इधर तो हर एक सुविधा देती है और कारण ऐसा रख देती है कि वह सुविधा दुविधा के रूप में हो जाती है। कारण यह कि अगर इस प्रकार से पशुपालकों को एक्सपेन्सेज़ देने पड़ेंगे तो वहां पर कोई पशु लायेगा ही नहीं। इसलिये मैं समझता हूं कि सरकार की तरफ से इसका खर्चा होना चाहिए तो पशुओं की सेवा होगी, अन्यथा हम तो यह नहीं समझते कि कोई पशु जो बीमार है वह अपने आप वहां पर

(श्री मदनसिंह)

आकर अपना वैक्सीनेशन करवायेगा । इसलिए मैं कहता हूँ कि वैक्सीनेशन व दवाइयों का खर्चा तो गवर्नमेन्ट का ही होना चाहिए ।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : माननीय अध्यक्ष, जो संशोधन रखा गया है उसका मैं विरोध करता हूं । क्वैरन्टाइन इसलिए रखे जाते हैं कि बीमारियों को फैलने से रोका जाये । वैसे भी जब कभी मनुष्यों में बीमारी फैलती है तब भी क्वैरन्टाइन मुकर्रर की जाती हैं और वहाँ पर दवाइयां वगैरह सरकार की ओर से जरूर दी जाती हैं, लेकिन वहां पर रहने का खर्चा तो वही देते हैं जो वहां रहते हैं । अगर इस संशोधन को मान लिया जाता है तो जैसा कि संशोधन प्रस्तुत करने वाले सदस्य ने और दूसरे भी सदस्यों ने बताया कि हजारों की संख्या में पशु जो इधर-उधर ले जाते हैं और वहाँ रुक जायेंगे तो उनका खर्चा बढ़ेगा । लेकिन दूसरी ओर सरकार की स्थिति क्या होगी, किस किस प्रकार से वह खर्चा मीट आउट करेगी, यह नहीं सोचा है । उसमें लिखा है कि उनके अपकीपव खर्चे के लिए सरकार खर्च करे । इस तरह से अगर सरकार करती है तो यह होगा कि जो हजारों की संख्या में पशु आते हैं उनकी रखवाली भी सरकार को ही करनी होगी, ऐसा प्रश्न बाद में उठ सकता है । मेरे ख्याल से यह बिल्कुल ही सरकार के लिए इम्पोसीबल होगा । मान लीजिए किसी आदमी को एक जगह से दूसरी जगह पशु ले जाने में अगर १५ दिन भी लगते हैं तो एक दिन क्वैरन्टाइन में रोका जायेगा तो क्या हुआ, जहाँ वह १५ दिन के लिए खर्च कर सकता है वहां १६ दिन के लिए भी वह खर्च कर सकता है । इस तरह हजारों की संख्या बताकर खर्च बढ़ जाने की बात जो कही गई है वह ठीक नहीं है । वेक्सीनेशन के बारे में तो मैं आपको बताऊं कि हमारी स्टेट दरअसल में एक वैल्फेयर स्टेट है और मेरा ख्याल है कि सरकार का यह मकसद नहीं है कि मामूली वेक्सीनेशन के लिए भी सरकार उनसे पैसा लेगी । हां, कहीं कोई बड़ी भारी एपीडेमिक बीमारी फैल जाये और उसमें सरकार का पैसा अधिक खर्च हो, इस दृष्टि से यह फीस लेने का प्रोविजन रख दिया गया है वर्ना हमारी वैल्फेयर स्टेट है, और जहां भी बीमारी फैलती है वहां सरकार उसे रोकने का प्रयत्न करती ही है ।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : I understand that the Hon'ble Member supports the motion that free vaccination should be there.

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : अध्यक्ष महोदय, यह जो पशु रोग सम्बन्धी विधेयक सदन में प्रस्तुत किया गया है और जो इसके क्लॉज़ ७ के सब क्लॉज़ (४) में संशोधन यहां प्रस्तुत किया गया है, इसका मैं समर्थन करता हूँ । वह समर्थन मैं इस आधार पर करता हूँ कि इसमें जो व्यवस्था की गई है रोगी पशु एक विशेष स्थान पर रखने की, वह मेरे ख्याल से किसी एमर्जेन्सी के लिए रखी गई है, और जहां कोई आवश्यक चीज़ होती है, वहां पर उस पर खर्चा होता ही है । उदाहरण के तौर पर यदि हम अपने राज्य के अन्दर अनिवार्य शिक्षा करना चाहते हैं कि हर एक मात-पिता अपने बच्चे को पढ़ाये; यह तो खैर होना भी चाहिए एक कल्याणकारी राज्य के लिये, मगर उसके साथ में यह भी रख दें कि हर एक माता-पिता को बच्चे को पढ़ाना चाहिए और उन्हें शुल्क भी देना होगा, तो मैं समझता हूँ कि जिस

Page No.43

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

सिद्धान्त से नियम बनाये जाते हैं उससे उस सिद्धान्त की पूर्ति नहीं होती है। यहां भी यदि यह नियम इस रूप में होता कि अगर कहीं पर बीमारी फैली है और अपने अपने घरों पर जो पशुपालक हैं, वे घरों पर रहने का खर्चा तो स्वयं दें और दवा-दारू के लिए अगर उसकी कोई कीमत सरकार नहीं ले, वहां तक तो यह ठीक था, लेकिन जब कि एक पशुपालक और जो खास तौर से ऐसे इलाके में है, जोधपुर, बीकानेर जैसी मरुभूमि में है, वहां से वह चलता है तो कोई उनके पास धन थोड़े ही होता है। मैं समझता हूँ कि वे गांवों गांवों में घूमते जाते हैं और रास्ते में अपने पशुओं को चराते जाते हैं और फिर गांवों में ही थोड़ी चीज खरीदकर मोटी-मोटी चीजें खरीद लेते हैं और खा लेते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता है। अगर उनके पशुओं को वहां पर चार दिन के लिए भी रोका जाये और फिर उनको कहा जाये कि यहां पर उसको चारे के खर्चे के साथ साथ दवाइयों का भी खर्चा देना होगा, तो मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर एक बहुत बड़ा आघात होगा। वह एक गरीब किसान और एक पशुपालक है, जो अपने वहां चारे की कमी रहने के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाता है कि उसे पर्याप्त चारा मिल सके, मगर उसको मार्ग में रखकर हम उसके साथ अन्याय कर रहे होंगे। मैं समझता हूँ कि न मालूम कैसे जब कि एक विशेष समिति ने इसको देखा, उसकी नजर से ऐसी महत्वपूर्ण बात कैसे छूट गई। हम वैसे भी देखते हैं कि हमारे देश में पुराने वक्त में प्लेग बहुत फैलता था, तो ईश्वर की कृपा से प्लेग नहीं फैलता है, तो शहर या गांव के पास क्वैरन्टाइन बनाई जाती थी और वहां पर लोगों को ले जाते थे और दवा-दारू की व्यवस्था सरकार करती थी। पिछले साल फ्लू फैला था तो स्टेशन से जो लोग आते थे, तो उनके टीका लगवाया जाता था। अभी नायला में कॉलेरा फैला, तो आगरा साइड से लोग आते थे, तो टीका लगाना पड़ता था। मुझे ध्यान नहीं पड़ता है कि कॉलेरा के टीकों के लिए हमें पैसा देना पड़ा हो। मैं समझ नहीं सकता हूँ कि मनुष्यों के लिए व्यवस्था हम ऐसी कर सकते हैं कि दवा-दारू मुफ्त में दी जाय परन्तु पशु जो इतनी बड़ी तादाद में वहां से निकलेंगे, मैं समझता हूँ कि उनकी दवा दारू के लिए पब्लिक पर बोझा डालें। इस प्रकार तो कानून पास करने में कोई बात नहीं है, हम यहां बैठे-बैठे कर सकते हैं; लेकिन जब यह अमल में आयगा तो यह उन लोगों को बहुत असुविधा का सामना करना पड़ेगा। जनता के प्रतिनिधि की हैसियत से, माननीय मन्त्री महोदय भी उसी प्रतिनिधित्व की हैसियत से हैं, हमको इस विषय में काफी गम्भीरता से सोचना चाहिए, उसको खाने-पीने का देखना पड़ेगा। यदि दवाइयां का हम माफ करते हैं तो भी सारे पशु तो बीमार नहीं होंगे, उनमें से कुछ बीमार हो सकते हैं, लेकिन पशुपालक को सारे पशुओं को रखना पड़ेगा। अगर ऐसा स्थान जयपुर जैसे शहर के आसपास हो, जहां न तो भूसा और चारा मिलता है और अगर मिलता है तो बड़ा तेज मिलेगा। तो वहां के लिए यदि हम व्यवहारिक दृष्टि से देखते हैं तो कहां तक सम्भव है कि पशुपालक अपने मवेशियों को खिलाने-पिलाने की व्यवस्था कर सकेगा। जिस लिये वह जा रहा है पशुओं को बचाने के लिए, वह बचा सकेगा या कुछ पशु रास्ते में ही खत्म हो जायेंगे। इस दृष्टि से मैं समझता हूँ कि माननीय मन्त्री महोदय इसी

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

दृष्टि से विचार करेंगे और जो संशोधन श्री पी० के० चौधरी ने प्रस्तुत किया है, इसको मन्जूर करेंगे ।

१२. ५२ म० प०

(श्री निरन्जननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री रामचन्द्र : उपाध्यक्ष महोदय, आज जो सातवीं क्लॉज़ के चौथे भाग पर श्री चौधरी जी ने जो अमेन्डमेंट पेश किया है उसमें यह बतलाया गया है कि क्वैरन्टाइन में जो पशु रखे जायं उनके खाने, पिलाने और दवा-दारू की सारी व्यवस्था पशुओं के मालिक पर रखी जायं । उपाध्यक्ष महोदय, इस विषय पर विचार करने से पहले हमें इसका विश्लेषण इस प्रकार से करना होगा कि क्वैरन्टाइन एक टेम्पोरेरी आइसोलेटेड जगह होती है जो कि शहरों या गांवों से प्राय: दूर होती हैं । ऐसे स्थान पर प्रत्येक मनुष्य के लिए अपने जानवरों को खाने-पिलाने का प्रबन्ध करना बड़ा मुश्किल है । ऐसे पशुओं के मालिक के ऊपर यह बन्धन लगा दिया जाय कि अगर उनके पशुओं को क्वैरन्टाइन में रखा जाय तो उनके खाने-पिलाने का सारा भार उनके ऊपर पड़े, मैं यह समझता हूँ कि ऐसे स्थान पर जब कि किसान अपने पशुओं को लेकर बाहर किसी मेले या हाट में जा रहा है और रास्ते में उसको ऐसे स्थान पर रोक लिया गया है जहां कि उसकी जान-पहिचान वाला और उसको सहायता देने का कोई भी साधन नहीं है, ऐसे स्थान पर उसके लिए पशुओं के चारे-पानी का इन्तजाम करना, मेरे ख्याल से, बड़ा मुश्किल हो जायगा । इसलिए मैं यही निवेदन करूंगा कि ऐसे क्वैरन्टाइनमें ऐसे पशुओंको रोक लिया जाय तो वे पशु जो केवल इन्फेक्टेड हैं उनके वास्ते सरकार खाने-पिलाने का प्रबन्ध करे । बाकी जो पशु स्वस्थ हों उनके वास्ते मालिक पशु ही प्रबन्ध करें, क्योंकि यदि कोई मनुष्य १०० जानवरों को लेकर जा रहा है और उसमें से ५ जानवर इन्फेक्टेड हैं तो यह आवश्यक नहीं कि सरकार १०० जानवरों ही के लिए प्रबन्ध करे । जैसा कि अगर एक पार्टी कहीं सफर कर रही है और प्लेग या कॉलेरा से इन्फेक्टेडएरिया में से आरही हैं, और रास्ते में एक को कॉलेरा हो गया तो सरकार केवल एक मनुष्य को ही डिटेन करेगी, न कि तमाम उसके साथियों को । इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि यदि सरकार के ऊपर इस तरह का भार रखा जाय कि सारे पशुओं को खाने पिलाने का भार सरकार अपने ऊपर ले तो मैं उचित नहीं समझता हूँ । सरकार केवल उन्हीं पशुओं के लिए इन्तजाम करे जो कि इन्फेक्टेड हैं ।

दूसरा सवाल है कि दवाओं का यह भार मालिक पशुओं पर रखा गया है, इसको जरूर बड़ी गम्भीरता से दूसरी तरह से देखना होगा । आजकल बीमारियों को रोकने के लिए मनुष्यों को वैसे ही फ्री वैक्सीनेशन लगाये जाते हैं । जब कि जानवरों में ऐसी बीमारियां आ जाती हैं तो उनकी रक्षा के वास्ते और और दूसरे जानवर जो कि साथ में रहते हैं उनकी रक्षा के वास्ते फ्री वेक्सीनेशन लगाना सरकार का कर्त्तव्य हो जाता है । इसलिए वैक्सीनेशन आदि के चार्जेज़ मालिक पशुओं से नहीं लेना चाहिए ।

इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि जैसा कि प्रस्ताव में संशोधन किया गया है उसको इस प्रकार माना जाय कि जो इन्फेक्टेड

(श्री रामचन्द्र)

एनीमल्स हैं उनके खाने-पिलाने का खर्चा सरकार पर हो और वेक्सीनेशन आदि दवाइयें फ्री दी जायं।

१. म. प.

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्लॉज ७ में जो सब क्लॉज (२) है उसमें जो संशोधन हैं उसके बारे में मेरा निवेदन है कि इस पर विचार करने से पहले सारे क्लॉज को पढ़ना होगा क्योंकि इस क्लॉज के सभी हिस्से एक दूसरे से सम्बन्धित हैं। यदि हम सब क्लॉज (३) को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि वह पीरियड प्रेस्क्राइब किया जायगा। जहां रूल्स के बाबत अभी हमने नहीं सोचा है वे रूल्स आगे बनाये जायेंगे और पीरियड प्रेस्क्राइब किया जायगा ? लेकिन जब यह पीरियड प्रेस्क्राइब किया जायगा या रूल्स बनाये जायेंगे उस समय धारा सभा के सदस्यों की कोई राय नहीं ली जायगी और उसके लिये यह होगा :

"(3) The period of detention of animals at a quaraintine station for the purpose of inspection, vaceination and marking shall be such as may be prescribed."

And that period will be prescribed by the rules. तो पहली बात यह है कि सब क्लॉज (३) के अंतर्गत हमें रूल्स बनाने होंगे, जिनके आधार हम पशुओं को रोक सकेंगे। और किस लिये ? बीमारी के लिये नहीं बल्कि इन्सपेक्शन के लिये, वेक्सीनेशन के लिये, और मार्किंग के लिये। यदि आप बीमारी के कारण पशुओं को रोकते हैं तो अलग प्रश्न हो जाता है लेकिन आप रोकते हैं दूसरे काम के लिये। क्लॉज ५ (२) में आपने लिखा है : "It will be within the power of a Veterinary Surgeon or Inspector to vaccinate or inoculate any sick or unhealthy animal or to undertake the treatment of a sick animal which he would think fit in the interest of other animals or to safe-guard the animal wealth of the country." और उसके आगे क्या लिखा है : "for the purpose aforesaid, the State Government may, by like notification, specify the season or seasons during which and the routes or routes by which any animals may be brought into the State..." आपने एक बाधा रखी है और वह यह कि जो जानवार लाया जायगा वह पर्टिकुलर रूट से लाया जायगा और जानवर रखने वाला आदमी किसी दूसरे रूट से ले जाना चाहता है तो वह नहीं ले जा सकता। मान लीजिये आपने नोटिफिकेशन में कोई रूट रखा लेकिन अनपढ़ लोग नहीं जान सकते कि उनको इस रूट से उनकी गायें, भेड़, बकरिया आदि ले जानी हैं। जोधपुर डिविजन में हमने देखा है कि अलग अलग रास्ते से लोग अपने मवेशी निकालते हैं लेकिन क्लॉज ५ (२) में आप यह घोषणा करते हैं कि नोटिफिकेशन द्वारा जो रूट तय किया जायगा उसी रूट से वे ले जा सकेंगे। उनको पहली तकलीफ तो यह होगी कि जो नोटिफिकेशन निकालेंगे उसको वे पढ़ नहीं सकेंगे। उसको यह इल्म नहीं हो सकेगा कि उस व्यक्ति विशेष को अपने मवेशी ले जाने के लिये पर्टिकुलर रूट तय हुआ है। जोधपुर डिविजन में जब वर्षा नहीं होती है तो लोग अपने मवेशी सैकड़ों कि तादाद में भिन्न भिन्न रास्तों से बाहर निकालते हैं। तो पहली बात तो यह है ५ (२) के अन्तर्गत तय हुए रास्ते से चलना होगा। दूसरी बात यह है कि

Page No.46

(श्री मूलचन्द डागा)

धारा ७ (३) में जो डिटेन्शन होगा वह अनिश्चित समय के लिये होगा । मान लीजिये कि किसी के पास २०० या ५०० मवेशी हैं, आप सोच सकते हैं कि उन जानवरों को चराने और पानी पिलाने का साधन तो उपलब्ध होना ही चाहिये । क्या आपके काश्तकार या चरवाहा मवेशियों को बाहर ले जाते समय दौलत भी साथ लेते जायेंगे ताकि वे उसे रास्ते में मवेशियों के लिये खर्च कर सकें और आप आगे लिखते हैं :

"The animials detained at a quarantine station shall remain under the care of the person in charge who shall be responsible for their feeding and upkeep and for the payment of such fee for the vaccination and marking as may be prescribed."

फिर वेक्सीनेशन और मार्किंग आदि के लिये भी उनको अपना ही खर्चा देना होगा । मेरे पूर्व वक्ता ने कहा था कि जो तन्दरुस्त जानवर हैं उनको नहीं रोका जाय, लेकिन एक गांव में जितने भी मवेशी होते हैं उन सब को लेकर एक या दो आदमी जाते हैं । सारे गांव के मवेशियों की तादाद २००, ३०० या इससे भी ज्यादा हो जाती है, उनमें से सब के सब तो तन्दुरुस्त नहीं हो सकते । वे लोग अपने रास्ते से पशुओं को ले जाते है, उनको रोकेंगे तो वेक्सीनेशन आदि के लिये उनको ही पैसा देना होगा, चराई का भी पैसा उनको देना होगा, घासमारी का भी पैसा उनको देना होगा और उस हालत में भी जब वे दुष्काल के कारण मवेशियों को लेकर बाहर निकलते हैं, ऐसी हालत में वे कैसे पैसा दे सकेंगे ? फिर आपके स्वयं के पास भी इतना स्टाफ नहीं कि आप १० हजार जानवारों का इन्सपेक्शन जल्दी ही कर सकेंगे या उनके टीके जल्दी लगा सकेंगे । यह तभी हो सकेगा जब आप २५ डाक्टर्स या इन्सपेक्टर्स एक स्थान पर रख सकेंगे । लेकिन आपके पास इतने आदमी होंगे नहीं । आपके पास केवल दो-तीन आदमी होंगे, ऐसी हालत में उनकी जांच करने में ५-७ दिन लग जायेंगे और आप यह भी अवाज लगा सकते हैं कि यदि आपके कर्मचारी सेवाभावी नहीं होंगे तो वे नाजायज फायदा भी उठा सकते हैं क्योंकि हजारों की संख्या में जानवर इकट्ठे होंगे और आपके दो-चार सर्जन्स या इन्सपेक्टर्स इकट्ठे हो जायेंगे तो भी जल्दी करना पोसिबल नहीं होगा ।

इसके अलावा अपके पास मार्ग निश्चित होना चाहिये । आपके पास दो-चार मार्ग निकलने के लिये निश्चित हों तो भी उचित नहीं है । जोधपुर डिविजन में कई तहसीलों में हर साल हजारों लोग अपनी मवेशियों को लेकर निकल जाते हैं, उन पर रोक लगा कर आप एक समस्या उत्पन्न कर देंगे । शायद आपने किसी दूसरे स्टेट के एक्ट को देखकर हमारे यहाँ भी यह बिल बना दिया है और आप यह नहीं सोच सके हैं कि हमारे प्रान्त की स्थिति क्या है और हमारे यहां के लोग जिस ढंग से रहते हैं उनको डिफिकल्टीज क्या क्या हैं ? मान लीजिये २० हजार जानवर हैं, उनमें से २ हजार को बीमारी है तो उनके लिये जो रूल्स बनेंगे उनमें यह होगा कि १ माइल के रेडियस में उन जानवरों को नहीं रखा जा सकेगा और जिस रूट से वे जायेंगे वहां पर इन्सपेक्टर उनको रोक देंगे लेकिन बीमार जानवरों का साथ होने से वे भी बीमार हो सकते हैं । इसलिये मैं यह कहूँगा कि आपका सब क्लॉज (४) है क्लॉज ७ का, उसके लिये संभव नहीं है कि आप उसको पूर्णरूप से फोलो कर सकें । इसके अंतर्गत क्वैरन्टाइन डिज़ीज वाले जानवारों

Page No.47

(श्री मूलचन्द डागा)

को रोकेंगे जो उस रूट से आयेंगे उनका वेक्सीनेशन करेंगे और मवेशियों के मालिक से पैसा चार्ज करेंगे। यह बिल्कुल संभव नहीं है। मैं असंभव नहीं कहता, लेकिन संभव नहीं है। यदि राजस्थान सरकार के पास इतना स्टाफ है, इतने डाक्टर्स हैं कि वे हजारों मवेशियों के टीके आदि लगाने का काम एक साथ कर सकेंगे तो बात दूसरी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इतना स्टॉफ नहीं है। अभी तहसील हेड क्वार्टर्स पर भी अस्पताल नहीं खोल सके हैं; तो आप इस काम के लिये इतना स्टॉफ नहीं रख सकते और इसके कारण काश्तकारों को तकलीफ होगी। हमारे यहां से एक-दो आदमी मुश्किल से सारे गांव के मवेशियों को लेकर निकलते हैं ऐसी हालत में मैं निवेदन करूंगा कि इस क्लॉज़ पर और विचार करें। कानून बनाना तो आसान है, लेकिन जब इसको अमली रूप दिया जायगा उस समय काश्तकारों को इससे तकलीफ होगी। वे कहेंगे कि यह किस प्रकार का कानून बना है जिसकी वजह से परेशानी होती है, पर्टिकुलर रूट पर जाना पड़ता है, वेक्सीनेशन के लिए पैसा देना पड़ता है। खाली सब क्लॉज (४) ही नहीं बल्कि इसके दूसरे सब-क्लॉजेज़ भी पारित नहीं होने चाहिये।

श्री मुक्लिलाल मोदी (बैराठ): माननीय उपाध्यक्ष जी, धारा ७ के अन्दर जो उपधारा (४) के अन्दर श्री पी० के चौधरी ने संशोधन रखा है, उस संशोधन का मैं समर्थन करता हूँ। इसमें बताया है कि राजस्थान राज्य से जो पशु बाहर जायेंगे एक जगह से दूसरी जगह, उनके टीका लगाने की व्यवस्था सरकार करेगी। परन्तु उसका खर्चा, जिसका पशु होगा, वह उठायेगा। माननीय उपाध्यक्ष जी, जब कि मनुष्यों के लिए सरकार सब तरह का खर्चा बर्दाश्त करती है तो क्यों जानवरों के लिये सरकार यह खर्चा बरदाश्त न करे। मैं तो यह मानता हूँ कि माननीय हैल्थ मिनिस्टर साहब से माननीय मंत्री जी यह बिल रखवाते कि मनुष्यों का खर्चा सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। बनिस्पत जानवरों का खर्चा बर्दाश्त करेगी एक तरफ तो माननीय मंत्री जी एग्रीकल्चर के लिए हर साल करीब २० करोड़ रुपये का बजट बनाते हैं और कहते हैं, तकावी लो, यह करो, वह करो, दुनियां भर का पैसा इसमें खर्च किया जाता है, खेती के लिए और दूसरी तरफ उन किसानों के ऊपर, उन काश्तकारों के ऊपर एक बोझा लादते जाते हैं कि जानवरों के टीका लागने के लिये, या उनको रोक कर जो घास चराई जावगी, उसका खर्चा जो होगा, वह खर्चा भी उसके मालिक को उठाना पड़ेगा। यह कहां तक उचित है ?

दूसरी बात यह है कि जब कोई आन्दोलन चलता है राजस्थान के अन्दर, उस आन्दोलन में लाखों रुपया सरकार खर्च करती है और लोगों को जेल में ले जाकर बिठाती है...

श्री उपाध्यक्ष : जानवरों का अन्दोलन नहीं चला है, राजस्थान में।

श्री मुक्लिलाल मोदी : जानवरों का भी अन्दोलन होगा, महाराज !

(हंसी)

अभी शुरूआत की है माननीय मिनिस्टर साहब ने माननीय उपाध्यक्षजी जब मनुष्यों को जेल में ले जाकर लाख रुपया सरकार खर्च करती है, लेकिन जानवरों के लिये आज तक राजस्थान के अन्दर किसी तरह का एक्ट नहीं बना था। इसलिए राजस्थान के अन्दर जानवरों के बारे में कोई आन्दोलन शुरू नहीं हुआ था। जब राजस्थान सरकार इस तरह का

Page No.48

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

एक्ट बनाकर उन किसानों के ऊपर बोझ लाद रही है, जिन किसानों को आज तक एजुकेशन का भी पूरी तरह से ज्ञान नहीं है, इसके बावजूद भी उन किसानों के ऊपर इस तरह का कानून बना कर भ्रष्टाचार को ज्यादा फैलाने और राजस्थान की इस गरीब जनता के ऊपर दिन पर दिन टैक्स लगा कर आज इस तरह की चीज पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि लोग हमेशा के लिये परेशानी और दुःख के अन्दर पड़ जाय। जो राजस्थान में आज के २० वर्ष के पहले जितनी संख्या में जानवर पैदा होते थे, वे आज पैदा नहीं होते। माननीय मंत्रीजी इस बात की जाँच कर लें, अगर मैं गलत कहता हूं तो इसकी जांच कर लें। मैं यह भी बताता हूं, उपाध्यक्ष जी, माननीय मंत्रीजी को कि जब कि आज लाखों बकरियां राजस्थान के बाहर चली गई हैं, और बाहर से खाद मंगा कर राजस्थान के एग्रीकल्चर में डालते हैं। आज राजस्थान में खाद पैदा होना बन्द हो गया है......

श्री उपाध्यक्ष : आप विषय से परे जा रहे हैं।

श्री मुक्तिलाल मोदी : तो साहब, अगर पशुओं के बारे में न बताऊं।

(हंसी)

तो माननीय मंत्री जी मानेंगे कैसे ?

(हंसी)

ऐसी हालत में उन पशुओं को नहीं रोक सकते, तो इस बीमारी को कैसे रोक सकते हैं ? जो जानवरों को बाहर ले जाने से, उनको एक जगह इकट्ठे रोक लेने से होगी। ये कानून तो यहां बैठ कर बन जाते हैं, लेकिन उनका पालन कैसे होता है ? उनका पालन कराने के लिये माननीय मंत्रीजी स्वयं वहां थोड़े ही खड़े होंगे, यह काम तो ऑफिसर्स करेंगे और जैसा वे चाहते हैं, जैसा उनके दिल में होता है, वैसा, माननीय उपाध्यक्षजी, वे करते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि कल जो कानून बनाया था, उसका अगर माननीय मंत्रीजी पूरी तरह से पालन करा लें, तो फिर यह भी बन जाता। परन्तु एक कानून का पालन नहीं हुआ है, दूसरा ये बना रहे हैं, तीसरा और आ रहा है। अगर यह करते कि जहां जहां पंचायत काम करती, उन पंचायतों के लिए यह कर देते इस कानून में कि पंचायतें इसका खर्च उठायेंगी, तो यह बात मान भी ली जाती, परन्तु यह भी नहीं किया; यह किया कि उसका खर्चा वह आदमी देगा। तो पीछे यह कर देना चाहिए माननीय मंत्रीजी को कि मनुष्यों के लिए पहले कानून बन जाय, उसके बाद जानवरों के लिए कानून बनायें। मनुष्य झूठ बोलता है, चोरी भी करता है, डाका भी डालता है, बेईमानी भी करता है, रिश्वत भी लेता है, परन्तु जानवर रिश्वत नहीं लेते।

(हंसी)

अगर वे रिश्वत लेते तो यह कार्यवाही कर लेते। पहले आप मनुष्यों के लिए कानून बनायें, उसके बाद जानवरों के लिए बनायें। मेरी प्रार्थना है कि जो मुंह से नहीं बोलते जो कोई खोटा काम नहीं करते, जो दूध देकर आपके शरीर को जिन्दा रखते हैं, उन जानवरों के लिए आप कानून बनाते हैं, यह कहाँ तक उचित है ? मेरी आपसे यह प्रार्थना है।...

श्री उपाध्यक्ष : आप सारे कानून का विरोध करते हैं ?

श्री मुक्तिलाल मोदी : नहीं साहब, क्लॉज़ ७ के सब-क्लाज़ (४) के अन्दर जो है,

(श्री मुक्तीलाल मोदी)

उसका विरोध कर रहा हूं । क्लॉज़ ७ के सब-क्लॉज़ (४) का............

श्री उपाध्यक्ष : जो संशोधन रखा है, उसका विरोध कर रहे हैं ।

श्री मुक्तिलाल मोदी : जो श्री पी० के० चौधरी ने संशोधन रखा है उसका समर्थन करता हूं । मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि वे इस कानून को ध्यान से पास करें क्योंकि फिर पीछे मेरे जैसे आदमी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, परन्तु जो बाल-बच्चे वाले हैं वे तकलीफ पायेंगे ।

(हंसी)

मेरी प्रार्थना है कि आप इसे ध्यान से पास करें । उसके बाद यह कानून यहां लागू हो तो ही जनता सुखी होगी, नहीं तो दुखी होगी ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : उपाध्यक्ष महोदय, जो पशु रोग विधेयक बन रहा है, उसमें इस संशोधन को नहीं माना तो उसका उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता है । जहां पशुओं का सामुहिक आवागमन होता है, उस स्थान पर बीमार पशुओं को एक स्थान पर एकत्रित करके टीका लगाने की व्यवस्था की गई है उस स्थान पर उस पशु के मालिक से अगर उसका खर्चा मांगे तो वह सम्भव नहीं हो सकेगा क्योंकि जब एक आदमी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, मान लीजिये कि कोई जयपुर से बीकानेर की तरफ जाता है, तो एक आदमी अपनी व्यवस्था पूरी तरह नहीं कर सकता है । वह अपनी व्यवस्था के लिये २००-४०० रुपये खर्च करता है, अगर इस प्रकार उसके पशुओं को १० दिन तक डिटेन कर लिया जाता है और फिर उससे कहे कि वह सारा खर्चा दे, तो वह नहीं दे सकेगा, अगर दे नहीं सकेगा, तो उसके पशु बीमार हो जायें, तो वह बच कर निकलेगा । जहां इस प्रकार के स्टेशन होंगे, उससे पहले वह पशुओं के रोग का इलाज कराने की व्यवस्था करेगा क्योंकि अगर सरकारी अधिकारियों की पकड़ में आ जाय तो १०-१२ दिन अधिकारी उसे रोक रखेंगे । जब तक कि सारे पशु पूर्णरूप से बीमारी से सुरक्षित न हो जायं तब तक सरकारी अधिकारी उसे जाने नही देंगे । जब वे उसे जाने नहीं देंगे तब तक उस आदमी से खर्चा लेंगे । इस प्रकार खर्चा देना, साधारण कृषक या पशुपालक के लिए सम्भव नहीं हो सकेगा । अगर सम्भव नहीं हो सकेगा तो इस प्रकार के स्टेशनों पर जायेंगे नहीं, अगर ऐसे स्टेशनों पर नहीं ले जायेंगे तो जो बिल बन रहा है उस विधेयक की जो मन्शा है वह मन्शा पूरी नहीं होगी । इस विधेयक की मन्शा यह है कि जितने इस प्रकार के संक्रामक रोग हैं उनकी रोकथाम करें, जिससे पशु-धन में सुधार हो । पशु-धन में सुधार तभी हो सकता है, जैसे अभी पिछले दिनों में हमारी राज्य सरकार ने बी० सी० जी० के टीके लगवाये थे, सरकार की ओर से ऐसा प्रयास किया गया कि मनुष्य में यह रोग न फैले और टी० बी० की रोकथाम हो । जिस प्रकार यह प्रयास किया गया, हो सकता है कि विदेशी हुकूमत से इसमें सहयोग मिला हो, इसका कारण बी० सी० जी० के टीके मुफ्त में लगाये गये हों । अगर इसी प्रकार पशु-धन के लिये करते हैं तो जो पशु-धन की बीमारी की रोकथाम के लिए विधेयक बना रहे हैं, इसकी मन्शा पूरी होगी । इसके लिए आवश्यक है जो टीके लगाये

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

जायं, जितने दिन बीमारी दूर न हो, इतने दिन इनको किसी स्थान पर रोका जाय, उतने दिन का सारा खर्चा राज्य सरकार भुगते, तभी वास्तव में विधेयक की मन्शा पूरी हो सकेगी ।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के क्लॉज़ ७ के सिलसिले में जो संशोधन पेश किया गया है कि इसके सब क्लॉज़ (४) को बिल्कुल विलोपित किया जाय, माननीय सदस्यों ने इसके समर्थन में या विरोध में जो बातें कहीं, उनको मैंने बहुत गौर से सुना । मैं आपके जरिये माननीय सदस्यों को याद दिलाना चाहता हूं कि इस बिल को पास करने का इरादा यह है कि किसानों के पशु-धन को बीमारी से छुड़ाया जाय । जब बीमारी बहुत जोर से फैलती है तो उसको किस प्रकार से कन्ट्रोल किया जाय । इसमें कुछ धाराएं हैं, जिनको इस विधेयक में रखा गया है । अभी एक माननीय सदस्य ने बहस के सिलसिले में कुछ बातें कहीं । उन्होंने धारा ५ को रेफर किया जो कि इस सदन ने पास की है कि किसानों के लिये कुछ रास्ते गजट के जरिये प्रेस्क्राइब किये जायं । माननीय महोदय, हमारे राजस्थान में करोड़ों की तादाद में मवेशी हैं, लाखों की तादाद में इन्सान हैं और वे जब अपने मवेशियों को चराने के लिए दूसरे इलाकों में ले जाते हैं तो जरूर अपने अपने गांव और अपने अपने घर से निकलते हैं । कुछ ऐसे पॉइन्ट्स हैं जहां पर आकर फिर सब रास्ते एक बन जाते हैं और इस प्रकार के कुछ रास्ते हैं जब अलग अलग इलाकों के लोग अपने मवेशियों को चराने के लिए दूसरे इलाकों में जाते हैं तो वे कुछ हद तक अलग अलग रास्ते से आते हैं ।

इसके बाद वे रास्ते मिला कर उस पर चलते हैं । कुछ निश्चित रास्ते एक अर्से से बने हुए हैं, जिनके जरिये वे लोग दूसरे इलाके में जाते है । इसलिये यह कहना कि रास्ते प्रेस्क्राइब नहीं किये जायं, यह उचित नहीं है । क्योंकि इन्तजाम उन्हीं रास्तों का किया जा सकता है, जो मुद्दत से रास्ते बने हुए हैं, उनको रिकॉग्नाइज करने का है, इन्तजाम करने की बात है, उन पर इन्तजाम करते हैं तो धारा ७ के जरिये हम यह प्रोविज़न करना चाहते हैं कि कुछ क्वैरन्टाइन स्टेशन मुकर्रर किये जायं, उन रास्तों पर जिन रास्तों से आम तौर पर मवेशी गुजरते हैं । उन रास्तों से सभी गुजरते हैं, हम बीमारी को रोकने का इन्तजाम कर सकते हैं, क्वैरन्टाइन स्टेशन बना सकते है । क्वैरन्टाइन स्टेशन का अब तक कोई इन्तजाम नहीं था, न रास्ते मुकर्रर थे । यह प्रोवीज़न इसलिये किया गया है कि उन मवेशियों को जो इस तरह की बीमारी से ग्रस्त हों, उस बीमारी से बचाया जाय और साथ ही उस बीमारी को दूसरे इलाकों में न फैलने दिया जाय । इन क्वैरन्टाइन स्टेशन्स पर उन मवेशियों को रख कर उनका इलाज किया जाय और दूसरे इलाकों के मवेशियों में रोग नहीं होने पाये । इस धारा में यह व्यवस्था की गई है कि उनके खिलाने-पिलाने का इन्तजाम उन पशुओं के मालिकों को करना पड़ेगा ।

माननीय सदस्यों ने बहस की, उसमें इस बात पर जोर दिया कि इलाज के लिये जो मवेशी वहां क्वैरन्टाइन स्टेशन्स पर रोके जायं उनके खाने पीने की व्यवस्था सरकार की तरफ से होनी चाहिए, दवाई की भी व्यवस्था सरकार की तरफ से होनी चाहिए और मार्किंग वगैरह की फीस प्रेस्क्राइब की है वह हटा दी जानी चाहिये ।

(श्री नाथूराम मिर्धा)

मुफ्त की बात को स्वीकार करने से, फीस नहीं रखने से जो इन क्लॉजेज़ की कड़ी रखी गई है, वह टूट जाती है। वहां जिन मवेशियों को रोका जाये उन्हें फ्री चारा दिया जाय, यह सरकार के खुद के रिसोर्सेज़ की बात है, उनसे किन किन परिस्थितियों में किन किन लोगों को राहत पहुंचाई जा सकती है वह सरकार कर सकती है। मुझे भी बड़ी खुशी होती कि सब जगह सारे मवेशियों के लिए चारे की व्यवस्था करते, यही नहीं उन कुल आदमियों को भी मुफ्त में खाने को देते, यह बहुत अच्छी बात होती। जानवरों को और आदमियों को भी खाने को मुफ्त दें, पर यह क्या आज की परिस्थितियों में सरकार के रिसोर्सेज़ को देखते हुए सम्भव है। यह मुमकिन नहीं है। अस्पतालों में भी जो लोग गरीब हैं उनको खाने को देते हैं और जो समर्थ हैं उनके सम्बन्धी खाना पहुंचाते हैं।

वेक्सिनेशन के बारे में हमने कहा कि प्रेस्क्राइब्ड फीस ली जायगी। जो आम तौर से मवेशियों के मालिक हैं, व्यवसाय करने के लिए मवेशी रखते हैं, जो भेड़ों के टोलों के, गायों के टोलों के, ऊंटों के टोलों के मालिक हैं, उनके लिए ये पशु आमदनी के जरिये हैं, उनकी आमदनी में से कुछ हिस्सा उनके पशुओं को बचाने के लिये लिया जाय तो वे बड़ी खुशी खुशी देने को तैयार हो जायंगे। आज भी कुछ ऐसे वेक्सिनेशन हैं जो मुफ्त में सरकार करती है पर कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनके वेक्सिनेशन बड़े कौस्टली पड़ते हैं; जैसे सरा ऊंटों की एक बीमारी है, उसके इलाज के लिए वेक्सिनेशन बड़ा कोस्टली आता है। सात, आठ रुपये का एक इंजेक्शन होता है। उसके लगाने से सात सौ आठ सौ रुपये का ऊंट बच जाता है, इसमें मालिक को कोई एतराज नहीं होगा। इतनी कोस्टली दवाइयां सरकार सब को फ्री नहीं दे सकती, और उन पशुओं के मालिक भी इतना खर्चा करने को तैयार हो सकते हैं। कुछ बीमारियां ऐसी हैं, जिनकी दवाइयां बहुत कोस्टली हैं, जिनका पूरा चार्ज नहीं करके कुछ हिस्सा ले सकते हैं, और वे लोग देने को तैयार हैं।

ऐसी सूरत में आप कहते हैं कि यह सब फ्री रख दिया जाय, ठीक है फ्री रखने का प्रोविज़ो रख लीजिये, पर इतनी कीमती दवाइयों को सरकार मुफ्त में कहां तक दे सकती है। किस इंजेक्शन का कितना शुल्क होगा, ये सब चीजें मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूँ कि बहुत रीज़नेबल तरीके से होगा। जिनके पशुधन को बचाना चाहते हैं उनके विदिन मीन्स होगा। जिस प्रकार की कल्पना हम करके चलते है वैसी कल्पना नहीं करनी चाहिये। वास्तव में मवेशियों का सुधार हो, इसलिए इस धारा का इसमें समावेश किया गया है।

एक माननीय सदस्य ने बहस के दौरान में कहा कि यह कानून जानवरों के लिये बन रहा है। मैं यह कहूँगा कि यह कानून जानवरों के विषय में बन रहा है और जानवरों के मालिकों के लिए है, जिससे कि वे किसी तरह से अच्छे पशु रख सकें। कानून तो इंसानों के लिये ही है, जानवरों के लिए नहीं है। इसके अलावा इस पर बहुत सी बातें कही गई हैं लेकिन बड़ी बड़ी बातों का, जिनका इससे सम्बन्ध था, मैंने उन पर प्रकाश डाला है। जो काम हम करना चाहते हैं उसका ब्योरा माननीय उपाध्यक्ष, मैंने सदन के सामने प्रस्तुत किया है। इस सम्बन्ध में जो संशोधन प्रस्ताव रखा गया है उसको मैं मानने के लिये तैयार नहीं हूं।

(श्री नाथूराम मिर्धा)

श्री मूलचन्द डागा : आपने कहा कि चेन टूट जाएगी, चेन कैसे टूट जाएगी ?

एक माननीय सदस्य : खाना पानी का इन्तजाम नहीं रहेगा तो कहां से आवेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री पी० के० चौधरी ।

श्री पी० के० चौधरी (कुलेग) : माननीय उपाध्यक्ष, मेरे इस अमेन्डमेंट पर कल से वाद-विवाद हो रहा है और आज तो सदन के जिन जिन माननीय सदस्यों ने अपनी अपनी राय प्रकट की है उनमें से सिर्फ एक के सिवाय बाकी सभी माननीय सदस्यों की राय मेरे अमेंडमेंट की तरफ है और यह जो एक सदस्य ने भी कहा है और अपनी राय दी है वह ५० प्रतिशत मेरे अमेन्डमेन्ट के सहयोग में है और मेरे अमेन्डमेन्ट से सहमत हैं । उन्होंने कहा है कि वेक्सीनेशन और मार्किंग होना चाहिये और माननीय मंत्री महोदय ने उसका जवाब दिया है । मुझे खुशी है और वह इस बात की कि वे मंजूर करते हैं कि सरकार के बस की बात हो तो फ्री इलाज करवाये जावें । उन्होंने एक दलील यह दी कि इसको मंजूर करने से हमारा क्वैरन्टाइन का प्रोविज़न है वह निकल जाता है और उसको जिस पर्पज़ के लिए रखा गया है वह डिफीट हो जाता है । सो मैं यह अर्ज करूंगा कि यदि ऐसा ही है तो यह जो क्लॉज़ है उसको आगे के लिये पोस्टपोन कर दिया जावे और जो अमेन्डमेन्ट ठीक समझते हों उनको लाय जावें । मैं मानता हूं कि माननीय मंत्री महोदय खुद इस विषय में कुछ करना चाहते हैं । मेरा यह कहना है कि इसमें इम्प्लीकेशन्स हैं । माननीय मंत्री ने बराबर इसको रिअलाइज़ किया है । सिर्फ इतना ही नहीं है कि एक आदमी यदि ५०० मवेशियों को लेकर कहीं जाता है तो सिर्फ १० को ही डिटेन करेंगे जो बीमार होंगे, इसका इम्पलीकेशन यह नहीं है । जिस समय १० जानवर बीमार होंगे उस समय उस हर्ड में १०० या २०० या ५०० जितने भी जानवर होंगे उन सब को इंजेक्शन लगेगा और ५०० जानवरों को इंजेक्शन देना काफी समय लेता है । कम से कम एक दिन तो लगेगा ही । मान लें कि वह एक दिन का काम है लेकिन दूसरे जो जानवर बीमार हो गये हैं उनको तो कम से कम ७ या ८ दिन तक रखना होगा । जो हर्ड में किसी बीमारी से इफेक्टेड नहीं हैं उनको भी तो बीमारी से रोकने के लिए प्रिवेन्टिव इजेक्शन्स लगाने के लिए तो रोकना ही पड़ेगा । इस बात को माननीय मंत्री महोदय ने रिअलाइज़ नहीं किया है । उन ५०० जानवरों को रोकने पर उनका फोडर का खर्चा होगा वह काफी बड़ा खर्चा होगा और जो मवेशी रखने वाले व्यक्ति हैं वे इतने खर्चे को दे नहीं सकते हैं । इस एक्ट का फर्ज यह होता है कि १० या ५ जो भी मवेशी इफेक्टेड हैं उनको रोका जाता और उनका खर्चा लिया जाता; लेकिन वास्तव में इसका यह मतलब नहीं है । इस हर्ड में जितने जानवर होंगे चाहे ५०० हों, चाहे हजार हों चाहे कितने ही हों, उनको वेक्सीनेशन करना होगा ।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें मवेशी जो भी जावेंगे उनको सब को रोकना है, मगर फिर भी इसमें "इन्स्पेक्शन" का शब्द रखा गया है, वह क्यों रखा गया है, वह इसीलिये रखा गया है कि जितने जानवर आयें सब को रोक लिया जाए और उनका इन्सपेक्शन किया जाय । जो बीमार हों उनको रोक लिया जाए और बाकी के लिये कह दिया जाए कि इनको ले जाओ ।

Page No.53

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : एक आदमी होता है वह कैसे जानवरों को ले जावेगा और दूसरों को छोड़ जावेगा ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आपको मालूम नहीं है, उनके घर वाले साथ होते हैं। जिन्होंने उनको जाते हुए देखा है ? वे लोग जानते हैं। हमने देखा है और हम जानते हैं।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि सिर्फ १० जानवरों को ही, जो बीमार होंगे, रोका जावेगा। १० जानवरों को ७ या १० दिन के लिये रोकेंगे, लेकिन बाकी के जानवरों को भी प्रिवेन्टिव इंजेक्शन अगर नहीं देंगे तो आपका जो पर्पज़ है वह डिफीट हो जावेगा। यह तो आप सभी जानते हैं कि कॉलेरा किसी व्यक्ति को हो जाता है तो उस व्यक्ति को उस घर से होस्पिटल ले जाया जाता है और दूसरे जितने भी उस मकान में व्यक्ति होते हैं उनको इंजेक्शन देते हैं, यदि नहीं देते हैं तो दूसरों को कॉलेरा हो जाएगा। तो मैं यह मानूंगा कि आप यदि दूसरों को इंजेक्शन नहीं देंगे तो आपका यह एक्ट किसी मकसद का नहीं होगा; you will have to inject them otherwise this Act will be ineffective. और जो मवेशियों के मालिक हैं और उनकी रखवाली करते हैं उनसे उनका मुआवजा लें तो यह उनके लिए बहुत मुश्किल होगा और अगर आपने एक दिन के लिये भी ५०० मवेशियों को रोक लिया तो उनका फोडर चार्जेज़ देना उनके लिये उचित नहीं है। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आज आप इसको पास करना चाहें तो भी क्लॉज़ पारित नहीं हो सकता। बिल पारित हो सकता है। इसका कन्सीड्रेशन आप बाद के लिए रख लीजिये और मैं यह निवेदन करूंगा कि इसको एट दी एन्ड ऑफ दिस बिल रख लीजिये ताकि मिलकर कोई ऐसा मोडिफिकेशन किया जा सके जिससे किसी प्रकार की आपत्ति न हो और एक्ट भी किसी तरह से इफेक्टेड न हो।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने अपनी बहस में सारी बातों को क्लिअर कर दिया है, जितनी बातें बतानी थीं मैंने बता दी हैं। मैं आपके अमेन्डमेन्ट को नहीं मान सकता, इसके लिये फर्दर पोस्टपोनमेन्ट की कोई जरूरत नहीं है।

श्री श्रीभानसिंह : I don't move the amendment, Sir.

श्री पी० के० चौधरी : So I may also be permitted to withdraw my amendment.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री पी० के० चौधरी ने क्लॉज़ ७ पर रखा है उसको वापिस लेने की इजाजत दी जावे।

(स्वीकृत)

संशोधन वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री प० के० चौधरी : I withdraw my amendmtnt.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ७ स्वीकार किया जाए।

(स्वीकृत)

क्लॉज ७ विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज ७ ए

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : माननीय उपाध्यक्ष, मेरा क्लॉज़ ७ ए में अमेन्डमेन्ट है :

"Delete 'may' and insert 'shall'."

और मैं समझता हूं कि इसमें माननीय मंत्री को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये क्योंकि क्लॉज का हैडिंग है 'Prevention of outbreak or spread of Scheduled disease' तो मैं यह समझता हूँ कि जब डिज़ीज़ आउट ब्रेक होता है और उससे प्रिवेन्ट करने के लिए वेटरनरी ऑफिसर को डिस्क्रीशनरी पॉवर्स दिये जावें ।

"A veterinary officer may order any sick or unhealthy animal to be vaccinated or inoculated or treated in such manner as he thinks fit..."

मैं यह समझता हूँ कि जब एपडेमिक आउट ब्रेक हो जावे तो फिर वेटरनरी ऑफिसर को डिस्क्रीशन की क्या जरूरत है ? मैं समझता हूँ कि he should order any sick or unhealthy animal to be vaccinated. He must be compelled to perform this duty. The Veterinary Officer should be compelled to take necessary steps for the prevention of diseases. इसमें उसको डिस्क्रीशन नहीं देना चाहिये । फिर वह यह कह दे कि मैंने एक्चुअली यह नहीं देखा था कि वह सिक है या नहीं; वह सिक एनीमल कहीं जाकर दूसरे जानवरों में बीमारी फैलाएगा । इसलिये इसको रोकने के लिये वेटरनरी ऑफिसर को कम्पेल किया जाए कि वह वेक्सीनेट करे जिससे वह यह नहीं कहे कि मैं ऐसा नहीं कर सका । मैं समझता हूँ कि वर्ड 'शेल' कर दिया जावे ।

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, यहां "shall" नहीं "may" ही होना चाहिये क्योंकि इसकी जो लेंग्वेज है उसको पढ़ेंगे तो "for the purpose of prevention of outbreak of any disease..." प्रिवेन्टिव मेज़र्स जो लेने हैं, उसके लिये 'मे' शब्द ही उपयुक्त रहेगा, 'मे' वर्ड ही प्रोपर है, इसमें 'शैल' का सवाल नहीं आता, इसमें 'मे' ही होना चाहिये, प्रिवेन्शन के लिये 'मे' वर्ड ही होना चाहिये ।

श्री नाथूराम मिर्धा : उपाध्यक्ष महोदय, जो इस सम्बन्ध में अभी माननीय सदस्य बोले उनका कहना बिल्कुल ठीक है । अगर इस नजर से माननीय सदस्य फिर से विचार करेंगे तो आपकी समझ में आ जायगा कि 'मे' वर्ड ही यहां रहना चाहिये ।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय जब मेरे आर्ग्युमेन्ट समझने की कोशिश नहीं करते तो जो भी बात वे कहते हैं मैं भी उनको समझने की बहुत कम कोशिश करता हूं । एक माननीय सदस्य ने जो आर्ग्युमेन्ट दिये, 'मे' रहने से प्रिवेन्टिव मेजर है । वैसी हालत में वेटरनरी ऑफिसर को ड्युटी बाउन्ड करने में उन्हें क्या हिचक है ? जहां आप इसमें 'मे' रखते हैं तो उनको डिस्क्रिशन देते हैं, इसमें कम्पलशन नहीं है । 'मे' यदि 'शैल' का पर्पज़ सर्व करता हो तो कोई हर्ज नहीं । जैसा कि माननीय मंत्री कह रहे हैं "शैल" का पर्पज़ भी सर्व कर देगा तो मैं अपने अमेन्डमेन्ट को विड्रा करने की सदन से आज्ञा चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : क्लॉज़ ७ के अन्तर्गत जो संशोधन श्री श्रीभानसिंह ने रखा है उसको वापिस लेने की इजाजत दी जाय ।

(स्वीकृत)

Page No.55

(श्री उपाध्यक्ष)

आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री श्रीभानसिंह : I withdraw my amendment.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ७ ए स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

क्लॉज ७ ए विधेयक का अंग बना ।

(विराम)

क्लॉज़ ८, श्री श्रीभानसिंह ।

श्री श्रीभानसिंह : मैं अपना अमेन्डमेन्ट मूव नहीं करना चाहता ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ८ स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ८ विधेयक का अंग बना ।

(विराम)

क्लॉज़ ६

श्री नाथूराम मिर्धा : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें मेरा छोटा सा संशोधन है । इसके सब क्लॉज़ (३) में जहां वर्ड 'एक्ट' आया है वहां 'सेक्शन' होना चाहिये ।

डॉ० बहादुरसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भी इस क्लॉज़ में एक संशोधन था । यह नहीं हो सकता था कि वेटरनरी सर्जन को ही सब प्रकार के अधिकार दे दिये जायं, यह गलत है । मेरा सुझाव है कि "Veterinery Surgeon with two other persons." इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिये । जितने भी मेडिकल बोर्ड होते हैं, उनमें केवल एक आदमी का बोर्ड नहीं होता, पूरा बोर्ड बिठाया जाता है । इसलिये इसमें एक ही व्यक्ति को पूरे अधिकार दे देना उचित नहीं है । अगर वह वेटरनरी सर्जन किसी से नाराज है तो गलत डिसीजन ले सकता है, इसलिये मेरा ऐसा सुझाव है कि उसके साथ दो एक्सपर्ट्स और बिठाये जायं या वेटरनरी सर्जन्स का बोर्ड बना दिया जाय । फाइनल डिसीज़न वेटरनरी सर्जन विद् टू अदर पर्सन्स; इस प्रकार का संशोधन होना चाहिये ।

श्री श्रीभानसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा अमेन्डमेन्ट क्लॉज़ ६ के सब क्लॉज़ (२) के पार्ट (ए) में है । "or deal with it in such other manner as may be prescribed, may be deleted." तथा "in sub-clause (2) (b) at the end the words 'destroy it' be deleted."

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा ख्याल है; यह अमेन्डमेन्ट कुछ गलत प्रिन्ट हुआ है ।

श्री उपाध्यक्ष : Can you please clarify it ?

श्री श्रीभानसिंह : Yes, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : What should it be ?

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) ; "Part (c) of sub clause (2) be deleted"- क्लॉज़ को शुरू से पढ़ा जाय ।

" 1. Examination by veterinary Surgon..........

(2) If after such examination the Veterinary Surgeon, (a) is of opinion that any animal is not infective, the Inspector shall forthwith return it to the person who, in his

(श्री श्रीभानसिंह)

opinionis entitled to its possession.

Provided that where such person cannot in the opinion of the Inspector, be found after reasonable inquiry, he shall send the animal to the nearest cattle pound or deal with it in such other manner as may be prescribed, or इसके आगे पार्ट (सी) में इन्होंने लिखा है "Certifies in wriitng that any animal is infective though not diseased......इन्होंने लिखा है,

इसको डिलीट करने का कहा है। जिस एनीमल का ओनर नहीं मिलता है उसको केटल पाउन्ड के अन्दर भेज दिया जाय इसके अलावा दूसरा मैनर क्या रहता है जो कि रूल्स के जरिये दूसरा मेथड प्रेस्क्राइब किया जायगा । पार्ट (बी) के अन्दर रखा है, अगर ओनर नहीं मिलता है तो उसको या तो केटल पोन्ड के अन्दर भेजा जाय और अगर नहीं भेजते हैं तो डेस्ट्रॉय कर दिया जाय। उसका ऑप्शन तो हो नहीं सकता, इसलिये मैंने यह अमेंडमेंट रखा है कि इस लाइन को डिलीट कर दिया जाय। इसी प्रकार पार्ट (सी) को मैं सुपरफ्लुअस समझता हूँ इसको "certified in writing that any animal is infective, though not diseased, the animal shall be deal with in such manner as may be prescribed." तो वह एनीमल, शिड्यूल में जो डिज़ीज़ेज़ हैं, उससे इफेक्टिव होंगे उनको प्रेस्क्राइब्ड मेनर में डील करेंगे इसमें ऐसा कोई मेनर क्लिअर नहीं है, इसलिये पार्ट (सी) सुपरफ्लुअस है इसलिये इसको डिलीट कर देना चाहिये।

श्री तनसिंह (बाडमेर) : मेरा अमेन्डमेन्ट इस बिल के क्लॉज़ ९ के सब क्लॉज (२) में पार्ट (बी) पर है "Delete the words 'or' occuring and add the following provided to part (b) of sub-clause (2) :

Provided that no bull, cow or calf shall be destroyed under this Section or." वर्तमान में जो क्लॉज़ है उसके अनुसार यदि वेटरनरी सर्जन इस प्रकार का प्रमाण पत्र दे कि अमुक प्रकार का कोई भी पशु किसी अनिश्चित रोग से पीड़ित है और इसके बाद में वह उस स्थिति पर पहुँच गया है जो स्थिति यहां प्रेस्क्राइब की गई है तो उस जानवार को खत्म कर दिया जावेगा। मैंने संशोधन रक्खा है कि गाय, बछड़ा, बछड़ी, बैल और गाय का सांड ये डेस्ट्राय नहीं किये जावें।

मेरा निवेदन यह है कि जहां तक इस कानून का सम्बन्ध है सब इस बिल से सहमत हैं कि यदि इस प्रकार की कोई घातक बीमारी आ गई हो कि जिससे उसके आस-पास में उस रोग के फैलने का डर हो तो उसके लिये सरकार को उचित कार्यवाही करनी चाहिये। लेकिन इसका यह कभी मतलब नहीं हो सकता कि सरकार के पास दूसरी सब प्रकार की कार्यवाहियों के होने के बावजूद उनको अमल में न लाकर जानवरों को मारने का अधिकार प्रयोग में लाया जावे।

मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस प्रकार से यदि किसी के जानवर को खत्म कर दिया जावेगा तो उसे यह प्रूव करने का भी अधिकार नहीं होगा कि वह एनीमल डिज़ीज़ वाकई ऐसी थी या नहीं। पर इस संशोधन के अनुसार मैंने स्वीकार किया है कि दूसरे एनीमल को खत्म करने का है तो कर दें पर

(श्री तनसिंह)

गाय या बैल या बछड़े, बछड़ी और गाय के सांड को न मारें। इससे मेरा निवेदन करने का यह मतलब है कि हमारे यहां पर धार्मिक भावनाएं हैं गाय के प्रति और गाय के वंश के प्रति। गाय को हम लोग माता के समान मानते हैं और इसलिये इस भावना का आदर करने के लिये उसको मारा न जावे बल्कि अलग कहीं पिंजरापोल में या अलग स्थान पर व्यवस्था की जावे उसको रखने की, जब तक कि वह जीवित है। इसके साथ साथ के लोग जो डेडीकेट करते हैं किसी के नाम से या जैसी प्रथा है सांड को छोड़ने की या बैल को छोड़ने की उस प्रथा के अनुसार हम एक वस्तु का त्याग कर देते हैं समाज के लिये तो वैसी सूरत में उसका और भी अधिक सम्मान हो जाता है। ऐसे पशु को हम देखते हैं कि लोग न तो मारते हैं, न खुला चरने से रोकते हैं। तो ये सारी भावनाएं हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक धरातल पर आधारित हैं। इस प्रकार के पशुओं के साथ भी हमें इसी तरह व्यवहार करना चाहिये। इस धरातल पर कानून द्वारा किसी प्रकार का प्रहार करना, किसी प्रकार की गड़बड़ी करना, किसी प्रकार भी व्यवहारिक और उपयुक्त काम नहीं है। यदि इस कानून की मंशा को सही रखना चाहते हैं तो आपके पास में और काफी रास्ते हैं, काफी प्रावधान हैं, आप उनको करिये। इससे लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं लगेगी और न सामाजिक, सांस्कृतिक धरातल पर प्रहार ही होगा और डिज़ीजेज को भी रोका जा सकेगा फैलनेसे। मैं समझता हूँ कि यह एक सरल और अच्छा अमेन्डमेन्ट है। इसमें किसी को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

श्री भैरोंसिंह : (मन्त्री महोदय को लक्ष्य करके) आप मन्जूर कर रहे हैं क्या इसे ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आप कह लें, आप प्रकाश डालना चाहें तो।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन पेश किया गया है वह मैं समझता हूँ कि माननीय मन्त्री जी को बिना बहस के ही स्वीकार कर लेना चाहिये। हो सकता है कि जिस समय यह कानून बनाया गया उस समय इस प्रकार की स्थिति का कहीं भूल से ज्ञान न रहा हो। राजस्थान के अन्दर गौ-हत्या बन्द है, गाय किसी भी प्रकार से मारी नहीं जा सकती, इस प्रकार की कानून द्वारा व्यवस्था की गई है। यह व्यवस्था केवल राजस्थान में ही नहीं है दूसरे प्रान्तों में भी है और जिन प्रान्तों में नहीं है वहाँ भी इस प्रकार की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में वहां की प्रान्तीय सरकारें विचार कर रही हैं। इसमें किसी का विरोध नहीं हो सकता कि जानवरों ये इस प्रकार की छूतछात की बीमारी को रोकने के लिये सरकार को कोई व्यवस्था करनी चाहिये। व्यवस्था भी होगी और होनी भी चाहिये, लेकिन हमें उन बातों की ओर अवश्य देखना पड़ेगा कि जिससे इस व्यवस्था में ऐसी बात तो नहीं आती है जिसके कारण जो कुछ हमने कानून बनाया है या जो बनाने जा रहे हैं या जो लोगों की भावनाएं हैं उन पर किसी भी प्रकार का आघात होता हो।

राजस्थान में कानून है गाय के विषय में और वह स्पष्ट है। गाय किसी भी सूरत में मारी जा सकती। बैल, बछड़े बछड़ियाँ भी किसी भी सूरत में नहीं मारी जा सकतीं।

Page No.58

(श्री भैरोंसिंह)

अभी अभी सर्वोच्च न्यायालय में यू० पी० की एक रिट के फैसले में भी न्यायालय ने लिखा है कि जो गायें दूध देती हैं उनकी हत्या किसी भी परिस्थिति में नहीं हो सकती, बछड़े और बछड़ी की हत्या किसी परिस्थिति में नहीं हो सकती, हालांकि बैल के विषय में लिखा है कि यदि कोई अनुपयोगी बैल हो तो वह मारा जा सकता है। यू० पी० की सरकार ने कानून बनाया था और उसके कानून के विरोध में ही वहां के कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। अब यू० पी० की सरकार ने भी अपने कानून में संशोधन पेश करके, हालांकि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का आदर किया है, निर्णय लिया है कि उनकी उमर १५ वर्ष से ऊपर है, उन बैलों को हम किसी भी रूप में अनुपयोगी कह सकते हैं। उससे पहले कहने की स्थिति पैदा नहीं होगी। हो सकता है, जिन प्रान्तों में गाय या बैल को मारने की व्यवस्था नहीं थी, वहां भी ऐसा विचार कर रहे हैं कि इस प्रकार की गोहत्या न हो। मुझे अफसोस है राजस्थान में इस प्रकार के प्रावधान आज बनाये जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि माननीय कृषि मन्त्रीजी की यह इच्छा नहीं होगी। वे तो गौ प्रेमी हैं और खास तौर से नागौर के रहने वाले हैं कि जिस क्षेत्र में गाय और बैल की पैदावार पर वहाँ के कृषक जीवित हैं। परन्तु कानून है और कानून के आवेश में या मन्त्री हैं इस आवेश में कानून बनाने की चेष्टा की तो उपाध्यक्ष महोदय, यह मामूली घटना नहीं होगी। जिस राजस्थान में राजाओं के जमाने में कभी भी इनको डेस्ट्रॉय करने की स्थिति नहीं पैदा हुई वहां राजस्थान के कांग्रेसी शासन में भी उन्होंने इस ट्रेडीशन की कद्र की और गाय कटने की स्थिति आज तक पैदा नही होने दी कि जिसके द्वारा हम इस बात को स्वीकार करने की स्थिति मे आ जावें कि वे इससे हट रहे हैं। अभी अभी पिछले दिनों में माननीय मुख्य मंत्री ने एक भाषण में कहा था कि राजस्थान में गोहत्या नही होती है न हो सकती है किसी भी सूरत में। अगर कहीं होती तो मुझे शिकायत की जावे, मैं उसे रोकने को तैयार हूं। यह एक-दो महीने या साल पहले नहीं, अभी दो दिन पहले एक चुनाव सभा में कहा है।

श्री उपाध्यक्ष : Can you make a reference of such a statement which has not been made on the floor of this House? You will kindly refrain from making such a reference.

श्री भैरोंसिंह मैं समझता हूं कि माननीय मुख्य मन्त्री जी का इस प्रकार का स्टेटमेन्ट यदि कहीं भी हुआ है तो उसका हवाला यहां सदन में दिया जा सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : I disallow it. please.

श्री भैरोंसिंह: (जारी) उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह चाहता हूँ कि इस प्रकार की व्यवस्था यदि रहती है इस कानून के द्वारा तो राजस्थान की जनता में इसकी एक भयंकर प्रतिक्रिया होगी, भयंकर प्रभाव उस पर पड़ेगा।

जहां तक इस कानून के क्लॉज़ के (बी) भाग का प्रश्न है इसमें किसी भी जानवर को एग्जेम्प्ट नहीं किया गया है। वेटरनरी सर्जन अगर किसी भी जानवर के बारे में सर्टिफिकेट देता है तो उसको इन्सपेक्टर या जो अपोइन्ट होगा वह डेस्ट्रोय करेगा।

(श्री भैरोंसिंह)

ऐसी स्थिति में जैसा बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि इस बात का सन्देह है कि जब इसमें ऐसी कोई व्यवस्था नहीं रहेगी तो गाय और बैल भी मारे जा सकते हैं। यदि सरकार की ऐसी ही इच्छा है तो सरकार इस सम्बन्ध में अपनी स्पष्ट घोषणा करे कि राजस्थान के अन्दर भविष्य में यदि कहीं गाय-बैल बीमार होंगे तो वे भी मारे जा सकते हैं।

२ म० प०

लेकिन अब प्रश्न यह आता है कि इस सारे कानून में दृष्टिकोण एक रखा गया है जानवर की बीमारियों को दूर करने का। जानवर की बीमारियों को दूर करने का जहां तक दृष्टिकोण है वह बिल्कुल शुद्ध है। लेकिन इस दृष्टि-कोण से यदि सारे राजस्थान के लोगों के ऊपर गायों के मारने पर विपरीत प्रभाव पड़ता है तो मैं यह कहने के लिए तैयार हूँ कि लोग अपनी गायों और बैलों के झुंड के झुंड खत्म कराने को तैयार हैं। वैसे मरते भी हैं बीमारियों से। हमारे नागौर क्षेत्र से आने वाले माननीय मंत्री जी स्वयं जानते होंगे कि उनके बैलों और बछड़ों में भयंकर बीमारी आती है और वह इलाज के बावजूद भी मर जाते हैं। मेरे ख्याल से माननीय मंत्रीजी एक उदाहरण भी नहीं बता सकेंगे कि ऐसा कौन आदमी होगा जो अपने उस बैल को नहीं मार देगा, जिसको कि छूत की बीमारी हो गई हो जब कि उसके पास बहुत से बैल होते हैं और एक एक बैल की कीमत जहां पांच-पांच हजार देखी गई है। बाकी के लाखों रुपयों कीमत के बैलों को बचाने के लिए उस बैल को वह जान बूझकर मारेगा और बाकी बैलों को बचायेगा। माननीय मंत्री स्वयं अपने इलाके को देखें और अगर फिर भी उनके दिमाग में या ध्यान में ऐसा आता है कि वहाँ के काश्तकार इस तरह की बातें करते हैं तो मैं समझता हूँ कि यह एक असम्भव सी बात है। मैं यही मानूंगा, अगर वे फिर भी यही कहेंगे कि काश्तकार ऐसा कहते हैं कि वह केवल इस कानून को पास करवाने की दृष्टि से ऐसा कहते हैं वर्ना वास्तविकता से यह बात दूर है। मैं केवल इस कानून का इस नाते से विरोध करते हुए बाड़मेर से आने वाले मेरे माननीय सदस्य ने जो संशोधन पेश किया है उसका मैं समर्थन करता हूँ। हाँ, ऐसा हो सकता है कि संशोधन में कुछ खामियां रह गई हों तो इस संशोधन को हम दूसरे ढंग से ला सकते हैं। लेकिन संशोधन की जो मूल भावना है, संशोधन की मन्शा गाय-बैलों को बचाने की है और संशोधन के रखने में किसी प्रकार का मतभेद है तो उनकी इच्छा के अनुसार उसको एडजस्ट किया जा सकता है। लेकिन जहां तक इसकी मूल भावना का प्रश्न है मैं समझता हूँ कि माननीय मंत्री महोदय का और साथ साथ पूरे सदन को स्वीकार करते हुए राजस्थान के कृषि मंत्री को चाहिए कि वह माननीय तनसिंह जी का उपस्थित किया हुआ संशोधन मंजूर कर लें।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (जोबनेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो बिल माननीय मंत्री महोदय ने उपस्थित किया था और बाड़मेर से आने वाले महानुभाव ने उसके बारे में जो एतराज किया है और संशोधन पेश किया है, मैं उसका बल के साथ समर्थन करता हूँ। मेरा निवेदन यह है कि मैंने भी थोड़े बहुत जानवरों को रखा है, मैंने एग्रीकल्चर कॉलेज भी स्थापित किया है और चलाया है, और उसके साथ मेरा स्नेह

(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)

है और जैसा कि अभी श्रीमाधोपुर से आने वाले महानुभाव ने आप लोगों के समक्ष निवेदन किया कि इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं जैसे एक रो (row) में, एक विचार-धारा के अन्दर चलने के मौके पर आते हैं क्योंकि अकेले माननीय मंत्री इस विषय में कोई ज्यादा अपना मतभेद प्रकट नहीं कर सकते हैं। इसके बारे में उन्हें अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है कि बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य अपने संशोधन को वापिस लें। मेरा तो निवेदन यही है कि हर एक चीज का तारतम्य करते समय विचार करने की परम आवश्यकता रहनी चाहिए और इस पर अधिक गौर करने का सवाल है। अगर यह प्रश्न इस चहारदीवारी के बाहर जिस समय पहुँचेगा तो यह जरूर एक उथल पुथल का विषय हुए बिना नहीं रहेगा। अभी तक जो हमने काम किए हैं उनको तो आप पहले कार्य रूप में परिणत हो जाने दीजिए और ऐसे सवालों को तो आगे पेश करने के लिए तो आगे बढ़ने की आवश्यकता रहेगी। मेरा निवेदन यह है कि जैसे ब्राह्मणों की जीविका, जैसे मन्दिरों की जीविका खत्म हो रही है। गैर जागीरदारों और दूसरों को तो छोड़िये। लेकिन यह भी प्रान्त भारतवर्ष और उसका हृदय राजस्थान है वह धर्म के मामलों में काफी आगे रहा है और जो बलिदान राजस्थान ने किये हैं और जिसकी पूरी पवित्र भावना रही है उसके मुकाबिले में आज का भारतवर्ष और आज का राजस्थान उन चीजों के उथल-पुथल से काफी विकल हो रहा है और ऐसी परिस्थिति में ऐसा बिल लाना मैं तो ठीक नहीं समझता। मैं यह निवेदन करता हूँ कि इस प्रकार का यदि कोई व्यवधान और विचार है उसको ठीक तरह से सोचना चाहिए। जैसे जोबनेर कॉलेज मुझसे स्थापित है और राज्य में संचालित है उसमें कुछ गायें और बैल हैं और उनमें कोई बीमार हो जाता है तो हमारा राजस्थान राज्य बहुत बड़ा है और उन बीमार जानवरों को रखने के लिए जंगल में ऐसी जगह रख सकते हैं जहां वह खाते-पीते रहें और वह जितना समय भी जिन्दा रहे वह अच्छी तरह से रहकर कुदरत की मृत्यु से मृतकाय हो सकते हैं। तो इस चीज के लिए ऐसा नियम बनाना चाहिये। मैं इसके लिए जरूर निवेदन करूंगा कि कृषि मन्त्री महोदय भी इसको ज्यादा प्रैस नहीं करेंगे और इसके अतिरिक्त इस सभा में इस प्रकार से आगे बढ़ना उचित नहीं रहेगा। आज तीन-चार दिन में इस प्रकार के केसेज़ आये हैं जिनके ऊपर काफी विचार हुए हैं और काफी डिस्कशन्स हुए हैं और जो हमारे महानुभाव हैं उन्होंने जो प्रश्न उठाये उन पर पूरी तरह से satisfy होने के बाद विदड्रा भी कर लिया है तो उनसे ही हमारे कृषक समुदाय को काफी दिक्कतें पेश होंगी। मैं तो यह भी निवेदन करूंगा कि हमारे बाड़मेर से आये हुए जो सदस्य हैं और उन्होंने जो यह संशोधन रखा है, इसके अतिरिक्त भी मैं कुछ कहूँगा कि जैसे दूध देने वाली भैंस है या और इस प्रकार के जानवर हैं वह भी माता के समान समझे जाते हैं। इसके वास्ते भी जब सेग्रीगेशन का प्रबंध हो सकता है उनके मारने का व्यवधान उचित नहीं रहेगा और जब कि दूसरा प्रबंध उनको जीने देने के लिए हो सकता है तो वह प्रबंध हमें करना चाहिए। जब कि हमारे ही परिवार में कोई कोढ़ का रोगी या इससे भी ज्यादा जो संक्रामक रोग के रोगी हैं तो हमारे ही घर के आदमी वृद्ध, वनितायें उसके लिए यह व्यवस्था करने के लिए तैयार होंगे कि उनको अच्छी से अच्छी जगह पर रखा जाये। लेकिन

(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)

मेरे ख्याल से अगर यह प्रश्न आज ही आता है तो कल शायद वह प्रश्न भी आ सकता है कि उन ऐसे मां-बापों को ऐसे मनुष्यों को क्यों नहीं खत्म कर दिया जाय जिनको संक्रामक बीमारी है। मैं तो यह कहूंगा कि मेरे पिता के ऊपर अगर छोड़ा हुआ सांड है या मेरी माता के या कुटुम्ब के ऊपर आज छोड़ा हुआ जानवर है तो मैं यह समझूंगा कि मेरे माता-पिता को मारने में इतना कष्ट नहीं होगा जितना कि गऊमाता के ऊपर यह प्रश्न आ सकता है। इस चीज को ज्यादा आगे बढ़ाना है। तो मैं यह कहूँगा कि यह जो भावना है यह हमारे धार्मिक देश में ठीक नहीं है और इसके ऊपर फिर से विचार करने की अत्यन्त आवश्यकता है और इस प्रकार भावावेश में इस प्रश्न को आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए। मैं कहता हूँ कि गऊमाता के मारने के ऊपर राजस्थान के अन्दर ही नहीं, बल्कि सारे देश में महापाप समझा जाता है। यू० पी० और पंजाब के अन्दर भी ऐसा समझा जाता है। मुझे याद है करतारपुर के अन्दर, जो हरिद्वार के पास है, वहां के सन्यासियों ने एक गाय को मारने के मामले में झगड़ा करने पर कम से कम पचास बड़े बड़े सन्यासियों को फांसी लगी। कोई भी मनुष्य गाय को मारने की बजाय मनुष्य को मारने पर ज्यादा तरजी नहीं देगा। मेरे ख्याल से ऐसे प्रश्न को आगे न बढ़ाया जाये।

मैं तो इसके लिए विशेष कहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप लोग यही कहेंगे कि इस प्रकार की चीज है वह ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तो यही निवेदन करूंगा कि जैसा कि आज की गवर्नमेंट के साथ लोगों की काफी विचारधारा बदल रही है, और इस वक्त जो वातावरण है वह बड़ा क्षुब्ध हो रहा है, यह चीज ऐसे वातावरण को और भी क्षुब्ध करने वाला एक पदार्थ होगा और चीज होगी। ऐसी चीजों में जिनमें कांग्रेस गवर्नमेंट ने ही नहीं कई गलतियां हमने भी की हैं, मुसलमानों की दिल्ली की सल्तनत ने की और लखनऊ तथा दूसरी जगह भी की गई है तो उनका ह्रास होने में कुछ मिनट लगे, तो ऐसी चीज हो इससे पहले कम से कम मैं वृद्ध आदमी हूँ वह व हरिभाऊजी उपाध्याय महोदयजी आपके द्वारा मंत्री महोदय और जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, उसको यही निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की विचारधाराओं को यहां पास करना तो दरकिनार रहा, दो दफा सोचकर ऐसे प्रश्नों को इस भवन के अन्दर लाया जाय। मैं जयपुर के वास्ते निवेदन कर रहा हूं व राजस्थान के वास्ते निवेदन कर रहा हूँ कि एक समय था कि काश्मीर तो बिना काम का घमण्ड करता था, लेकिन यहां के लिए यह कहा जाता था, "गरफिरदोस बर रुए जमीन अस्त, हमीनस्तो हमीनस्तो हमीनस्तो," यानी दुनिया में अगर कहीं स्वर्ग है तो वह राजस्थान में है। टॉड कहता था कि यहां पर भगवान् के दसों स्वरूप बृज से राजस्थान की राजधानियों में आकर इकट्ठे हो गये है। दूसरे स्थानों से आक्रान्त होकर यहां आकर शरण ली। यहां के किले और नगर गोमाता की रक्षा के लिए बनाये गये रक्त से आज भी लाल हो रहे हैं और सतियों की राख से सफेद हो रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में गोमाता, जिसके वास्ते इतना हुआ है, मैं यह समझता हूँ कि मंत्री महोदय को जैसा कि दो माननीय सदस्यों ने कहा है कि वे खासकर नागौर जैसे स्थान से आये हैं और उनको जिन्दगी में एग्रीकल्चर और पशुओं से काफी सम्बन्ध रहा है, और मेरा

(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)

भी रहा है, और आपकी तरह मेरी भी विचार-धारा गोवंश के उत्थान के वास्ते रहती है और दलील में यह प्रश्न सामने आता है कि गोमाता की रक्षा करना ठीक है या नहीं। मैं निवेदन करूंगा कि अगर यह प्रश्न आगे बढ़ेगा और भावावेश में आकर कृषि मंत्री महोदय यह विचार कर लें कि ऐसे मामले को चलने दिया जाय तो यह ठीक नहीं है। राज्यसत्ता के वास्ते, आज की गवर्नमेंट के वास्ते यह ठीक नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : माननीय उपाध्यक्ष, क्लॉज़ ९ में जो दो अमेन्डमेन्ट्स हैं, उनके अन्दर मेरे ख्याल से दो अमेन्डमेन्ट्स हैं, उनका मैं विरोध करता हूं। पहला जो अमेन्डमेन्ट है, वह इस प्रकार है :

"Delete the words, 'or deal with it in such other manner as may be prescribed."

तो सदस्य महोदय का ध्यान जो क्लॉज़ ३७ है, उस क्लॉज़ ३७ के सब-क्लॉज़ (२) के भाग (ii) की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें लिखा है, "the test to which an animal may be submitted under sub-section (1), and the manner in which an animal may be dealt with under sub-section (2), of section 9." रूल्स जो फ्रेम होंगे क्लॉज़ ३७ के अन्दर और क्लॉज़ ३७ के अन्दर जो रूल्स के पॉवर्स दिये हैं गवर्नमेन्ट को, उन रूल्स में जो पॉवर्स दिये गये हैं, जो कमेटी या नियम बनेंगे उन नियमों के अन्तर्गत—"Provided that where such person cannot, in the opinion of the Inspector, be found after reasonable enquiry,......"

बिल यह कहता है कि जांच करने के बाद उसे यह मालूम हुआ कि व्यक्ति-विशेष जो कि इस जानवर का मालिक है वह उपलब्ध नहीं है, उस स्थिति में वह जानवर को कैटल पौन्ड में भेज देगा। उससे यह होगा कि कुछ दिनों तक वह जानवर कैटल पौन्ड में रहेगा और फिर इश्तिहार शाया होगा और उसके बाद भी मालिक उपलब्ध नहीं होता है तो वह नीलाम कर दिया जायगा, क्योंकि फाटक के कानून हैं वे बिल्कुल साफ हैं कि जानवर को कुछ दिनों के लिए फाटक में रखा जाता है, फिर नोटिस शाया करते हैं और उसका मालिक आ जाता है तो वह जानवर उसको लौटा दिया जाता है अन्यथा जानवर को नीलाम कर दिया जाता है, "or deal with it in such other manner as may be prescribed."

मान लीजिये, अभी रूल्स बनाते हैं, कोई पिंजरापोल, सेवागृह या किसी ऐसी जगह पर जानवर को रखा है तो उसके मालिक का रिश्तेदार जमानत देकर ले जा सकता है। उसमें गायें, बुलक आदि जानवरों को रख सकते हैं, और अगर कोई आदमी आया तो दे देंगे। उसके लिए कार्यवाही क्रिमिनल प्रोसीज़र कोड के अन्दर भी कर सकते हैं। लावारिस माल की जिस तरह की कार्यवाही की जाती है कि नोटिस शाया किया है, उसी तरह से जिस जानवर का कोई मालिक नहीं है तो उसके लिए क्रिमिनल प्रोसीज़र कोड के अनुसार कार्यवाही की जा सकती है। तो इसी दफा के अन्दर यह जो है कि, "deal with it in such other manner as may be prescribed"

यह ठीक है। इसको डिलीट करना मेरी समझ में उचित नहीं है, क्योंकि इसमें एक वाइड स्कोप दिया गया है उस जानवर के लिए कि जिस जानवर का मालिक उपलब्ध नहीं है। गवर्नमेन्ट जिस तरह उस जानवर की हिफाजत के लिए, उसकी रक्षा के लिए, उसकी परवरिश के लिए, उसकी जिन्दगी को

(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)

कायम रखने के लिए उचित कार्यवाही कर सकेगी और इसमें जो क्लॉज़ ३७ है उसके अन्तर्गत रूल्स बनेंगे, यह बात साफ है। क्लॉज़ ६ (२) (बी) में रूल्स बनाने के पॉवर्स डेलिगेट कर दिये हैं और उसके बाद विचार कर सकते हैं। रूल्स में रद्दोबदल करना है तो, "certified in writing that any animal is affected with scheduled disease..."

दूसरा सवाल है, "the Inspector shall deal with it in such manner as may be prescribed or,..."

यह ऐसा सवाल है कि आदमी साधारणतः भावना के आधार पर कभी कभी बहस करता है, लेकिन जब तर्क और बुद्धि के आधार पर व्यक्ति विशेष सोचता है तो उसके विचार और तरह के निकलते हैं। मैं मानता हूं कि धार्मिक भावना का आधार इस विज्ञान और तर्क के युग में कैसे आगे बढ़ सकता है। धार्मिक भावना को लेकर ऐसी बात करें, जिससे संस्कृति की याद दिलाकर, इसका उपयोग करके यह बताना चाहते हैं कि गौ-हत्या हो जायगी या गौ-हत्या करने जा रहे हैं या राजस्थान में गौ-हत्या जारी हो जायगी, यह मेरे ख्याल से अतिशयोक्ति है। इससे आपकी शोभा नहीं होगी और न बिल बनाते समय मन्त्रीजी के दिमाग में कोई ऐसी बात थी। आप जाति विशेष को कह सकते हैं कि पिग या सूअर को मारना चाहते हैं, लेकिन इससे भावना उभरेगी नहीं। मैं बिना धार्मिक भावना में गये तर्क के आधार पर कहना चाहता हूँ कि एक जानवर बीमारी के कारण तकलीफ उठा रहा है, उसकी हालत दयनीय और शोचनीय है, उसके लिये आपने यह बात पैदा की कि उसको मार दिया जायगा, लेकिन नहीं, इसके साथ-साथ और भी दिया है, "certifies in writing that any animal is effected with a scheduled disease, the Inspector shall deal with it in such manner as may be prescribed or, in the case of an animal suffering from a scheduled disease of the prescribed nature, destroy it, or..."

तो इस सारे का मतलब यह है कि जितने वाद-विवाद में तर्क और भावना के आधार पर जो विचार व्यक्त किये हैं, वे विचार इस १९५८ के साल में और इस वैज्ञानिक युगमें कहां तक ग्राह्य होंगे, जब कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन साफ है, नियम साफ है, उस समय उस तरह की धार्मिक भावनाओं के आधार पर लोगों की भावनाओं को कहां तक उभारा जा सकता है और दिमाग को कसौटी पर न कसकर यह कहा जाय कि अखबारों में खबर जायगी कि आज राजस्थान में ऐसा बिल पास हो रहा है, जिससे गौ-हत्या होगी, लेकिन वास्तव में ऐसी बात नहीं है। इस बिल का उद्देश्य है राजस्थान में गौ और पशुधन की रक्षा करना। इस बिल का जो प्रिएम्बल है उसमें साफ लिखा है कि पशु देश की मुख्य सम्पत्ति है और उनमें संक्रामक रोगों के निवारण तथा नियन्त्रण के लिये व्यवस्था करते हुए कानून का बनाया जाना उचित है। ऐसा कोई कानून विद्यमान नहीं है, जो सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में लागू हो, यद्यपि राज्य के कुछ भागों में पृथक्-पृथक् कानून वर्तमान हो सकते हैं। यह विधेयक कानून के इस अभाव की पूर्ति करने के लिये है। तो इस प्रिएम्बल और भूमिका के दो शब्द इस बात की ओर संकेत करते हैं कि यह बिल पशु-धन की बहतरी के लिये है। यदि आप लोगों की भावनाओं को उभार कर दूसरी ओर ले जावें तो यह बिल का कसूर नहीं है, यह आपकी

(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)

भावना का कसूर है । इस प्रकार की भावना के लिये क्या मौका है, क्या अवसर है इस चीज को ध्यान में रखकर विचार करें । आप इस प्रकार का प्रोविजो देना चाहते हैं, जबकि हम यह जानते हैं कि हमारा राज्य एक धर्म-निरपेक्ष राज्य है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस प्रकार की बात चलने वाली नहीं है । हम और तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, कुछ नीति होती है उस पर चल सकते हैं । लेकिन जो बातें नहीं हैं उनको आप रख देते हैं और लोगों को बताना चाहते हैं कि यह बात है तो मेरी समझ में यह भावना नहीं है । आप यह यह कहें कि गौ को या गौ के बच्चों को कत्ल करना चाहते हैं तो यहां पर कत्ल करने का कोई शब्द ही नहीं है......।

श्री तनसिंह : डेस्ट्राय करने का क्या मतलब है ?

श्री मूलचन्द डागा : 'कुरबानी' भी शब्द है, 'मारना' भी शब्द है, लेकिन इनमें एक दूसरे में अन्तर है । 'दान' और 'भेंट' भी शब्द हैं, लेकिन दोनों में फर्क है । शब्दों के अर्थ से अनर्थ भी हो सकता है । आप यह कह सकते हैं लोगों को कि सरकार का उद्देश्य गौ-हत्या करना है, लेकिन वह बात गलत है । एक आदमी कहता है कि फलां आदमी दान ले रहा है, लेकिन वह आदमी कहता है कि नहीं, मैं तो भेंट ले रहा हूँ । तो इन दोनों बातों में बहुत फर्क है ।

श्रीपाल राजा की एक जैन-कथा है, वह कुष्ट रोग से पीड़ित था, लेकिन भावना के नाम पर वह कुष्ट रोग से मुक्त हो गया । सच्ची भावना में बड़ी शक्ति है । लेकिन आप लोगों की भावना को गलत तरीके से उभारना चाहते हैं । जो चीज बिल में नहीं है उसकी ओर ध्यान आकर्षित करके आप लोगों को यह बताना चाहते हैं कि सरकार दूसरे रास्ते पर जा रही है । इसलिये जो संशोधन है, वह बिना मतलब का है । आपके दिमाग में जो शक है, उसका निस्तार करना चाहिये ।

ठा० मदनसिंह (दांता रामगढ) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्री तनसिंहजी ने जो अमेन्डमेंट रखा है, उसका मैं समर्थन करना चाहता हूँ और साथ ही साथ यह तो मैं समझता हूँ कि ऐसी सरकार के पास धार्मिक चीज रखना तो फिजूल है, यह तो हमें भी मालूम है फिर भी यहां हम लोग जिन इलाकों से आये हैं वे इसी आधार को लेकर आये हैं कि गौमाता की रक्षा करना अपना फर्ज समझेंगे । चाहे कानून के जरिये से हो, चाहे और किसी जरिये से हो, उसकी हम रक्षा करेंगे । इसलिए हमारा इस विषय में बोलना कर्त्तव्य हो जाता है और आज राजस्थान में जब ऐसा कानून मौजूद है कि किसी प्रकार से या किसी तरीके से गाय या बछड़ा या बैल की हत्या नहीं होगी । ऐसा कानून हमारे यहां होते हुए भी यदि ऐसी चीज किसी दूसरे कानून के जरिये होती है या बीमारी की आड़ लेकर होती है तो मैं समझता हूँ कि यह कानून के विपरीत चीज हो रही है, और कानून के विपरीत जब कोई चीज होती है तो मैं समझता हूँ कि हमारा यह फर्ज हो जाता है कि कानून के तरीके से ही हम इस पर विचार करें । राजस्थान सरकार ने यह क्यों जरूरी समझा कि राजस्थान में गाय-बछड़े आदि नहीं कटने चाहिये ? यदि धार्मिक भाव नहीं था तो फिजूल की बात थी, बेकार यह कानून क्यों पास किया और यदि धार्मिक भाव को लेकर ऐसा एक्ट बना हुआ है तो कोई इन्स्पेक्टर या डॉक्टर इस

(श्री मदनसिंह दांता)

कानून और धार्मिक भावना के विरुद्ध कार्यवाही कर सकेगा । धार्मिक भावना के विरुद्ध जो चीज रखी जा रही है उसका मुकाबला करना हर एक सदस्य का फर्ज है । मुझे इस बात का दुःख हुआ कि ऐसे सदस्य भी राजस्थान विधान सभा में मौजूद हैं, जो इस तरह की बात कहते हैं कि मामूली विरोध है । मैं इसके बारे में प्रजातन्त्र के तरीके से समझाऊंगा और धर्म-शास्त्र का प्रमाण भी दे सकता हूँ, लेकिन जो लोग हवा में बातें करते हैं, वे धर्म-शास्त्र की बात को क्या समझ सकेंगे........

श्री उपाध्यक्ष : आप इस तरह का प्रकाश न डालें जो सदस्यों पर रिफ्लेक्ट करता हो ।

श्री मदनसिंह दांता : मैं समझता हूँ इस प्रकार के प्रोविजन से यहां पर गौ-हत्या होने लगेगी । आज राजस्थान में ऐसी जाति के लोग भी डॉक्टर या इन्स्पेक्टर्स से हैं जो ताजा से ताजा गाय या बछड़े को काटना चाहेंगे । वे यह कह देंगे कि इस गाय या बछड़े को बीमारी या रोग होने के कारण डेस्ट्रोय कर दिया जाय और फिर उसे वह अपने काम में ले लेंगे । पार्लियामेंट में भी इस बारे में बहस हो चुकी है । भारतवर्ष में आज भी ऐसी जाति है जो ताजा से ताजा गाय को मारने में पाप नहीं समझती । और जिसे भी वे अच्छा समझेंगे, किसी भी ताजा गाय को मोटी से मोटी बीमारी लगा कर उसे किसी अपने आदमी को सम्भला देंगे । वे कहेंगे, इसे मोटी बीमारी हो गई है, इसलिए इसको डेस्ट्रोय कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं और दावत उडा सकते हैं । ऐसे लोग हैं आज राजस्थान में, अगर ऐसे लोग नहीं होते तो वास्तव में इस धारा को मान्यता देते, परन्तु राजस्थान में इस डिपार्टमेन्ट में जो जानवरों के लिए डाक्टर हैं, इस डिपार्टमेन्ट में ऐसे लोग भी हैं, जो गौ भक्षक हैं और जब भी गाय की बीमारी के सम्बन्ध में बातचीत होगी, देखभाल होगी, जंगल में होगी, वहां किसी पंडित को नहीं पूछा जायगा और सिर्फ उस डाक्टर पर निर्भर होना पड़ेगा । इसलिए मैं इसका विरोध करता हूँ कि ऐसे अधिकार इन्स्पेक्टर को नहीं देने चाहिए, वेटरनेरी डाक्टर को नहीं देने चाहिए, क्योंकि वे मोटे रोग की घोषणा करके, गाय, बछड़ों और बैलों को खराब बता कर, उनको खत्म करके अपने स्वार्थ की पूर्ति कर सकते हैं । इसलिए मैं समझता हूँ कि इस धारा से, इसे कानून में रखने से कोई विशेष लाभ नहीं होता । आज तक ये बीमारी हुई है, कोई ऐसा इलाका नहीं है, जिसमें ऐसी बीमारी होने से गाय, बछड़ों को बहुत ज्यादा नुकसान हो गया हो । मैं समझता हूँ कि आज सरकार का कहना है कि बहुत ज्यादा गायें हैं, बहुत ज्यादा पशु हैं, इनको रखा नहीं जा सकता । इसलिए मैं समझता हूँ कि ऐसी सरकार जिसकी धार्मिक भावना ऐसी हो, वह स्वयं इन्स्ट्रक्शन दे सकती है, हिदायत दे सकती है कि गाय, बछड़ों और बैलों को यह बीमारी लगा दो और क्योंकि ये बहुत बीमार हैं इसलिए मरवा दिये जायं । इसलिए इन्स्पेक्टर या डाक्टर के हाथ में यह अधिकार दे देना, या ये चीजें छोड़ देना, मैं समझता हूँ कि बहुत गलत चीज होगी । मैं कहता हूँ कि ऐसी चीज उनके हाथ में नहीं रह सकती, जिनकी धार्मिक भावना ऐसी हो । ऐसा अधिकार मनुष्यों के लिए क्यों नहीं रखा जाता, आज भी बड़े बड़े डाक्टर हैं, उनको यह अधिकार

(श्री मदनसिंह दांता)

क्यों नहीं है कि जो मनुष्य काबिल नहीं हो, नाकाबिल हो, बुरी बीमारी से पीड़ित हो, उसको समाप्त कर दें। इस प्रकार के मनुष्यों के लिये डॉक्टर के प्रति शंका क्यों की जाती है। मनुष्यों के लिए शंका होती है तो गायों और बछड़ों के लिए भी शंका होती है। मैं साफ शब्दों में कह सकता हूँ कि वेटरनेरी डॉक्टर मुसलमान ज्यादा हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि जो डॉक्टर मुसलमान हैं और कभी जंगलों में...

श्री उपाध्यक्ष : आप इस तरह से रेफरेन्स न दें।

श्री मदनसिंह : मैं फिर कैसे दूं?

श्री उपाध्यक्ष : ऐसे रेफरेन्स न दें। You will not agitate the communal feelings.

श्री मदनसिंह : अगर मैं ऐसे रेफरेन्स नहीं दूंगा तो जिस मन्शा से मैं विरोध करता हूँ उसकी पूर्ति नहीं होती है।

श्री उपाध्यक्ष : भले ही मंशा पूरी न हो।

श्री मदनसिंह : ठीक है। इस कानून को यहां पास कर सकते हैं, इसका तो विरोध होगा।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : उपाध्यक्ष महोदय, श्री तनसिंहजी ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है उसका मैं विरोध करता हूँ। सवाल तो यह है कि जो कार्य होता है उसको उसकी भावना से देखा जाता है। जिस बात को लेकर संशोधन रखा है उसमें है कि गाय-बछड़ों को मारना नहीं चाहिए। मेरे ख्याल से हर एक हिन्दू की भावना यह है कि जब समाज में ज्यादा भलाई के लिए काम किया जाय तो उसमें आदमी मारा जा सकता है, जिसमें इन्सान को मारने के काम को भी धर्म समझा जाता है। जब कोई दुश्मन हमला करता है तो उसको मारने में पाप नहीं समझा जाता, उसको धर्म में गिना जाता है। उसी तरह से जब कोई संक्रामक बीमारी ने हमला किया हो और उसमें बहुतों की जान जाने वाली हो और बहुतों को बचाने के लिए एक की जान जाती है तो यह जरूरी हो जाता है कि किसी बहुत भयानक बीमारी से ग्रसित जानवर को मारा जाय। इसलिए यह ज्यादा जानवरों को बचाने के लिए प्रोविज़न रखा है।

दूसरा, निवेदन यह है कि पहले ओरीजिनल बिल में जो क्लॉज़ था, और जिस क्लॉज़ को सिलेक्ट कमेटी ने अमेंड किया है, उसमें पहले यह था कि शिड्यूल में १०—१२ डिजीजेज़ दी हुई हैं उसमें से किसी बीमारी से कोई जानवर ग्रसित हो तो मार दिया जाय। यह प्रोविज़न था, सिलेक्ट कमेटी ने विचारा कि यह हार्डशिप होगी, इसलिए शिड्यूल्ड डिजीजेज़ में कुछ बीमारियां, प्रेस्क्राइब्ड बीमारियां ऐसी होनी चाहियें, प्रेस्क्राइब्ड नेचर की होनी चाहिए, जिससे कोई जानवर बीमार हो तो उसे मारा जाय। यह सिलेक्ट कमेटी ने साफ कर दिया है, इसलिए यह शंका कि कोई जानवर बीमार हो जाय, और वह बीमारी शिड्यूल डिज़ीजेज़ में से हो, तो उस बीमारी से ग्रसित जानवर को मार दिया जायगा। यह शंका निर्मूल है और मैं समझता हूं कि जो प्रोविज़न रखा है वह ठीक है।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन माननीय सदस्य ने रखा है क्लॉज़ ६ के अन्तर्गत, मैं उसका समर्थन करता हूँ। क्लॉज़ ६ के अन्तर्गत (श्री)

Page No.67

(श्री दयाकृष्ण विजय)

क्लॉज़ है, उसमें बताया गया है कि सभी प्रकार के पशु अगर शिड्यूल के अन्दर दिये किसी रोग से ग्रसित हैं तो उस ग्रसित पशु को मार दिया जायगा। मैं सदन का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि पशुओं के अन्तर्गत जहां तक गौवंश का प्रश्न है, भारतवर्ष के अन्दर आज से ही नहीं वरन् उस समय से जब हम देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, और जिन नेताओं के नेतृत्व में उस आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, इन नेताओं ने, जिनमें से मैं महात्मा गांधी और लोकमान्य तिलक का नाम ले सकता हूं अपनी व्याख्या में इस प्रकार का दावा किया था कि देश जब पूर्ण रूप से आजाद हो जायगा तब देश में चलने वाली जो गौ-हत्या है वह बन्द हो जायगी। लेकिन हम इस प्रकार के कानून बना रहे हैं, जिनके समान, १० वर्ष स्वतन्त्रता प्राप्ति के हो गये हैं, ११ वर्ष के होने के बावजूद भी किसी सरकार ने, एक दो सरकार को छोड़ दीजिये, इस प्रकार के कानून नहीं बनाये हैं। लेकिन आज कानूनों के विरुद्ध जनता की आवाज़ उठ रही है, जनता की इस आवाज को दबाया नहीं जा सकता जहां तक गौ-वंश का प्रश्न है, यह हमारी पवित्र भावनाओं का केन्द्र है और हम लोग इसे माता के तुल्य मानते हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार रूस के अन्दर भालू और अमरीका के अन्दर चील को पूजनीय माना जाता है, उसी प्रकार भारतवर्ष के अन्दर गौवंश को पूजनीय माना जाता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार के कानून को बना कर अगर गौ वंश की हत्या को प्रोत्साहन देंगे, इस प्रकार के कानून बना कर अगर हमारी पवित्र भावनाओं के केन्द्र बिन्दु की हत्या को प्रोत्साहन देंगे और इस प्रकार के कानून बनाये जायेंगे तो उन कानूनों के खिलाफ जनता के अन्दर आन्दोलन छिड़ने की सम्भावना रहेगी। आप जो कानून बनाना चाहते हैं, और कानून को जिन मन्शा से बनाना चाहते हैं, वह स्पष्ट है, यह पशु रोग विधेयक है, जिसके द्वारा पशुओं के रोगों को रोकें। इसका अर्थ यह है। हम भले ही जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ करें, यह हो सकता है कि जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ इस असेम्बली में किया जा सकता है, लेकिन जनता के अन्दर यह बात रखी जायगी कि हमारी असेम्बली ने यह कानून पास किया है, तो जनता इसका विरोध करने के लिये तैयार हो जायगी और बड़ा भारी आन्दोलन सारे राजस्थान में शुरू हो सकता है। मैं इस बात का संकेत इसलिए कर देना चाहता हूं कि यह बहुत सम्भव है। इसलिए माननीय मंत्री जी इस संशोधन को स्वीकार करें और इसमें गौ वंश का नाम नहीं रखें तो मैं समझता हूं कि सारी बात समाप्त हो जायगी। लेकिन जिस मन्शा को लेकर हम चल रहे हैं, उसी मन्शा को लेकर चलें तो राजस्थान में निश्चित रूप से आन्दोलन छिड़ेगा। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि गौवंश की रक्षा के लिए जो आन्दोलन चल रहा है वह कोई धार्मिक आन्दोलन नहीं है। गौरक्षा की बात की जाती है आर्थिक पहलू से भी, आर्थिक पहलू से भी इस पर विचार कर सकते हैं। पर इसमें आर्थिक पहलू पर विचार करने की बात नहीं रही, क्योंकि इसमें सब पशुओं को मारने का प्रॉवधान रखा है। सब पशुओं के मारने का प्रॉवधान रखते हुए हमें गौवंश का ध्यान रखना होगा। एक कमेटी कोटा गई, मुझसे पूछा गया कि जंगल में गायें चरती हैं उन पर टैक्स लगाना चाहिये या नहीं, मैंने कहा कि टैक्स नहीं लगाना चाहिए और टैक्स

(श्री दयाकृष्ण विजय)

नहीं लगाया गया । इसका कारण यह नहीं मैंने कहा कि नहीं लगाना चाहिए, इसलिए नहीं लगा, पर गायों पर टैक्स नहीं लगाना चाहिये, इसलिए नहीं लगाया गया ।

हम कोई भी कानून बनाते हैं तो उसमें गौ और गौ वंश पर गम्भीरता से विचार करें, यही मेरा निवेदन है ।

यहां पर इस प्रकार रखा गया कि पशु रोग-ग्रस्त हो गया हैं उससे दूसरे पशु मर जावेंगे, इसके लिए मैं यह कहूँगा कि आइ-सोलेटेड गौशालाओं में रखिये जो शहर से दूर हैं, ऐसे गौवंश को वहां रखा जाय और उनकी दवा-दारू की जाय । ऐसा तो हो नहीं सकता कि सभी रोग ऐसे हैं कि उनका इलाज नहीं हो सकता और उनको मार दिया जाय । मरता हर एक है, मरना सब का जन्म-सिद्ध अधिकार हैं, जो पैदा होगा वह मरेगा, पर हमारा कर्त्तव्य होता है कि हम किसी को नहीं मारें । हम किसी के हाथ लगाते हैं और चोट पहुंचाते हैं, उसको हम बुरा समझते हैं, हमारा देश तो वह देश है, जहां बुद्ध पैदा हुए, महावीर पैदा हुए, महात्मा गांधी पैदा हुए, यह देश ही एक ऐसा देश है जहां दया और अहिंसा के गीत गये जाते हैं, इस प्रकार का कानून हमारे देश के लिऐ कलंक होगा और हमारी जनता के लिए अपमानजनक ।

माननीय उपाध्यक्ष, मैं सदन से पुरजोर अपील करता हूँ कि यहां पर जो संशोधन दिये, माननीय सदस्यों ने संशोधन रखे हैं, उन्हें स्वीकार करना चाहिये और गौवंश का प्रोवधान रखना चाहिये और अगर गौवंश इफेक्टेड है तो उनको आइसोलेटेड गौशा-लाओं में रखना चाहिये, उनको मारने के पक्ष में हम नहीं हैं । इन्हीं शब्दों के साथ में माननीय सदस्य का समर्थन करता हूं ।

श्री रामचन्द्र (डग) : माननीय उपाध्यक्ष, ६ ए. सब क्लॉज़ का प्रोविज़न है वह स्पष्ट है । धारा ६ में बताया है कि अमुक पशु छूत रोग से ग्रस्त है तो उसके अनुसार वेटरनेरी सर्जन के लिएँ आवश्यक हो जाता है कि उस पशु का जाकर निरीक्षण करें, वेटरनेरी सर्जन को प्रतीत हो कि वह छूत रोग से ग्रस्त है अथवा नहीं है....

एक माननीय सदस्य : बूढ़ा होना रोग है ?

श्री उपाध्यक्ष : Hon'ble member will not interrupt the debate please.

श्री रामचन्द्र : जब वेटरनेरी सर्जन इस बात का निर्णय दे दे कि पशु छूत रोग से ग्रस्त नहीं है तो पशु उसके मालिक को लौटा दिया जाय । प्रोविज़ों में यह बताया है कि यदि मालिक का पता नहीं चले तो पशु का क्या किया जाय । उसे गौशाला में भेजा जाय या प्रेस्क्राइब्ड तरीकों से उसें ठिकाने लगाया जाय । यदि क्लॉज़ में इस प्रेस्क्राइब्ड मेनर को स्पष्ट कर दिया जाता तो ठीक होता । पशु से छुटकारा पाने के तीन ढंग हैं, या तो उसे कैटल पौंड में भेज दिया जाय या बेच दिया जाय या खत्म कर दिया जाय । अब प्रश्न यह है कि उस पशु को कैटल पौंड में भेजा जाय या बेच दिया जाय । वह पशु रोगग्रस्त तो है नहीं फिर उसे मारने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता । फिर दो ही रास्ते रह जाते हैं । इसलिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि अकोर्डिंग टू प्रेस्क्राइब्ड मेनर के स्थान पर इट मे बी आक्शन्ड लिख दिया जाय या और कोई बात जो आपके दिमाग में हो, उस तरह स्पष्ट कर दें तो वही ठीक होगा ।

(श्री रामचन्द्र)

दूसरा संशोधन जो बाडमेर से आये हुए माननीय सदस्य ने रखा है कि यदि छूत ग्रस्त पशु है तो उसके लिये इस विधेयक में तो बताया है उसे मार दिया जाय, इसमें आपका संशोधन है कि यदि यह गाय, बैल, सांड, बछड़ा अथवा बछड़ी हों तो उन्हें नहीं मारा जाय, इसके बारे में आपकी यह दलील है कि हमारा देश धार्मिक वृत्ति का देश हैं, गौ को हिन्दू गाय माता की बतौर मानते हैं। धर्म के आधार पर उन्होंने यह बात कही, मैं यह भी कहूँगा कि भारतवर्ष में गौ की पूजा का कार्य धार्मिक ही नहीं बल्कि भारतवासियों की संस्कृति का भाग है...

(करतल-ध्वनि)

हमारी संस्कृति में बताया है कि गौ की रक्षा करनी चाहिये। मैं तो यह कहूंगा कि यदि आपने यह कानून पास भी कर दिया कि छूतदार, गाय, बैल, बछड़े हैं उनको खत्म कर दिया जाय तो इनको खत्म करने के लिए कोई हरिजन, नीच से नीच भंगी को भी कहा गया तो वह भी ऐसा घृणित कार्य नहीं करेगा। यदि आप इनको खत्म भी करायेंगे तो अहिन्दू से ही करा सकते हैं। हिन्दू तो ऐसा नहीं करेगा। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि पशु को डेस्ट्रॉय करने का जो इसमें उल्लेख किया गया है, उसके स्थान पर यह परिवर्तन कर दें कि वह डिटेन्शन केम्प में रखा जायगा। और जब वह छूतदार बीमारी से मुक्त हो जाय तो फिर उसे छोड़ दिया जाय। पशु को मारने का प्रश्न यहां बिल में हर्गिज नहीं आना चाहिये।

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बाड़मेर से आये हुए माननीय सदस्य श्री तनसिंहजी ने जो संशोधन रखा है उसका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। कल भी मैंने प्रकाश डाला था, आज भी निवेदन करता हूँ, बोलने की तो ज्यादा इसलिए जरूरत नहीं थी कि कल बोल चुका हूँ पर सलूम्बर से आये हुए माननीय सदस्य ने कहा कि आफत आने पर गाय-बैल तो क्या आदमी तक को मार दिया जाता है, इसके लिये कहने को खड़ा होना पड़ा।

माननीय उपाध्यक्ष, यह पशु बीमारी आज ही नहीं, हमेशा की बीमारी है इलाज भी हमेशा से चले आ रहे हैं। मैं तो निवेदन करता हूँ कि पहले भी पशु बीमार हुआ करते थे। मेरा जो पहले राज्य था उसके सराउन्डिंग में जो राज्य था उसमें गाय का वध होता था, फिर भी मैंने छपवा कर वहां के गांवों में सूचना करवा दी थी कि कोई पशु बीमार हो जाय, गाय बछड़ा तो हमारे इधर बीड है, सुरक्षित है, आप यहां आ कर छोड़ जायं। फिर मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि बीमारी आदमी को होती है, ऐसी क्या आफत आती हैं, हिस्ट्री देखिये आफत ऐसी ऐसी आई कि जहां गौवध होने लगा, वहां हम लोगों का खून बहा है और हमने रक्षा की है फिर आज ऐसी कौन सी आफत आ गई है कि गाय को मारने की जरूरत पड़ गई है। आप तो इसकी रक्षा करें। यह डेस्ट्रोय शब्द जो श्री रामचन्द्र जी ने संशोधन रखा है, डेस्ट्रॉय वर्ड को निकाल दें, और बहुत तरीके होते हैं, उनसे इलाज हो सकता है। आज तो गाय पागल हो गई, बीमार हो गई, गाय को माता की बराबर मानते हैं, कल माता बीमार हो गई, बाप भी बीमार हो गया तो क्या उनको भी डेस्ट्रॉय कर देना यह भी क्या दुनियां का तरीका है। हां यह करें कि जुदा स्थान रखें, वहां रख कर इलाज करायें।

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

किसी ब्राह्मण या हरिजन के यहां गाय माता मर जाती है तो जब तक उसे हरिजन उठा कर नहीं ले जाते तब तक हरिजन हो या ब्राह्मण हो रोटी नहीं खाते हैं, पानी तक नहीं पीते हैं, आज तक यह भावना राजस्थान में रही है। ऐसे ऐसे हमारे मन्त्रीगण यहां मौजूद हैं, जिनके हमारे से ज्यादा धार्मिक भावना उनके घर में हैं, उनके रहते हुए ऐसा कानून पास होता है, तो शर्म की बात है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि ऐसे शब्दों के प्रयोग में सावधानी रखें।

रावराजा श्री सरदासिंह : मैं माफी चाहता हूँ।

(अनेक माननीय सदस्यों के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष : Hon'ble Member on my left.

श्री मोहरसिंह (चूरू) : माननीय उपाध्यक्ष, श्री तनसिंहजी ने जो संशोधन रखा है, मैं उसके समर्थन के लिये खड़ा हुआ हूँ। वास्तव में जितने भी हम लोग विधान सभा में आकर माननीय सदस्य बैठे हैं, वे यहां पर जनता की भावना के प्रतिबिम्ब हैं, ऐसा दिल में सोचकर मैं इसका विरोध करता हूँ। केवल विरोध करने की भावना से उसका विरोध कर रहा हूँ, यह बात नहीं है। लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से भी पशुधन का हमारे यहां पर जितना महत्व है उसके साथ साथ धार्मिक दृष्टिकोण से भी गौ का जितना महत्व भारतवर्ष में है, वह भुलाया नहीं जा सकता। इसको हिन्दुओं की कौम ही नहीं बल्कि ज्यादातर जनता बहुत ऊंची निगाह से देखती है। मैंने जिस वक्त इस क्लॉज को पढ़ा तो दिल में सोचा कि अगर थोड़े से शब्दों को उलटपुलट करके रखते तो यह जो वाद-विवाद इतना यहां पर हो रहा है उसका प्रश्न ही नहीं आता। चूंकि यह यहां पर आया इसलिए कई प्रकार के शब्द कहने पड़े। वास्तव में यह कहा जाता है कि आपस में विधान सभा के छंटे हुए लोगों में काफी हद तक बातें कहनी पड़ती हैं जो वास्तव में नहीं कहनी चाहिये, मगर इसके साथ साथ वस्तुस्थिति को भी नजर से ओझल नहीं किया जा सकता। राजस्थान में जहां कानून बने हुए हैं और राजस्थान की जनता उस बात को जानती है और मानती है कि गौ हत्या के लिए कितने वर्षों की सजा है तो इस चीज को भुलाया नहीं जा सकता और हमें नहीं भूलना चाहिये। इसके अलावा हमको यह भी नहीं भूलना चाहिये कि जो कानून हम यहां पर बनाते हैं वह हमारे ही लिए नहीं हैं वे जनता के लिये हैं और जिस समय ये कानून कार्य रूप में जनता में परिणत होंगे उस वक्त उस कानून का जो भी परिणाम होने जा रहा है, उसको दृष्टि से ओझल नहीं होने देना चाहिये। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं ज्यादा नहीं कह कर आपसे यही निवेदन करूंगा कि जो संशोधन इस पर श्री तनसिंहजी ने रखा है, उसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री तेजमल बापना (बनेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज ६ के (बी) में जो संशोधन बाड़मेर से आए हुए माननीय सदस्य ने रखा है उसका तो मैं समर्थन करता हूं, लेकिन जो विचार उन्होंने रखे हैं उनको मैं थोड़ा सा विपरीत मानता हूँ और मैं उनके विपरीत जाऊंगा।

उन्होंने जो विचार व्यक्त किये हैं उनमें कुछ धार्मिक भावनाओं का संरक्षण प्रतीत

Page No.71

(श्री तेजमल बापना)

होता है। यह तो आवश्यक है कि बीमारी फैलती है और जिस समय संक्रामक रोग फैल जाता है और उससे बहुत से पशु इन्फेक्टेड हो जाते हैं इससे उनको बचाया जाए, परन्तु वे केवल गाय, बैल, बछड़े और बछड़ियां तक ही महसूस करना मैं उचित नहीं समझता। किसी भी जाति के पशु क्यों न हों, यदि कोई ऐसे संक्रामक रोग से पीड़ित हो जाएं और वह यदि इन्सपेक्टर और सर्जन की रिपोर्ट के बाद भी दूसरे पशुओं में रोग फैलाने का आधार माना जावे तो सबसे अच्छा यह हो कि उसको डेस्ट्रोय करने के बनिस्बत उसको एकान्त जगह (Secluded place) में रखा जावे। केवल धार्मिक भावना पर रहने वाले और केवल जाति विशेष के जानवरों पर ही यह बात रखनी उचित नहीं होगी। भारतवर्ष तो एक ऐसा देश है जिसका आदर्श बहुत ऊंचा है। महात्मा बुद्ध, भगवान् महावीर के सिद्धान्त तो जीवमात्र को मारना भी अपना अधर्म और पाप समझते थे। इसलिये माननीय सदस्य ने जो विचार प्रकट किये हैं उनकी भावनाओं की तो मैं कदर करता हूँ, लेकिन इस संकुचित भावना के सम्बन्ध में यही कहूंगा कि जहां तक डेस्ट्रोय शब्द (बी) क्लॉज में है उसकी जगह सेक्स्युडेड प्लेस (Secluded place) में रख दिया जावे तो उनका मतलब भी हल हो जावेगा।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : (डीग) उपाध्यक्ष महोदय, वास्तव में जो बीच का मार्ग निकलता है, उसको मैं समझता हूँ कि सबको स्वीकार करना चाहिये। इस संशोधन को रख कर जिस प्रकार के विचार प्रकट किये गये उसमें कुछ तो बहुत एक्स्ट्रीम तक पहुँच गये और यहां तक कह गये कि इससे गौ-वध होगा। यहां तक कहा गया कि गायों की रक्षा के लिये लोग अपने प्राण तक देते थे। इस सिलसिले में महात्मा गांधी का नाम भी लिया गया और दूसरे बड़े-बड़ों के नाम भी लिये गये। मैं समझता हूँ कि महात्मा गांधी के जीवन में और उनके उपदेशों में आपको ऐसे अवतरण मिलेंगे, जहां उन्होंने कहा है कि मेरे दृष्टि में गौ-वध और मनुष्य वध एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वे गौ का दूध भी पीते थे और बकरी का दूध पीते थे। हमारी यह प्राचीन प्रथा है, उसमें गौ का और ब्राह्मणों का नाम लिया जाता है और इस सदन के बाहर और हिन्दू जगत् में और कभी कभी हमारे सदन के अन्दर भी उनका नाम लिया जाता है कि उनका बहुत अच्छा मान है। लेकिन आज के इस विज्ञान के युग में इसको एक धार्मिक रूप देना उनके महत्व को कम करना है। असल में चीज यह है कि उनका विशेष उपयोग अवश्य रहा है और उसका कारण यह था कि ब्राह्मण होते थे वे सारे ज्ञान और विज्ञान के स्रोत होते थे। मनुस्मृति में ब्राह्मण को अवध्य माना है। राजा लोग भी ब्राह्मणों को कोई इस प्रकार का जुर्म करने पर भी मौत की सजा नहीं देते थे। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज के युग में वे अपनी उपयोगिता खो बैठे हैं और अगर आज हम यह कानून बनाएं कि ब्राह्मण अवध्य हैं तो यह उचित नहीं होगा। गौ की सेवा करना और चीज है। मैं कहता हूँ कि हिन्दू क्या अहिन्दू भी गौ की भक्ति करता है और ईसाइयों और मुसलमानों में भी उसी प्रकार से गौ की भक्ति होती है। मुझे दुःख है कि हम हिन्दू कहलाने वाले उनकी इतनी सेवा नहीं करते। आज अमेरिका और इंग्लेन्ड के लोग जितनी गाय की सेवा करते हैं, हम उसकी उतनी सेवा नहीं करते जो उसको गौ माता

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

कहते हैं। उसके लिये हमारी बड़ी श्रद्धा है, मगर फिर भी गायें घूमती-फिरती हैं और मार खाती हैं। हम उनको अच्छी तरह नहीं रखते। मेरे पड़ोस में ही आकर आप देखें, जयपुर में ही वहां पर कोई आकर नहीं देखता कि उनकी गायें क्या करती हैं। कितनी गायें लोगों की साग-सब्जी खा जाती हैं और उनके पेड़ों को नष्ट कर देती हैं। वे लोग उनका दूध निकाल लेते हैं उसके बाद गायें कहीं जाए उनको किसी बात की चिन्ता नहीं। वे क्या खाती हैं, क्या क्या करती हैं, कहां जाती है, कोई विष्ठा खाती है, ये सारी चीजें वे नहीं देखते जो हिन्दू हैं। मगर ऐसे अवसरों पर हम जोर देते हैं और धार्मिक भावनाओं को प्रकट करते हैं। उनको चाहिये कि वे गांव—गांव, घर-घर और मोहल्ले-मोहल्ले में जाकर कहें कि गायों को किस तरह से रखें। जब वे बीमार हों तो उनकी सेवा करें और उनको गौ माता समझें। उनको अच्छा अच्छा भोजन दें, मगर उस वक्त कोई ऐसा नहीं समझता। लेकिन जहां तक गौ-वध की बात है, मैं समझता हूँ कि यहां पर गौ-वध का कोई प्रश्न नहीं है। मैं यह कहूँगा कि जो दूध देने वाली गायें हैं, अच्छी उपयोगी गायें हैं, उनको हिन्दुस्तान की राज्य सरकार ही नहीं सारी दुनिया की राज्य सरकारों में भी ऐसा नहीं होगा जो इस प्रकार की गायों को वध करने का प्रावधान रखते हों। यहां पर एक कानून लाने को हैं कि बीमार गायें और दूसरे जानवर हो जावें तो उनसे अलग रक्खा जाय। बच्चों को खांसी हो जाती है और उससे टी. बी. हो जाती है तो उससे बचत जरूरी हो जाती है। उसके लिये चाहे हम उसको मां कहें, चाहे भाई कहें या बहिन कहें, यदि उनमें से किसी के बीमारी हो तो उनका झूंठा पानी पिलाकर दूसरों को भी बीमार करेंगे। अपने बच्चे को प्रेम किया जावे, मगर ऐसा नहीं होना चाहिये कि बीमार का झूंठा पानी पिला कर दूसरे को बीमार किया जाए। अगर आप ऐसा कहते हैं कि मां अपने बच्चे को क्या प्रेम न करे। अगर ऐसी बात है तो यह तो एक अन्ध विश्वास है।

श्री मदनसिंह दांता : इसी लिये तो आप इतने बड़े हुए हैं।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : उपाध्यक्ष महोदय, क्या आप इस बात को पसन्द करेंगे कि आपका कोई बच्चा बीमार हो और उसका झूंठा पानी पीए? अगर आप ऐसा करते तो बड़े नहीं होते।

मतलब यह है कि गौ भी बीमार हो जाती हैं। पशु बीमार होते हैं और इस हद तक वह बीमार पहुँच जाती है कि दूसरे बहुत से लोगों के पशु उस बीमारी से प्रभावित होते हैं तो ऐसी हालत में जरूर कोई न कोई प्रबन्ध करना चाहिये, जिससे उसकी बीमारी ठीक हो। आदमी भी बीमार होते हैं तो उनको इलाज के लिये अलग रखा जाता है, इसलिये ऐसा रखा है। गाय हो या कोई भी दूसरा जानवर हो उसको इसी प्रकार से रखा जावे कि दूसरे जानवरों को रोग न लगे। अगर जानवर भी मनुष्यों की तरह भावना प्रकट करने वाले हों तो वे स्वयं यह चाहते कि रोग समाप्त हो जाए। इसलिये यह मार्ग निकाला है यह उचित है। डेस्ट्रक्शन का मतलब इन्जक्शन लगाना है। लोगों ने समझा कि इसका शायद मतलब यह होगा कि उनको मार रहे हैं। गौ वध करना तो कानूनन बन्द है। लेकिन फिर इस स्थान पर अपनी माता को मरने के लिये छोड़ दिया जाता है। इस

Page No.73

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

प्रकार के प्रावधान से इस बिल की मन्शा पूरी हो जाती है, मैं समझता हूँ ऐसा करना बहुत उपयुक्त होगा।

३ म० प०

(श्री अनूपसिंह के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष : मैं समझता हूँ कि आपकी भावनाओं को काफी समझ लिया होगा।

श्री श्रीभानसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे भी इस पर बोलना है।

श्री अनूपसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी इस बिल की सिलेक्ट कमेटी का मेम्बर था, अगर आप इजाजत दें तो मैं भी अपने विचार प्रगट करूं।

श्री उपाध्यक्ष : यदि आप सिलेक्ट कमेटी में थे तो आप बोल नहीं सकते। यह तो परम्पराओं का प्रश्न है।

श्री अनूपसिंह : आपकी डिस्क्रीशन पर है, आप आज्ञा दें तो मैं बोल सकता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : यहां की परम्परायें सुदृढ़ हैं। मैं उसको तोड़ना उचित नहीं समझता।

श्री श्रीभानसिंह

(विराम)

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : Mr. Deputy Speaker, Sir. I rise to oppose the motion tabled by Shri Tan Singh. I have heard with great interest and with great care the debates that took place on clause 9 sub---clause (b) regarding destruction of our reverred, respected and worshipped cow; and such terms and such illustrations were given that they had no connections with our subject under discussion. While I am one of those who do not wish to start cow slaughter by which I mean healthly cow, healthy calf and healthy animals of our State and of our country, but there is difference and that must be maintained. If our approach in this dynamic age is based on mere sentiments and hero worship, let me tell you, we will not advance. We cannot forget by sentiments the facts, in this case, when the State Government is coming to their rescue. There is a limited land and when the State Government come forward to set a law to destroy all those who have no chance of survival, then we must save them. It is time that we should base our decisions on scientific reasons, and scientifically, we will have to make an approach to make humanity or man kind of Rajasthan survive. Choose between man or animals. If you want to save your manpower, you make your choice, or those useless and diseased live stock you will not destroy. Then in that case, you have to make a choice and choose; either you have men or the animals. There is a struggle between man and the animal. Our economy is based on cow. But it is not based on these bullocks and buffaloes who have no chance of survival. We can say that the State Government should preserve them. Those who have approached sentimentally have no answer to this question, as to what will be their worth, who have no chances of survival. Therefore, my request to the Hon'ble

Page No.74

(श्री श्रीमानसिंह)

members is that, base your approach on reasons. Those days have gone, when they could be based on hero-worship. Let me tell you today that this country will never bear those useless animals who will be burden on the people who want to progress. We want to progress and I want to know from the mover of the motion what should the State Government do if all the medicines have failed. That will be the condition if the amendment is accepted. Let this, therefore, be my sincere request for an approach that will help our progress that will make our cattle healthy.

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे दुःख है कि साइन्टिफिक एज और डाइनेमिक डिज़ीज़ के आधार पर हमारे एक माननीय सदस्य यह कहते हैं कि सेन्टीमेन्ट्स का सवाल है गाय को हम और भी अन्य कारणों से ऊपर मानते हैं। फिर गाय ही को नही सेन्टीमेन्ट्स के आधार पर आज के युग में भी हम अन्य कई चीजों को मानते हैं। राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तीन छोटे छोटे रंगों के कपड़ों के टुकड़ों का ही तो एक समूह है, पर सेन्टीमेन्ट्स ही के आधार पर इस पर सारे देश को गर्व है और इसपर हजारों जानें न्यौछावर करने को तैयार हैं। हमारा संविधान क्या है, एक कागज का पुलिन्दा ही तो है। हमारे लिये त्रिमूर्ति क्या है? ये सब सेन्टीमेन्ट्स ही तो हैं कि हम उनको आदर की दृष्टि से देखते हैं और उनका अपमान स्वीकार नहीं करते। हरेक बात में अगर हम इकोनोमी और पैसा देखें, आर्थिक लाभ की बात देखें तो यह उचित नहीं है। हम इन आधारों पर राष्ट्र को नहीं छोड़ना चाहते। आज गाय का सम्बन्ध सेन्टीमेन्टल ही नहीं, सांस्कृतिक भी है। इस देश का गाय के जीवन के साथ में अटूट सम्बन्ध रहा है। गाय और भारत आज दो अलग चीजें नहीं हैं। गाय के आधार पर हमारे राष्ट्र की संस्कृति बनी हुई है। गाय के आधार पर इस सारे देश का जीवन बना है। तो केवल इस नाते कि यह सेन्टीमेन्टल है, हम इस प्रश्न को टाल नहीं सकते।

जहां तक आर्थिक दृष्टिकोण है उसे भी अगर ले लें, केवल इस नाते कि जैसा मेरे पूर्व वक्ता महोदय ने कहा कि सारी दवाइयां फेल हो जाती हैं, मनुष्य के सारे प्रयत्न उसकी जान बचाने में विफल हो जाते हैं तो सब कुछ होने के बाद में गाय का क्या करें। मैं इस पर पूछ सकता हूं कि अगर एक आदमी बीमार है और उस पर सारी दवाइयां फेल हो जाती हैं तो उस आदमी का आप क्या करते हैं? उसको डेस्ट्रॉय करते हैं क्या? वह मरता है अवश्य, नहीं मरता है यह मैं नहीं कहता; पर अपने आप मरता है। हम आड़े हाथ नही दे सकते। तो इसी तरह हम उसके प्रति भी कर सकते हैं। इसके बाद अगर वह मरती है गाय तो मरे। मरेगी अपने आप। पर इसका यह अर्थ नहीं कि डेस्ट्रॉय करें। आप उसे एकान्त में रख दें, दूर रख दें। यह कर सकते हैं, उसके पास किसी को न जाने दें। डेस्ट्रॉय का मतलब एक ही होता है कि मनुष्य उसको डेस्ट्रॉय करे। इसका दूसरा अर्थ नहीं हो सकता। तो इस सारे प्रश्न को हमें इस नाते, से इस दृष्टिकोण से लेना होगा।

दूसरी बात, हमारे प्रान्त में एक कानून बना हुआ है। गौ-हत्या बिल्कुल बन्द है तो

(श्री जगदीशप्रशाद माथुर)

उस कानून के विरुद्ध हम दूसरे कानून में कोई प्रोविजन कैसे रख सकते हैं।

३.२५ म० प०

(श्री रामचन्द्र, सभापति, पदासीन)

यह भी कहा गया कि इस कानून के पास होने पर गाय मारना ही शुरू कर देंगे। मैं कहता हूं, इसका दुरुपयोग होने की सम्भावना है। आज जब इस प्रान्त से गौ-निकासी होने लगी तो हमने इसके विरोध में आवाज उठाई थी और इसलिये उठाई थी कि बाहर दूसरे प्रान्त में जाकर वे मारी जावेंगी। अब उसका यह मतलब थोड़े ही था कि निकासी बन्द हो जावेगी तो यहां मारी जावेंगी ! अब उच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया कि बैल का वध किया जा सकता है। छूट देने मात्र से कोई मरने शुरू थोड़े हो गये हैं। पर ऐसा है कि इसका दुरुपयोग हो सकता है। होता भी है। हमेशा दुरुपयोग होता है। तो इस प्रकार का कानून हमें नहीं बनाना चाहिये कि जिसका दुरुपयोग हो और और छूट मिल जावे किसी बहाने वध करने की। यह दूर अलग रखने का प्रोविज़न किया जा सकता है, अगर वह बीमार है तो। इससे बीमारी फैलने का डर नहीं रहेगा। इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए मुझे आशा है मन्त्री महोदय मेरे इस प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : I raise a point of Order, Sir. The point of Order is that in this clause on which discussion is going it is said that in the cases of scheduled diseases, that Inspector shall destroy the animal or deal with it in such other manner as may be prescribed. The power regarding destroying the animal should not be given to all the scheduled diseases, but certain diseases should be separately pointed out. Only animals which will come under those scheduled diseased will be destroyed. In the amendment which has come on behalf of the Select Committee prescribed manner is no where given. According to clause 122 of the Rules of Procedure of this House, "If an amedment refers to, or is not intelligible without, a subsequent amendment or schedule, notice of the subsequent amendment or schedule shall be given before the first amendment is moved, so as to make the series of amendments intelligible as a whole." Now this amendment which has come on behalf of the Committee, it cannot be accepted because there is nothing like a disease prescribed. As such this inclusion of this word 'that the disease of prescribed nature' are no where in the clause and hence it cannot be accepted. Thus the whole clause as given by the Select Committee cannot be admitted.

श्रीमती गंगादेवी डाटा : चैयरमैन महोदय, यह जो संशोधन श्री तनसिंहजी ने....

श्री सभापति : मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे इसका स्पष्टीकरण कर दें। प्रैस्काइब्ड नेचर और शिड्यूल डिज़ीज का स्पष्टीकरण कर दें।

श्री नाथूराम मिर्धा : जानवर को संक्रामक रोग कौन कौन से हो सकते हैं वे इस कानून के पीछे एक शिड्यूल में दिये हुए हैं।

(श्री नाथूराम मिर्धा)

इसके अलावा कुछ रोग ऐसे हो सकते हैं जिनसे बिलकुल किसी भी हालत में जानवर को नहीं बचाया जा सकता । सारे के सारे रोग जो इस बिल में दिये हुए हैं उनके अलावा जिनकी वजह से डेस्ट्रोय करने की नौबत पेश आयेगी वे प्रैस्क्राइब कर दिये जावेंगे ।

श्री पी० के० चौधरी : It is not a sufficient clarification. In the definitions scheduled disease has been defined. What is the scheduled disease of a prescribed nature, it is where given, and unless this is given, this clause of the Select Committee can not be accepted.

श्री नाथूराम मिर्धा : एक्सेप्ट क्यों नहीं किया जावेगा । कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनकी वजह से बचना कतई सम्भव नहीं उनको बाद में लिख दिया जावेगा और उन्हीं के मामलों में डेस्ट्रोय की कार्यवाही चलेगी ।

श्री पी० के० चौधरी : Mr. Chairman, no where we have defined as to what are the Scheduled diseases, so a definition should first come and only after that this should be accepted. As given in the Rule 122 of the Rules of Procedure it is there that the following conditions shall govern the admissibility of amendments:-

(i) An amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates.

(ii) An amendment shall not be inconsistent with any previous decision of the House on the same question.

(iii) An amendment shall not be such as to make the clause which it proposes to amend unintelligible or ungrammatical.

(iv) If an amendment refers to or is not intelligible without, a subsequent amendment or schedule, notices of the subsequent amendment or schedule shall be given before the first amendment is moved, so as to make the series of amendments intelligible as a whole.........

So the disease, the nature of the scheduled disease is to be given. It is nowhere given. This should be given.

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) **:** चेयरमैन महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने रूल्स ऑफ प्रोसीजर के रूल्स १२२ के अन्तर्गत ऑब्जेक्शन उठाया है उसको देखा जावे तो उससे स्पष्ट है कि अमेन्डमेन्ट मूव किया जाता है उसके लिए लागू होता है और इसके अन्दर कोई अमेन्डमेन्ट मूव नहीं हुआ है और सिलेक्ट कमेटी ने अपनी सारी रिपोर्ट दे दी है और उसको डिस्कस कर रहे हैं । इसलिए १२२ जो रूल है वह इसमें एप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें साफ है: "The following conditions shall govern the admissibility of amendments :" तो अभी कोई कन्डीशन्स नहीं है और न अमेन्डमेन्ट मूव किया गया है और न एडमिट किया जा रहा है । ऐसी सूरत में आपका जो ऑब्जेक्शन है वह ठीक नहीं है ।

श्री पी० के० चौधरी : This is an amendment to the original bill by the Select Committee. Unintelligible part of it cannot be passed by this House. How caon you pass which is unintelligible ?

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : इस क्लॉज के अन्दर शिड्यूल्ड डिजीजेज को तो इस कानून के अन्दर डिफाइन किया है और उनकी डेफीनिशन भी दी गई है और वह शिड्यूल भी इस कानून के पीछे दिया हुआ है । अब पहला शिड्यूल डिज़ीज़ प्रेसक्राइब या डेस्ट्रोय की कार्यवाही करने के लिए है, उसके लिए इसमें रूल्स का प्रोविज़न रखा है जो कि क्लॉज ३४ के अन्दर, जिनके अन्दर डेस्ट्रक्शन के बारे में सोचने की या कार्यवाही करने की गुंजाइश होगी, वह कौन कौन सी बीमारियां हैं, उनको हम रूल्स के अन्दर प्रेस्क्राइब कर देंगे । इसलिए यह न तो अनइन्टेलीजिबल है और न इस पर कोई एतराज लागू होता है । यह क्लॉज बिलकुल साफ है और कानून बिलकुल साफ है । इसलिए पोइन्ट ऑफ आर्डर जो आपने रेज़ किया है मेरे ख्याल से आप स्वयं ही विड्रा कर लें तो टीक रहेगा ।

श्री श्रीभानसिंह : क्लॉज ३४ के लिए जो आपने कहा, वह समझ में नहीं आया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : वह रूल्स बनाने वाली क्लॉज ३७ है ।

श्री सभापति : मेरे ख्याल से मंत्री महोदय ने जो स्पष्टीकरण किया है उससे ओनरेबल मेम्बर सेटिस्फाइ हो ही गये होंगे । उसके अलावा रूल्स ३७ (२) में यह बताया गया है कि इसके लिए अलग नियम बनाये जायेंगे और उसके विषय में फिर बतला दिया जायेगा कि शिड्यूल्ड प्रेस्क्राइब्ड नेचर की कौन कौन सी डिज़ीजेज़ हैं । इसलिए जब तक नियम नहीं बनाये जायें इस वक्त यह कहना मुश्किल है कि वह कौन कौन सी बीमारियाँ हो सकती हैं । डेस्ट्रोय के विषय में तो जो बहस हो रही है उसके बारे में तो हाउस तय करेगा कि डेस्ट्रोय होंगे या नहीं होंगे ।

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय सभा पति महोदय, इस क्लॉज······

श्री श्रीभानसिंह : माननीय चेयरमैन महोदय, अभी एक माननीय सदस्या बोलने के लिए खड़ी हुई थी·········

(श्रीमती गंगादेवी डाटा के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री नाथूराम मिर्धा : आप बोलना चाहती हैं ?

श्रीमती गंगादेवी डाटा (रामगढ़) : जी हां ।

श्रीमती गंगादेवी डाटा : माननीय चेयरमैन महोदय, जो श्री तनसिंहजी ने संशोधन रखा है, मैं उसका समर्थन करती हूँ और कुछ अपने विचार जो उनके विचारों से थोड़े भिन्न हैं वे भी आपके सामने रखती हूँ । यह टीक है कि हमारे भारतवर्ष में कुछ धार्मिक भावनायें और देशों से अधिक हैं, खासकर के पशुओं के ट्रीटमेंट के बारे में, गाय को हम माता कहते हैं, यह कुछ हद तक ठीक है । लेकिन जिस तरह की आज की हालत है उसको देखते हुए यह कहां तक सहीहै कि हम उसको माता कहते हैं और माता का कितना फर्ज अदा करते हैं । वैसे अभी इससे पहले चतुर्वेदीजी ने इस तरफ थोड़ा इशारा किया था और मैं भी इस चीज

(श्रीमती गंगादेवी द्वारा)

को फिर से बता रही हूँ। एक तरफ हम गाय को पूज्य और माता मान कर उसकी सेवा भी करने को कहते हैं और उसका त्यौहार एक बहुत बड़ी पूजा के तौर पर भी मनाया जाता है और इससे बहुत धार्मिक भावना हमारे देश में फैली हुई है। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि सचमुच आज जो गाय के प्रति हमारा व्यवहार है वह कितना सही है और कितना गलत है। एक दिन भर, बल्कि रात में भी यही हालत है कि उसको छोड़ दिया जाता है और वह खेतों में अनाज का नुकसान करती है। एक तरफ हम फुड प्रोब्लम हल करना चाहते हैं, उधर हम देखते हैं कि पशुओं का बहुत बड़ा हाथ है, हमारे अनाजों का नुकसान करने में, यह चीज देखने की है कि आज हम गाय को माता के तौर पर मानकर चल रहे हैं, अब मैं इसके असली ध्येय पर आती हूँ। सचमुच अगर पशुओं को संक्रामक रोग हो जाता है तो उनमें से गाय, बैल और बछड़े जो रखे गये गये हैं, उनको मारना नहीं चाहिए। उसके लिए संशोधन रखें। तो मेरा कहने का अर्थ यह है कि जो एनीमल सर्जन को पॉवर्स दी गई हैं कि वह निश्चय कर दे और यह कह दे कि हां, यह पशु इस लायक है, मेरा इस पर यह विचार है कि यह एक सर्जन को पॉवर्स न देकर बल्कि एक बोर्ड इसके लिए कायम किया जाय और बोर्ड में दो-चार व्यक्ति हों जो इस पर अपना निश्चित मत दें। दूसरे जो ऐसे पशु हैं उनके लिए एक स्थान निश्चित किया जाय। जैसे हॉस्पिटल्स हैं, इसी तरह हॉस्पिटल्स कायम किये जायें, जिनमें संक्रामक रोग के पशु शहर से दूर रखे जायें। अब जो पशु बीमार हो उसकी बीमारी की सूचना उसके मालिक को भेजी जाय यह बात मेरी समझ में नहीं आती। यह कहां तक पशुओं के मालिकों को सूचना पहुँच सकेगी। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो पशु संक्रामक रोग के हों, उनके इलाज का पूरा प्रबन्ध होना चाहिए। अगर वह नहीं हो सकता तो कम से कम उनके रहने की व्यवस्था तो अच्छे ढंग से कि जाये जिससे उस पशु में जो रोग है, वह अधिक न फैले, हमेशा से दिक्कत आई है कि हर साल बहुत बड़ी बीमारियां फैलती हैं और हमारे जानवर मौत के घाट उतर जाते हैं और इससे देश को एक बहुत बड़ी खामी का सामना करना पड़ता है। इतना कहते हुए मैं इसका समर्थन करती हूँ।

सूबेदारसिंह (वाड़ी) : माननीय सभापतिजी, श्री तनसिंहजी ने जो संशोधन पेश किया है, मैं उसके पक्ष में कहना चाहता हूं। चेयरमैन महोदय, यह बात तो ठीक है कि राज्य सरकार हमारे पशुओं के स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए बिल पेश कर रही है और उसका कानून भी बनाना चाहती है। यह हम भली भांति जानते हैं कि जब तक किसी भी कायदे और कानून में सख्ती नहीं बरती जायगी, तब तक वह ठीक तरह से नहीं चल सकता। यह भी मानने योग्य बात है कि वे बीमारियां जिनका आज इलाज़ किसी प्रकार से नहीं हो सकता और उसके डाक्टर इस नतीजे पर पहुंच जायें कि इसके जिन्दा रहने में यह बीमारी और बढ़ सकती है तो उसको डेस्ट्रोय कर दिया जाय। चेयरमैन महोदय, जहां तक जानवरों का ताल्लुक है, बात ठीक है, लेकिन उसमें जहां गाय का प्रश्न आता है तो गाय एक ऐसा जानवर है जिसको हम हिन्दू लोग हिन्दुस्तान में गऊमाता

(श्री सूबेदारसिंह)

के रूप में मानते हैं। इससे हमारी धार्मिक भावना अधिक बढ़ती है। हमारा इतिहास बताता है कि जिस समय भारतवर्ष पर मुसलमानों ने हमला किया और हिन्दू राजाओं से हारने की नौबत आई तो उन्होंने बीच में गाय खड़ी कर दी और गाय के पीछे से बन्दूक चलाने लगे। जब भारतवर्ष के निवासियों ने अपने हमले बन्द कर दिये और अपने देश को गुलाम बना दिया। तो मैं नहीं समझता कि यहां पर ऐसा बिल लाया जाये कि गाय को डेस्ट्रोय कर दिया जाये, मैं यह मानने को तैयार नहीं हूं। राज्य सरकार जिस अधिकारी को मुकर्रर करेगी, कोई भी डॉक्टर इस बात का हुक्म देने को शायद ही तैयार होगा कि इस गाय को मार दिया जाये और उस हुक्म का पालन करने वाला कोई भी व्यक्ति उस सेन्टर पर नहीं मिलेगा, क्योंकि यह एक ऐसी धार्मिक भावना को उभारने वाला प्रश्न हो गया है। इस प्रकार की बीमारी है और डॉक्टर ने देख लिया है कि इलाज़ नहीं हो सकता और कह दिया कि इसको डेस्ट्रोय कर दो तो उसको मारने वाला कौन व्यक्ति होगा? जहां तक मैं समझता हूं हिन्दुओं में जितनी जातियां गिनी जाती हैं, उनमें से कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की नौकरी करने को तैयार नहीं होगा कि वह अपने हाथ से गाय को मारे। कोई भी व्यक्ति इस बात को तैयार नहीं होगा अपनी कलम से लिखने को कि गाय या बछड़े को मार दे। कहीं दुर्भाग्य से ऐसा व्यक्ति मिल गया तो सारा समाज उसके खिलाफ उमड़ेगा। मैं इस बात को कहता हूं कि बहुत सारे काम हम जल्दी में तय कर दिया करते हैं। हम जानवरों की नस्ल सुधारना चाहते हैं, उनके हित में सारी व्यवस्था करना चाहते हैं, लेकिन जहां गाय का प्रश्न उठ खड़ा हुआ है और उसको डेस्ट्रोय करने का सवाल है तो गाय सारे समाज के पास, सारे किसानों के पास है, और गाय को मारने के लिए तैयार हो गये तो क्या वातावरण होगा? इसलिए मेरा यह निवेदन है कि इस प्रकार की बीमारी हो तो उनको इस प्रकार से सोचा जाय कि मनुष्य वर्ग में छूत की बीमारी होती है और कोई आदमी ला-इलाज़ हो, इलाज़ से ठीक नहीं होता है, फिर भी उसको डेस्ट्रोय नहीं किया जाता है। उसके लिए सरकार व्यवस्था करती है कि कहीं एक ऐसी अलग जगह वह रख दिया जाय और वहां उसका इलाज़-उपचार हो, उसके खाने-पीने की व्यवस्था हो और जहां जिन्दा रहे उसको जिन्दा रहने दिया जाय। तो इस प्रकार से जानवरों में गाय की एक किस्म है और इस प्रकार के जानवर के साथ हमारी धार्मिक भावना है और सभी मित्र इस बात को चाहते हैं तो चेयरमैन महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि कम से कम इस संशोधन को मान लिया जाय। गायों के लिए अगर वे ला-इलाज हैं तो सरकार चाहे अपने द्वारा, या ग्रामपंचायतों द्वारा या म्युनिसिपेलिटी द्वारा इस प्रकार की व्यवस्था करवाये कि जब तक गाय या बछड़े जिन्दा रहें, चारा खिलाये व इलाज़ करवाये, और इस प्रकार दूर कहीं जंगल में रख दिया जाय, जहां दूसरे जानवरों को उनसे छूत की बीमारी नहीं लगे। यह कोई आसान मामला नहीं है। इसके पीछे धार्मिक भावना जरूर उमड़ेगी।

श्री सम्पतराज जैन (अकलेरा) : चेयरमैन महोदय, बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने पशुरोग विधेयक की क्लॉज़ ६ के अन्दर जो संशोधन रखा है, उसका मैं समर्थन करता हूं।

(श्री सम्पतराज जैन)

(विरोधी पक्ष की ओर से करतल ध्वनि)

यह जो संशोधन रखा गया है इसमें भावना का ही सवाल नहीं है, आर्थिक प्रश्न भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। इस बिल की अनुसूची में जो १३ रोग बताये गए हैं, मैं यह पूछता हूं कि इन १३ रोगों से ग्रस्त होने पर क्या पशु मरने से नहीं बच सकता है। मनुष्यों में भयंकर बीमारियां जैसे कॉलेरा, प्लेग आदि फैलते हैं, सब कुछ होता है उसके बावजूद भी काफी तादाद में आदमी मर जायं, ऐसी बात नहीं है। ५० प्रतिशत मनुष्य इन भयंकर रोगों से ग्रस्त होने पर भी बच जाते हैं। ऐसी हालत में यह क्यों मान लिया जाय कि अनुसूची के १३ रोगों से जो पशु ग्रस्त हो जायगा वह अवश्य मर ही जायगा तथा उससे और पशुओं में बीमारी फैलेगी, इसलिए उसको नष्ट कर दिया जाना चाहिए।...

श्री नाथूराम मिर्धा : ऐसा नहीं माना गया है। आप जरा इसको समझें।

श्री सम्पतराज जैन : मैंने इसको समझा है। क्लॉज़ ६ में बिल्कुल साफ दिया हुआ है कि वेटरनेरी डॉक्टर के प्रमाण पत्र देने पर कि अमुक पशु अनुसूचित रोग से ग्रस्त है, उस जानवर को नष्ट कर दिया जाय।

श्री नाथूराम मिर्धा : यह नहीं है।

श्री सम्पतराज जैन : क्लॉज़ ६ में साफ लिखा हुआ है। वेटरनेरी डॉक्टर के प्रमाण पत्र पर अनुसूचित रोग ग्रस्त पशु नष्ट किया जा सकता है। अगर आप ऐसा नहीं समझते हैं तो आप स्पष्टीकरण कर दें।

श्री सभापति (श्री रामचन्द्र): (श्री कृषि मंत्री से) आप कृपया बीच में न बोलें। आप (श्री सम्पतराज) अपना भाषण जारी रखें।

श्री सम्पतराज जैन : मैं यह निवेदन करूंगा कि जब यह निश्चित नहीं है, मौत किसी की निश्चित नहीं है, जिन्दगी किसी की निश्चित नहीं है, ऐसी दशा में पशुओं का उन असह्य १३ रोगों में से किसी से ग्रसित हो जाने पर आप नष्ट करने के लिए क्यों सोचते हैं। बेचारे उन रोग ग्रस्त पशुओं को अगर यह धारा पास करते हैं तो उन मूक पशुओं के साथ बड़ा भारी अन्याय होगा और पशुओं के मालिकों के हित को भी ठेस पहुंचेगी। इस बिल की क्लॉज़ १० में मुआवजे का प्रश्न है तो आप इस तरह से किस किस को मुआवजा देंगे। आपको प्रतिवर्ष लाखों रुपया मुआवजा देना पड़ेगा, अगर इस तरह से मुआवजा देंगे तो इससे राजस्थान के गरीब करदाता पर और भी बोझ बढ़ेगा, जिस पर पहले ही करों का काफी बोझ है। मेरा यह निवेदन है कि यह जो संशोधन पेश किया गया है, वह केवल गाय, बैल और बछड़ों को नष्ट होने से बचाने के लिए पेश किया गया है, मैं तमाम पशुओं के लिये निवेदन करना चाहता हूं कि जो प्रस्ताव धारा ६ में है उसको बिलकुल हटा दिया जाय। नष्ट करने का कोई प्रश्न उचित नहीं है। पशुओं को भी जीवित रहने का अधिकार है। पशु-धन की उन्नति पर हमारे देश की, हमारे समाज की उन्नति निर्भर है। रोग ग्रस्त होने पर उसको मार दिया जाना कोई उचित बात नहीं है। उचित तो यह है कि उनकी चिकित्सा की समुचित व्यवस्था की जाय। मैं यह निवेदन करूंगा कि यह जो सुझाव दिया गया है कि अनुसूचित रोगग्रस्त पशुओं को एक ऐसे अलग स्थान पर रख दिया जाय जहां से अन्य निरोग पशुओं को छूत न लगे और जहां पर उसकी चिकित्सा कर दी जाय यह उचित है, इतने

(श्री सम्पतराज जैन)

कुदरती तौर पर भी यदि पशु मर जायें तो ठीक है किसी का वश नहीं और अगर जिन्दा बच जायें और ठीक हो जायें तो इसको उसके मालिक को लौटा दिया जाय, लेकिन उसको नष्ट नहीं किया जाय। ऐसा करने पर आपको मुआवजा भी नहीं देना पड़ेगा और क्लॉज़ १० की भी आवश्यकता नहीं रहेगी।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : सभापति महोदय, हाउस की ओपिनियन को देखते हुए, जिस तरह से वह सदन की सभा में आया है, इसको देखते हुए मेरा तो माननीय मंत्री महोदय से यही निवेदन है कि जो डेस्ट्रोय का शब्द है उसको विड्रा कर लेना चाहिए, क्योंकि एक बात तो यह है कि हम एक प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन लायें, यह बात ठीक है; लेकिन प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन लाने के पहले हमको पब्लिक ओपिनियन क्रियेट करना चाहिए। आज जितने भी माननीय सदस्यों ने यहां पर कहा है तो उनके पीछे वोटर्स हैं, जिन्होंने उनको भेजा है, आखिर वे उनकी नुमायन्दगी करते हैं और हम लोगों की राय है वह कम से कम हमारी कॉन्स्टीट्यूएन्सी के ज्यादातर लोग ऐसा सोचते हैं, इसलिए ऐसी राय देते हैं।

डेस्ट्रोय का एक शब्द रख दिया। हो सकता है कि डेस्ट्रोय करने से आपको कानून के एक्जीक्यूशन करने में आसानी हो, इम्प्लीमेंट करने में कम खर्चा आयेगा, कम झगड़े में उस काम को आसानी से कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ हमको यह भी देखना है कि थोड़ी बहुत तकलीफ हो तो कोई बात नहीं, लेकिन डेस्ट्रोय करने के बजाय किसी भी जगह रख दें, जैसा कि आदमियों को आइसोलेशन बोर्ड में रख देते हैं। आदमियों को डेस्ट्रोय नहीं करते हैं। यदि किसी को कॉलेरा हो जाता है, प्लेग हो जाता है तो उसको इन्जेक्शन देकर नहीं मारते हैं।

लेकिन आइसोलेशन वार्ड में रख देते हैं और उसकी चिकित्सा करते हैं और नेचुरल डेथ से मरते हैं। मैं मानता हूं कि जब ऐसे सेन्टीमैन्ट्स मौजूद हैं गाय वगैरह के लिए, तो उन सेन्टीमेन्ट्स को रेस्पेक्ट करना चाहिए।

दूसरी बात, यह है कि डेस्ट्रोय करने वाले क्लॉज़ का दुरुपयोग भी हो सकता है, क्योंकि जो बात झालावाड़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कही वह बात नहीं है। तमाम प्रेस्क्राइब्ड नेचर की ही डिज़ीजेज़ हों, यह बात नहीं है। फलां डिजीज़ इनक्योरेबल है, ऐसा सर्टिफिकेट आज तक किसी ने नहीं दिया तो हम क्यों मानकर चलें कि फलां डिज़ीज़ ने अटेक कर दिया तो उसे इन्जेक्शन देकर मार दें। हम पहले यह मानते थे कि डिप्थीरिया एक ऐसी बीमारी है जिससे बच्चे मर जाते हैं, लेकिन अब हम देखते हैं कि इन्जेक्शन देने से डिप्थीरिया के रोगी अच्छे हो जाते हैं। जिसको हम मानते हैं कि यह फैटल डिज़ीज़ है, उसका भी इनीशियल स्टेज़ पर ऐसा ट्रीटमेन्ट हो सकता है, जिससे रोगी बच सकता है। तो इनीशियल स्टेज पर कैटल या मवेशी भी बच सकता है। लेकिन जब आप डेस्ट्रोय करने का अधिकार दे देंगे तो आपके एग्ज़ीक्यूटिव ऑफिसर जो होंगे वे सबसे आसान रास्ता ही अख्त्यार करेंगे।

दूसरी बात यह है कि क्लॉज़ ८ में प्रोविजन ऑफ आइसोलेशन रखा है, उसमें प्रोविज़ो दिया है : "Provided that where there is no person in charge of the animal and the owner is unknown,

(श्री पी० के० चौधरी)

or where the order cannot be communicated to the owner of the animal without undue delay or where the person in charge of the animal refuses to comply with the order..."

My emphasis is, where the owner cannot be intimated without undue delay.

यहां आपने प्रोविजन यह भी रखा है कि आपके इन्स्पेक्टर या चौकीदार किसी भी गाय या जानवर को पकड़ कर ले आयेंगे, जिस जानवर को शिड्यूल्ड डिज़ीज़ होगी उसको पकड़ कर लाने का प्रोविजन रखा है और यह भी रखा हैं कि मवेशी के ओनर को इन्टीमेट नहीं करेंगे क्योंकि इससे अनड्यू डिले हो जायगी। लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि अनड्यू डिले होना एक इलास्टिक टर्न है। आपका इन्स्पेक्टर कहेगा मवेशी का ओनर उस स्थान से आधा मील की दूरी पर है....

श्री नाथूराम मिर्धा : आप क्लॉज़ ६ पर बोल रहे हैं क्या ?

श्री पी० के० चौधरी : क्लॉज़ ६ पर ही बोल रहा हूँ जनाब। जो आपकी गवर्नमेंट के इन्स्पेक्टर्स रहेंगे उनको भय नहीं रहेगा कि वे इसको प्रेस्काइब्ड डिज़ीज़ डिक्लेअर क्यों नहीं करें ? जहां पर ओनर मौजूद रहेगा वहां तो वह झगड़ेगा कि हमारी गाय को ऐसा डिज़ीज़ नहीं है लेकिन जब ओनर सामने नहीं रहेगा तो आपके इन्स्पेक्टर य चौकीदार मनमाने ढंग से अपना काम निपटाने के लिए कह देंगे कि प्रेस्क्राइब्ड नेचर का डिज़ीज़ है। दूसरी बात, यह है कि प्रेस्क्राइब्ड डिज़ीज़ में भी जानवर को फैटल डिज़ीज़ है या नहीं, इसका पता कैसे चलेगा। अगर फैटल डिज़ीज़ है तब तो उस जानवर को डेस्ट्रोय करना चाहिये, लेकिन मैं यह कहूँगा कि अगर फैटल डिज़ीज़ नहीं है तो भी उसको डेस्ट्रोय करने की जरूरत नहीं है। आप इसका ओर्लमा (उलाहना) क्यों लेते हैं; अगर फैटल है तो एक-दो दिन में तो वह स्वयं ही मर जायगा।

आप ऐसे लोगों के सेन्टीमेन्ट्स को हर्ट करते हैं। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि आप इनके लिए आइसोलेशन वार्ड कायम कर दीजिये और उसमें ऐसे जानवरों को रखिये और इस क्लॉज़ को हटा दीजिये।

श्री दलपतसिंह : सभापति महोदय, इस बिल पर बहुत बहस हो गई है, इसलिए मैं मंत्री जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि "डेस्ट्रोय" करने के बजाय कोई दूसरा वर्ड सब्स्टिट्यूट कर दीजिये। यदि कोई जानवर बीमारी के कारण इस स्टेज पर पहुंच गया है कि उसको डेस्ट्रोय करना वाजिब समझते है तो उसको डेस्ट्रोय करना ठीक है, क्योंकि उसकी वजह से दूसरे जानवर हजारों की तादाद में मर जायेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे जानवरों के लिए एक बाड़ा जंगल में अलग रख दें, जहां पर इस तरह की गाय, बछड़े आदि को रखा जा सके; इससे लोगों की भावना को भी ठेस नहीं पहुंचेगी। आप 'डेस्ट्रोय के स्थान पर दूसरा वर्ड सब्स्टिट्यूट कर दीजिये।

श्री अर्जुनदास (अजमेर पश्चिम) : Mr. Chairman, Sir, while considering this clause I am really amazed to find that nowhere in this Bill do we get any indication as to what we understand by the word "prescribed manner". I have tried my best to understand what we really mean by it, but I am really sorry to say that I

(श्री अर्जुनदास)

could not getany clue about it. Do we mean to suggest that 'prescribed' means prescribed by rules or prescribed by anything else or prescribed by the whims of the Hon'ble Minister. If it is not so, then the bill is incomplete, and we are at a loss to understand what we are trying to lay down for our posterity.

Apart from this, I have also come to believe that we can allow our cows and their offsprings to be slaughtered by the whims of the officer concerned. It is really playing with the religious sanctities of the whole of India. When we cannot protect our cows, we cannot protect your own nation. No Nation can rise without any religion or without any scruples and the best scruples that we inherited and by which we are to lay down our lives is to treat cows on equal level with human beings and even more than human-beings. We cannot allow our children to be shot dead. Suppose my son has got such disease which is not curable. I have no right to shoot him down, and the Government cannot allow me to shoot my own son because he is suffering from T. B. or some other disease. How can the Government allow to shoot down the cows and their offsprings because it happens to suffer from any disease which the Government do not like. Therefore, I am really of the strongest possible opinion that we cannot permit the Government to slaughter our cows or their offsprings by one practice or the other. This has been very clear that we shall not slaughter our cows hereafter on any account. Let us decide first in principle and then proceed in our life. Then I hope by this process India can rise and I am sure India is going to rise. I would, therefore, request the Hon'ble Minister to rise and say that he accepts this amendment, by which process alone, I think, he can be able to accommodate us.

श्री नाथूराम मिर्धा : चेयरमैन महोदय......

श्री सभापति (श्री रामचन्द्र) : मैं समझता हूं, इस क्लॉज़ पर भी जो सज्जन बोलना चाहते हैं उनको बोलने का मौका दिया जाय। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे अपना उत्तर बाद में दें।

(करतल ध्वनि)

श्री भोगजीभाई (बांसवाड़ा) : चेयरमैन महोदय, इस बिल में जो व्यवस्था की गई है उसके सम्बन्ध में भी अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। पशु-धन जो है हमारे यहां गाय, बैल आदि काश्तकारों के लिए एक विशेष धन है, जिसकी रक्षा की व्यवस्था अच्छी तरह से की जानी चाहिये और यदि उनको संक्रामक बीमारी हो गई है तो उसको रोकने का भी प्रयत्न किया जाना चाहिए। लेकिन ऐसी कई बीमारियां हैं जो नहीं रोकी जा सकती हैं, उनसे यदि जानवर पीड़ित हैं तो उनको मार दिया जाय ऐसी व्यवस्था की गई है। जहां तक मारने का शब्द प्रयोग में लाया गया है; मैं उससे सहमत नहीं हूँ। लेकिन इसमें यह बात है कि पशु-धन में कई

(श्री मोगजीभाई)

जानवर आ सकते हैं, पशुओं में हमारे गाय, बैल, भैंसें, ऊंट, घोड़े, गधे आदि हैं, कुत्ते और लोमड़ी वगैरा जंगली जानवर भी पशुओं में शामिल होते हैं। पशुओं को मारने की नौबत उस समय आ सकती है जबकि कुत्ता आदि पागल होकर किसी गाय या मनुष्य को काट ले और उसका समय पर इलाज नहीं हो तो वह अवश्य मर जायगा। अगर बीमार का इलाज समय पर अस्पताल में नहीं हुआ तो यह पशु अवश्य मर जायगा और जो जानवर पागल हो जाता है उसको नहीं हटाया जाय तो उससे दूसरे जानवरों में भी बीमारी फैलने का डर रहता है। हमारे यहां इस प्रकार बहुत पशुओं में होता है, जैसे कि कुत्ता, सियार और लोमड़ी में होता है। अगर उनके अन्दर कोई इस प्रकार की बीमारी हो, और जंगल में जो पशु चरने के लिए जाते हैं, उनको वह काटले तो जिस पशु को वे काटेंगे, वह बच नहीं सकता है। पशुओं में कई प्रकार के दूसरे जानवर आ सकते हैं, इसलिए इस व्यवस्था में किसी प्रकार का परिवर्तन हो। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि कोई कुत्ता जहरीला हो, जिसके काटने से मनुष्य मर जाता है, और अगर उस मनुष्य का इलाज न हो, और वह दूसरे को काटे, तो वह भी मर जाता है, ऐसी बीमारी संक्रामक हो सकती है। वैसे पूरा बिल तो मेरी समझ में नहीं आया, लेकिन जो पशु को मारने की बात है, उसके लिए कोई प्रमाण-पत्र नहीं दिया जा सकता है कि इस जानवर को मारने से ही यह जानवर बीमारी से बच सकेगा, वैसे नहीं। ऐसा नहीं है, इसलिए किसी पशु को डॉक्टर के पास ऐसे प्रमाणित करने पर मार दिया जाय, यह तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फिर भी बीमारी के कारण जिस पशु को मारा जा सकता है, उसको सरकार ध्यान में रखते हुए इस कानून के क्लॉज़ में परिवर्तन कर दे, यह मेरा निवेदन है।

(श्री हीराभाई और श्री विश्वम्भरनाथ जोशी के बोलने के लिए खड़े होने पर।)

श्री सभापति : Hon'ble Member in front of me; मेरे सामने जो सदस्य हैं।

(पुनः श्री हीराभाई और श्री विश्वम्भरनाथ जोशी के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री सभापति: Hon'ble Member in front of me; मेरे सामने जो सदस्य खड़े हुए हैं, वे अपना भाषण आरम्भ करें।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : सभापति महोदय, यद्यपि आज अस्वस्थ होने के कारण बोलने का मेरा इरादा नहीं था, तथापि प्रस्तुत विषय इस प्रकार का है कि इस पर विचार व्यक्त किये बिना मैं रह नहीं सकता। क्लॉज़ ६ के सब क्लॉज़ (बी) में जो संशोधन श्री तनसिंह जी ने प्रस्तुत किया है, उसका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ।

(करतल ध्वनि।)

मैं उसका समर्थन केवल एक सेन्टीमेंटल ग्राउन्ड पर ही नहीं करने के लिए खड़ा हुआ हूँ, बल्कि मुझे यह भी कहना है कि इस प्रकार का प्रावधान रखने के पहले, मैं समझता हूँ पूरी तरह से विचार नहीं किया गया है कि इसका कोई दूसरा ऑल्टर्नेटिव हो सकता है या नहीं? डेस्ट्रोय करने में आशय यह है कि वह बीमारी दूसरे स्वस्थ पशुओं तक न पहुंच सके। इसके लिए बहुत आसानी से दूसरे तरीके निकाले जा सकते हैं। इस प्रकार के पशुओं को, जिसके बारे में यह

(श्री विश्वम्भरनाथ जोशी)

सर्टीफाई किया जाता कि उनको इस प्रकार की कोई शिड्यूल्ड डिज़ीज, जो दूसरे पशुओं में कॉम्युनिकेट की जा सकती है, जिनसे दूसरे पशुओं को खतरा हो सकता है, उनको सेग्रीगेट करके, उनको क्वैरन्टाइन किया जा सकता है और इस प्रकार के एन्क्लोज़र, इस प्रकार के स्थान को नियुक्त किया जा सकता है, जहां ऐसे बीमार पशु रखे जायं और वहां उनके इलाज, चारे आदि की व्यवस्था कर दी जाय। फिर संयोग से कुछ पशु-उपचार हो जाते, टीक हो जाते तो बहुत अच्छी बात थी; नहीं तो टीक है, आखिर मौत का कोई इलाज नहीं है। उस ऑल्टर्नेटिव को न लेते हुए इसमें जो व्यवस्थ रखी गई है वह यह है कि हर प्रकार के पशुओं को यह सर्टिफाई किये जाने पर कि वे किसी शिड्यूल्ड डिज़ीज़ से, शिड्यूल्ड डिज़ीज़ किस तरह की होगी, यह भी गोया तफसील में इस समय नहीं है और एक प्रकार ब्लैन्क ऑथोरिटी लेजिस्लेचर से लेना इस क्लॉज़ का आशय है कि एक बहुत बड़ा डिस्क्रिशन उस इन्सपेक्टर को दिया जाय, वेटर्नरी सर्जन को दिया जाय कि वह सर्टिफाई कर दे कि फलां पशु शिड्यूल्ड डिज़ीज़ से पीड़ित है, फिर उस पशु का जीवन और मरण उनकी मर्सी पर डिपेन्ड करता है। मैं कहना चाहूंगा कि हमारा प्रान्त राजस्थान एक बहुत धर्मभीरु प्रान्त है, मैं कहना चाहूंगा कि सेन्टीमेंट्स फैक्ट्स है, तथ्य हैं, जिनकी उपेक्षा नही करनी चाहिए। हम सब यहां जनता के प्रतिनिधि के तौर पर हैं और हमसे यह आशा की जाती है कि हम जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए तथा उनके प्रति उचित सम्मान प्रदर्शित करते हुए, यहाँ जो कुछ भी कानून बनाते हैं, उस सारी कार्ययाही में प्रान्त की जनता की भावनाओं के प्रति उचित सम्मान व्यक्त करेंगे, यह आशा की जाती है। मैं कहना चाहूंगा कि जहां तक प्रान्त की जनता का सवाल है, ९५ प्रतिशत जनता इस प्रोविजन के ऊपर बहुत रिज़ेन्ट करेगी, क्योंकि उसकी धार्मिक भावनाओं पर बहुत गम्भीर और जबर्दस्त आघात होगा। ऐसी सूरत में यह संशोधन दिया गया है कि गाय, बैल तथा गाय के बछड़े इत्यादि जो इस प्रकार के पशु हैं, उनके लिए खास तौर पर संशोधन है, उसको स्वीकार किया जाय, तब कम से कम उस भावना को, जो कि हमारी धार्मिक भावना है और जिसको ठेस पहुंचती है, को बचाया जा सकता है और यह भी ठीक है कि हमको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आखिर वह मर्ज दूसरे पशुओं में पहुँचकर स्वस्थ पशुओं को क्षति न पहुंचाये, इसके लिये मैं सुझाव रखना चाहूंगा कि सबसे पहले एन्क्लोज़र का प्रोविज़न रखा जा सकता है, जहां इलाज की व्यवस्था की जा सकती है। एक कहावत भी है कि 'जब तक सांस, तब तक आस'।

(करतल ध्वनि)

आखिर एक आदमी का इलाज डॉक्टर करता है, लेकिन वह गारन्टी नहीं कर सकता कि वह उसको बचा लेगा। लेकिन कभी कभी उम्मीद के खिलाफ आदमी क्योर हो जाता है और उसको क्योर किया जायगा अन्तिम समय तक। मुमकिन यह भी है कि जिसको हम होपलेस समझ कर डेस्ट्रॉय करने को आमादा हो जाते हैं, उसका उपचार हो जाय, वह ठीक हो जाय; यह सम्भव है, तो प्रिवेन्टिव डिज़ीज़ेज़ ऑफ लाइव स्टाक के कारण बच सके। इसके अलावा मुझे यह भी कहना है कि इस प्रोविज़न को यथावत् हम पास कर देते हैं तो इसकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी

(श्री विश्वम्भरनाथ जोशी)

इस सदन पर आयेगी और सदन से ज्यादा मैं कहना चाहूंगा कि सदन में जो बहुमत दल है, उस पर आयेगी । इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि इस कारण कुछ पोलीटिकल पार्टीज़ इसका उपयोग करना चाहेंगी, वे पार्टीज़ मिथ्या प्रचार कांग्रेस के खिलाफ गाँवों में करती हैं, बेबुनियाद बातों को लेकर आरोप लगाती है । वे कहेंगी कि एक तरफ कानून बना हुआ है कि गो-वध नहीं होना चाहिए, दूसरी तरफ इस तरह से ऐसा प्रोवीज़न पास किया है, जिसमें इस बात की इजाजत दी गई है कि अमुक परिस्थितियों में गौ-वध होगा, गौ के बछड़े को मारा जा सकता है......

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : औन ए पोइन्ट ऑफ ऑडर, सर, माननीय सदस्य ने कहा है कि कुछ पार्टीज़ मनगढ़न्त और झूठा प्रचार करती है, 'झूठा' शब्द अनपार्लियामेंट्री है ।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : यह तथ्य है और यह किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : उन्होंने स्वीकार किया है । यह संशोधन जिस पार्टी......ने रखा है......

श्री सभापति : आपने स्वीकार किया है कि किसी व्यक्ति विशेष के लिये उनके भाव नहीं हैं । अपने भाषण के दरम्यान उन्होंने ये शब्द प्रयोग किये हैं, इसलिए ऐसा नहीं है ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : जिन पार्टीज़ ने संशोधन को रखा है समर्थन किया है, जनसंघ, रामराज्य आदि, उनके लिए है ।......

श्री अर्जुनदास : Hon'ble Chairman, I am of the opinion that the Hon'ble member may be a bit more correct because he may be a man of his own party.

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : I have not made such remarks about any specific party or a person. I have only said that such baseless charges are made by the parties.

४ म० प०

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : This point has already been decided by the Chair. This should not be repeated.

श्री सभापति (श्री रामचन्द्र) : Order please!

श्री दयाकृष्ण विजय : सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने इस संशोधन को सपोर्ट करते हुए जो शब्द कहे हैं उससे स्पष्ट है कि वे मनगढ़न्त सूचना दे रहे हैं, इसलिए इस संशोधन को सपोर्ट करते हैं यह भी झूठ और मनगढ़न्त है । इसके सपोर्ट में वे जो बोले हैं वह दिखावा मात्र है ।

श्री सभापति : मेरा निवेदन करना यह है कि माननीय सदस्य की मन्शा मैंने व्यक्त कर दी । मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वे अपना भाषण जारी रखें ।

श्री श्रीभानसिंह : औन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, माननीय सदस्य ने अभी कहा कि जो माननीय सदस्य ने कहा है, "मनगढ़न्त है, सच नही बोल रहे हैं, झूठ है;" बहुत आपत्ति-

(श्री श्रीभानसिंह)

जनक है किसी सदस्य के लिये हाइपोथेटिकल चार्ज गढ़ दिया जाय कि वे मनगढ़न्त बोल रहे हैं, यह बहुत आपत्तिजनक है। इसके लिये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप माननीय सदस्य से कहें कि वे इन शब्दों को विथड्रा करें या........

श्री भैरोंसिंह : सभापति महोदय,...

श्री श्रीभानसिंह : मैंने सभापतिजी से निवेदन किया है न कि माननीय सदस्य से....

श्री सभापति : एक माननीय सदस्य ही एक समय में बोलें।

श्री भैरोंसिंह : माननीय सभापति महोदय, हाउस में मौजूद किसी एक पार्टी के लिये इस प्रकार के शब्द कहना कि वह झूठा प्रचार करती है यह ऑब्जेक्शनेबल है...

श्री श्रीभानसिंह : इस पर माननीय सभापति ने अपना डिसीज़न दे दिया है।

श्री सभापति : मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उन्हें बोल लेने दीजिये।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर,...

श्री भैरोंसिंह : माननीय समापति महोदय, जब एक सदस्य खड़ा हुआ हो तो दूसरे माननीय सदस्य को खड़ा नहीं होना चाहिये...

श्री सभापति : माननीय सदस्य क्या बोलना चाहते हैं ?

श्री भैरोंसिंह : मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि अभी माननीय सदस्य ने कहा था कि कुछ पोलिटिकल पार्टीज़ झूठा प्रचार करती हैं....

श्री श्रीभानसिंह : माननीय सभापति महोदय, मैं फिर निवेदन करूंगा कि इस पर आपने रूलिंग दे दी है।....

श्री सभापति : आपको बोल लेने दीजिये। ऑर्डर! ऑर्डर!! उनको बोल लेने दीजिये।

श्री श्रीभानसिंह : मैं तो आपकी रूलिंग की बात कह रहा हूँ....

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज़! ऑर्डर, ऑर्डर!! उनको बोल लेने दीजिये। आप अपने विचार फिर रखें।

श्री श्रीभानसिंह : मैं अपने विचार नहीं रख रहा हूँ, आपने रूलिंग दे दी है।

श्री सभापति : मैं कह रहा हूँ उनको कह लेने दीजिये, मैं उसका थोडा उत्तर दे दूंगा।

(विरोधी पक्ष द्वारा करतल-ध्वनि)

श्री भैरोंसिंह : माननीय सदस्य ने अभी कहा कि कुछ पोलिटिकल पार्टीज़ झूठा और मनगढ़न्त प्रचार करती हैं। इस पर आपकी रूलिंग भी हो गई है कि, उन्होंने ऐसा कहा है। "मनगढ़न्त और झूठा प्रचार करती हैं," यह बात झूठ है। जो बात झूठ है उसको झूठ और असत्य कहने में कोई ऐतराज की बात नहीं है, कोई दोष नहीं है। यह सही है कि राजस्थान में गौहत्या नहीं होती तो राजस्थान की पोलिटिकल पार्टीज़ कहती हैं कि राजस्थान में गौहत्या नहीं होती, दूसरे प्रोविन्सेज़ में होती है तो उनके लिये कहते हैं कि वहां होती है। इस बात को झूठ और मन-

(श्री भैरोंसिंह)

गढ़न्त कहा था और हमारा भी अधिकार है यह कहने का कि जो उन्होंने कहा है कि मनगढ़न्त झूठा प्रचार किया जाता है, वह झूठ है....

श्री सभापति : माननीय सदस्य ने अपने प्रारम्भिक भाषण में कहा था वह आपत्तिजनक नहीं है। मैं निवेदन करूंगा कि आपके भाषण को जारी रखने के आदेश दे दिये हैं, उनको मान लीजिये। हां, आप अपना भाषण करें।

श्री श्रीभानसिंह : मैंने जो पोइन्ट ऑफ ऑर्डर रेज़ किया था....

श्रीसभापति : ऑर्डर ! ऑर्डर !!....

श्री श्रीभानसिंह : मैंने पोइन्ट ऑफ ऑर्डर रेज़ किया था उसे सुनें तो सही....

श्री सभापति : अब कोई पोइन्ट ऑफ ऑर्डर नहीं है। आप अपना भाषण जारी रखिये।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : माननीय सभापति महोदय, इससे पेश्तर कि मैं, अपने भाषण को जिस जगह से छोड़ा था, जारी करूं। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि एक माननीय सदस्य ने....

श्री सभापति : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि अपने भाषण के विषय पर बोलें....

(श्री विश्वम्भरनाथ जोशी के खड़े रहने पर)

यह सदन की परम्परा है कि जब माननीय सभापति कुछ कह रहे हों तो माननीय सदस्य बैठ जायें। इधर आप भी खड़े थे और उधर आप भी खड़े थे।

श्री सभापति : आप (श्री विश्वम्भर नाथ जोशी) अपना भाषण जारी रखें।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : विरोधी दल के बीच से सीकर जिले के किसी निर्वाचन क्षेत्र से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ वह मनगढ़न्त और झूठ है।

श्री भैरोंसिंह : ऐसा नहीं कहा।

श्री सभापति : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि इस विषय में विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री श्रीभानसिंह : मैं माननीय सभापतिजी से रूलिंग चाहूँगा कि एक माननीय सदस्य जो कुछ बोलें उसके लिए दूसरे माननीय सदस्य कह दें कि झूठ बोल रहे हैं तो एक माननीय सदस्य की इन्टीग्रिटी को चैलेंज़ करते हैं, इसके लिए माननीय सदस्य आपकी रूलिंग चाहते हैं।

श्री सभापति : ऐसी बात होगी तो उन्हें रोक दिया जायगा, ऐसी कोई बात नहीं है, जारी रखो।

(हंसी एवं करतलध्वनि)

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : Mr. Chairman, I would specifically like to point to you that a particular Hon'ble Member had said words to the effect that.....

(अनेक माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

Page No.89

श्री सभापति : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि आप अपने विषय पर बोलें, इशारा करने की जरूरत नहीं है....

(हंसी)

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : I have got every constitutional right to point out to the Chairman that......

(व्याघात)

श्री अर्जुनदास : Not after the ruling.

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : One Hon'ble Member has doubted, he has challenged my bonafides. He has no business to do so

(श्री अर्जुनदास द्वारा व्याघात उपस्थित करने पर)

श्री सभापति : Order please!

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : He has no buisness to do so. He should withdraw the expression.

श्री अर्जुनदास : This is contempt of the House itself. He is trying to repeat after the ruling from the chair.

श्री सभापति : विथड्रा करने की अथवा एपोलोजाइज़ करने की कोई आवश्यकता नहीं। यदि आपको इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करने हैं तो करिये, नहीं तो मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि अपना जवाब दें।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : As a protest I stop my speech.

श्री पी० के० चौधरी : चेयरमैन महोदय............

(कुछ माननीय सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री सभापति : इस विषय पर काफी विवाद हो चुका है। मैं चाहता हूँ कि मन्त्री महोदय इसका उत्तर दें। आवश्यकता होगी तो आपको फिर मौका दिया जायगा।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : I have to finish my speech.

४. ८. म०प०

(श्री निरञ्जननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पुनः पदासीन)

श्री पी० के० चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष a point of order has been raised.....

(व्याघात)

श्री उपाध्यक्ष : Let us hear the Hon'ble Member.

श्री पी० के० चौधरी : एक माननीय सदस्य भाषण दे रहे थे तो दूसरे सदस्य ने इण्टर्फियर करके कहा था कि झूठ बोल रहे हैं। माननीय सदस्य जिन्होंने भाषण दिया वे कहते हैं; कहा था। मेरा निवेदन है कि रूलिंग देने से पहले प्रोसिडिंग्स से देख लिया जाय कि झूठ कह रहे हैं, ऐसा कह कर इन्टरप्ट किया था कि नहीं ? अगर ऐसा कहा है तो प्रोसिडिंग्ससे उस पोर्शन को रिमूव करने की आज्ञा दें।

श्री उपाध्यक्ष : It will facilitate the matter. Can you please mention the name of the Hon'ble Member who has uttered those expressions ?

Page No.90

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : The Hon'ble Member from Sikar.

(विराम)

I am sorry. The Hon'ble Member from Kota.

श्री मदनसिंह दांता : On a point of order, Sir.......

श्री उपाध्यक्ष : There cannot be any point of order unless the first point of order is disposed of. You will kindly reserve your point of order till I dispose of the first.

श्री मदनसिंह दांता : जो आपने अभी डिसीज़न दिया है, उसके सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूँ। उपाध्यक्ष महोदय ने जो निर्णय दिया है, फिर उसी मेटर को री-ओपिन कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : I take all these circumstances also in view. Can you kindly enlighten me on the point before I give my ruling?

श्री श्रीभानसिंह : Mr. Chairman, whether......

श्री पी० के० चौधरी : Mr. Dy. Speaker, Sir, the expression of Mr. B. N. Joshi......

श्री उपाध्यक्ष : मैं इस पर अपना डिसीज़न दोनों, तीनों cicumstances को देखकर देने वाला हूँ।

श्री विश्म्भरनाथ जोशी : विधेयक के सम्बन्ध में भी ऑर्डर हो चुका था कि होम मिनिस्टर जवाब दें।

श्री उपाध्यक्ष : I allow the Hon'ble Member to resume......

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : Before resuming the remaining portion of my speech, I have to submit that the actual point is that when I was making my speech, an Hon'ble Member in question had said words to the effect that I was not stating what I actually felt, but I was making some sort of a show......

एक माननीय सदस्य : ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर सर, जो भाषण माननीय सदस्य दे हैं रहे वह हिन्दी में होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : It is not apoint of order, please. Yes, please continue.

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : The Hon'ble Member has no right to......... challenge......

श्री मदनसिंह दांता : माननीय उपाध्यक्ष, अभी अभी आपको फरमाया कि दो-तीन चीजों को देख कर डिसीज़न दूंगा। उसके बावजूद भी इन्हीं बातों का रिपीटीशन हो रहा है जिसके विषय में आपने बोलना बन्द किया। आप डिसीजन देंगे क्या उसका तो रीपीटीशन रहा है ?

श्री उपाध्यक्ष : The point involved is about the unparliamentary language used as I presume. The Hon'ble Member is not using any unparliamentary language at this stage.

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : The sense that I was expressing during the course of my speech, I have every right to explain the point

(श्री विश्वम्भरनाथ जोशी)

before stating the case, so that it may enable the decision being reconsidered.

श्री उपाध्यक्ष : You will not please repeat all these arguments. You will please confine yourself to the question itself.

(करतल-ध्वनि)

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : The exact question is that words to the effect have been uttered......

(व्याघात)

श्री उपाध्यक्ष : No, no. You will please state your point.

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जहां तक अनपार्लियामेंट्री शब्दों का सम्बन्ध है मैंने नोट कर लिया है। आप उस अपनी डिबेट में कोई प्रकाश नहीं डालें।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : यह जो संशोधन रखा है उसमें एक इस बात का खतरा रहेगा कि ऐसे जानवर जो शिड्यूल्ड बीमारियों में आते हैं या जिनका इलाज होने और उनके बचने की संभावना हो उनको भी मार दिये जाने का खतरा रहेगा। इससे हमारे पशु-धन को बहुत बड़ा खतरा रहता है। इसलिये अगर धारा ६ की उपधारा (बी) को रखना चाहते हैं तो मैं समझता हूँ कि राजस्थान की जनता की भावना को बहुत गहरा आघात पहुँचेगा और इससे इस प्रकार की घटनाएं होंगी कि जिससे सारे प्रान्त में उसकी जबर्दस्त प्रतिक्रिया होगी। मैं समझता हूँ कि आखिर हम सब लोग जो यहां पर हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं, हमको जिस प्रकार का जनमत है उसका ख्याल रखते हुए यहां की कार्यवाही करनी चाहिये और जहां तक हो जनता के हित के कानून बनावें और जनता के प्रतिनिधि होने के नाते हमको जनता के सेन्टीमेंटों को सामने रखना चाहिये और रखना हमारे लिये आवश्यक है और हमारा कर्तव्य भी है। यदि ऐसा नहीं किया गया तो मैं आशा करता हूँ और ऐसा मानता हूँ कि वर्तमान रूप में जो धारा है उसको पास करने से जनता को काफी ठेस पहुँचेगी और यह एक बिल्कुल गैर जरूरी चीज है। इसके लिये एक आॅल्टरनेटिव भी बताया है कि उनको एकान्त स्थान में रखा जावे जिससे इस धारा की मंशा भी पूरी हो जावे और जनता को भी किसी प्रकार की ठेस नहीं पहुँचे। जो तरीका है वह यह है, उनको ऐसे स्थानों पर रखा जावे जहां पर वे दूसरे पशुओं से घुल-मिल नहीं सकें और उनका इलाज हो सके। यदि वह अच्छा हो जाए तो ठीक है। उसका इलाज किसी विशेषज्ञ से कराए जाए। अच्छा हो जायगा तो ठीक है, अन्यथा कुदरती तौर पर वहां पर मर जायगा। उनको थोड़ी तसल्ली देकर यह समझाना होगा कि इनका इलाज नहीं हो सकता है, इसलिये उनको पहले ही मार देना और खास तौर से ऐसे पशुओं को जिसके लिये हमारे प्रान्त में ९५ प्रतिशत जनता में इस प्रकार की भावना है कि इस प्रकार के पशुओं को नहीं मारना चाहियें और जिनको मारना वे अनुचित समझते हैं। मैं समझता हूँ कि यदि सरकार ऐसा करेगी तो समझदारी का काम नहीं करेगी और वह कदम समझदारी का कदम नहीं होगा। हमको इस मामले में खर्च की परवाह नहीं करनी चाहिये। खर्चा तो उनके लिये पब्लिक ट्रेज़री से किया जा सकता है। मैं

(श्री विश्वम्भरनाथ जोशी)

आशा करता हूँ कि माननीय मंत्री इस संशोधन को स्वीकार करेंगे।

(कुछ माननीय सदस्यों के बोलने को खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष : मेरा यह विश्वास है कि माननीय मंत्री इस विषय में कुछ प्रकाश डालना चाहते हैं। पहले उन्हें इस पर कुछ प्रकाश डालने दिया जाए, जिससे कि आगे की डिबेट की आवश्यकता न हो। पहले आप उनको सुन लें। उसके बाद यदि आप मुनासिब समझें तो फिर डिबेट आरम्भ की जा सकेगी।

रावराजा श्रीसरदारसिंह: (श्री कृषिमंत्री के खड़े होने पर) You obey the orders.

श्री उपाध्यक्ष : There is no question of obeying the orders.

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष, इस विधेयक के क्लॉज़ पर जो संशोधन दो माननीय सदस्यों ने प्रस्तुत किये हैं उनमें से भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन प्रस्तुत किया उसके बारे में तो ज्यादा कोई बहस इस सदन में नहीं चली, परन्तु बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा उसके बारे में काफी बहस इस सदन में चली और बहुत से माननीय सदस्यों ने उसमें हिस्सा लिया। मैंने बिल्कुल खुले दिमाग से और शांति से उस सारी बहस को सुना है और इस बहस में जो आपत्ति उठाई गई है वह यह है कि एक प्रोविज़न और संशोधन इस सब-क्लॉज़ २ (बी) में जोड़ा जावे कि डेस्ट्रॉय करने के सिलसिले में तीन-चार प्रकार के जानवरों को एग्ज़ेम्प्ट कर दिया जाना चाहिए और इसमें उन्होंने गाय, बैल, बछड़ा और बछिया उनको भी सम्मिलित होने की बात कही है। बहुत से माननीय सदस्यों ने, मैं महसूस करता हूँ कि वास्तव में बहुत ज्यादा भावनाओं से प्रेरित होकर अपनी बातें कहीं हैं। बहुत से सदस्यों ने इसके विरोध में कुछ बातें कहीं और वे काफी रीज़नेबल बातें कहीं। कुछ लोगों ने इस क्लॉज़ को पढ़ने की भी चेष्टा नहीं की, फिर भी बहस में हिस्सा लिया और उसमें उन्होंने बछिया, बैल और गाय का नाम आने के कारण बहुत बड़े बड़े भाषण दे डाले। उन्होंने यह भी कहा कि इस वजह से क्लॉज को एक्ज़ेम्प्ट कर देना चाहिये, उनको किसी भी सूरत में डेस्ट्राय नहीं करना चाहिये। इसके अलावा बड़े बड़े समझदार व्यक्तियों ने इस शब्द 'डेस्ट्रॉय' के साथ साथ 'स्लॉटर' शब्द का भी प्रयोग कर डाला। यह कहते हुए उन्होंने यह कह डाला कि गाय हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक है इसलिये गायों का स्लॉटर नहीं होना चाहिये। इस क्लॉज़ के जरिये न गाय, न बैल और न बछिया के ही स्लॉटर करने की बात है। इसका मतलब इतना ही है कि इस कानून के तहत में हमने शिड्यूल्ड डिज़ीज़ की एक लिस्ट बनायी है, जिन जिन बीमारियों के कारण हम पशुओं को डेस्ट्रॉय करेंगे, उनका उल्लेख शिड्यूल में कर दिया जायगा। उन बीमारियों में ऐसी बीमारियाँ हो सकती हैं जिनकी वजह से जानवर ना-इलाज हो जाता है, उस बीमारी का इलाज किसी सूरत में नहीं हो सकता। आज दिन भी हम देखते हैं कि कई जानवरों को ऐसी बीमारियां हैं जिनका कितने ही उपचार के बाद डॉक्टरों की कोशिश के बावजूद उनको बचाया नहीं जा सका है। खास तौर से जो जानवर रखने वाले

(श्री नाथूराम मिर्धा)

भाई हैं वे जानते होंगे । एक कॉमन डिज़ीज़ गर्मियों के दिनों में पायी जाती है कि जानवर हिड़किया (पागल) हो जाता है, बैल हिड़किया जाते हैं ।

श्री भैरोंसिंह : आदमी भी हिड़किया जाते हैं ।

श्री नाथूराम मिर्धा : हां, आदमी भी हिड़किया जाते हैं । इस प्रकार के जो जानवर होते हैं उनके लिये गांव वाले यह जानते हैं कि यह जानवर तो बचने वाला नहीं है, मर जायगा । इस तरह से कोई भी उस जानवर के पास जाने की चेष्टा नहीं करता । इस प्रकार से चाहे गाय हो, बैल हो, बछिया या बछड़ा हो हिड़किया जाने के बाद कोई भी उसके पास जाने की इच्छा नहीं करता क्योंकि उस जानवर के एक प्रकार की लार बहती है, अगर वह लार किसी के लग जाय तो आदमी या पशु भी हिड़किया जाता है । इसलिये होता क्या है कि उस जानवर की जितनी जिन्दा रहने की ताकत होती है उस समय के मुताबिक एक दिन, दो दिन में वह तड़फ तड़फ कर मर जाता है । इस प्रकार जो गायों को माँ, बैलों को बाप और बछड़ा-बछड़ियों को बेटा-बेटी समझते हैं वे भी ऐसी हालत में उनके पास जानें की चेष्टा नहीं करते ।

श्री अर्जुनदास : दो बैलों को आप क्या समझते हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : वे तो समझने वाले समझते ही हैं । हम तो गाय, बैल और बछिया को उपयोगी जानवर मानते हैं, जो लोगों की आर्थिक हालत सुधारने के काम में आते हैं । न हम बाप मानते हैं, न भाई; हम केवल इनको उपयोगी जानवर मानते हैं जो लोगों की भलाई के काम में आते हैं । जिन लोगों ने गाय को मां और बैल को बाप कहा है, वह इसलिये कहा है कि यह उनके काम में आने वाले उपयोगी जानवर हैं, इन जानवरों से उनको रिलीफ मिलता है और उनको खेती में इनसे सहायता मिलती है । गाय की उपयोगिता जिन्दा रहने तक ही नहीं, बल्कि मरने के बाद भी उसकी एक २ चीज का मनुष्य की भलाई के लिये उपयोग होता है । इसलिये इस प्रकार के जानवरों को प्रोटेक्शन देना हमारा कर्तव्य है । चाहे धार्मिक दृष्टि से उसे पवित्र समझें, इसमें हमें एतराज नहीं, लेकिन यह बात सही है कि ये बहुत उपयोगी जानवर हैं । इन्हीं पर किसानों की आर्थिक स्थिति निर्भर करती है । उनको बचाने का, उनको अच्छा रखने का इस विधेयक की प्रवृत्ति है । इसके बावजूद भी कुछ बीमारियां पशुओं के ऐसी लग जाती हैं, जिनके लिये मालिक भी जानता है, इस बीमारी से यह जानवर बच नहीं सकेगा और तड़फ तड़फ कर मरेगा । ऐसी हालत में हमारी यह मन्शा है कि उस बीमार जानवर को शान्ति से विदा किया जाय तो बहुत अच्छा है और उसी क्रिया को हम डेस्ट्रॉय द्वारा करना चाहते हैं। आप यह नहीं चाहते कि यह क्रिया हो, आप चाहते हैं कि वह तड़फ तड़फ कर मरें जो खाने-पीने लायक रहता नहीं उसकी किसी तरह से सेवा नहीं की जा सकती, उसके पास जाने की जो बातें करते हैं वे भी उसके पास जा नहीं सकते, क्योंकि ऐसे जानवर के पास जाने से हिड़किया जाने का डर रहता है । आप उस हालत में उसका उपचार कर नहीं सकते, खड़े खड़े वह एक दिन, दो दिन निकाल सकता है इससे ज्यादा दिन तक वह जिन्दा नहीं रह सकता । वैसी हालत में भी आप चाहते हैं कि डेस्ट्रॉय वर्ड का इस्तैमाल न किया जाय,

(श्री नाथूराम मिर्धा)

तो मेरा आपसे निवेदन है कि मैं भी इस बारे में पर्टिकुलर नहीं, आप इसकी जगह दूसरा उपयुक्त शब्द जोड़ सकते हैं, बता सकते हैं ! इसके शिड्यूल में प्रेस्क्राइब्ड डिज़ीज़ ऐसी डिज़ीज़ होंगी जिसको हम रूल्स के अंदर बतायेंगे । यह बिल जब सिलेक्ट कमेटी में विचारार्थ लिया गया, इस धारा पर सिलेक्ट कमेटी में बहस करते समय भी हमने इस पर काफी गौर से विचार किया था और जो ओरीजिनल क्लॉज़ था उसको रद्दोबदल किया गया । जो जानवर किसी भी हालत में उपयोगी नहीं, या वेटरनरी सर्जन या कम्पाउन्डर के कहने से जिसको डेस्ट्राय कर दिया जाय इसके लिये इस पर चैक के लिये इस क्लॉज को रिड्राफ्ट किया गया । फिर भी आप यह समझते हैं कि यह 'डेस्ट्रॉय शब्द' न रहे इसको रखने में मुझे कोई इन्सिस्टेन्स नहीं । गाय का नाम लेकर इस प्रकार के शब्दों को इसमें रखा जाकर, हो सकता है, माननीय सदस्य गलत-फहमी पैदा करने की चेष्टा करें, जैसा कि बहुत से माननीय सदस्यों के कहने से मैंने अन्दाज लगाया । इस 'डेस्ट्रॉय' शब्द को रखने में मुझे कोई इन्टरेस्ट नहीं, इसलिये मैं यह चाहता हूँ कि इस क्लॉज़ को डेफर कर दिया जाय, इस पर सोच लें और उसके बाद विचार किया जाय । इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन कर दूं कि इतना कच्चा होने से काम नहीं चलेगा । हिन्दू धर्म के अन्दर आदमी जब मरता है तो उसको जलाया जाता है, किन्तु उसमें भी एक अपवाद है । अगर कोई व्यक्ति कुष्ठ रोग से मरता है तो उसको जलाया नहीं जाता, बल्कि दफनाया जाता है । क्योंकि इसके लिये यह मान्यता है कि अगर ऐसे रोग से ग्रसित व्यक्ति को जलाया जायगा तो उसके कीटाणु हवा से उड़कर दूसरे व्यक्तियों को भी उस रोग से ग्रसित कर सकते हैं । जब कि हिन्दू धर्म में जलाने की प्रथा है तो धर्म के हिसाब से तो उसको जलाया जाना चाहिये....

श्री मदनसिंह (दांता) : आप धर्म की ओर हिन्दू धर्म की बातें मत कीजिये, यहीं रहने दें ।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं इस लिये निवेदन कर रहा था कि धर्म की आड़ लेकर बछियों पर झालर ओढ़ाकर जो लोग वोट मांगते हैं वे ही लोग इसका विरोध कर रहे हैं । मैंने एक जुलूस देखा था, उपाध्यक्ष महोदय........

श्री उपाध्यक्ष : Hon'ble Minister, you will please speak to the question.

श्री नाथूराम मिर्धा : I am speaking to the question. I am referring to the words that he has used......

श्री अर्जुनदास (अजमेर पश्चिम) : He does not understand at all, Sir.

श्री तनसिंह (बाडमेर) : On a point of order, Sir, if he has agreed to defer this clause, than it is not necessary for him to further debate on the matter. We are not supposed to sit here and listen to his sermons so long as he goes on.

श्री उपाध्यक्ष : This is only a point of information which I have received. I take the issue. Let us proceed.

श्री नाथूराम मिर्धा : (जारी) इसलिये माननीय सदस्यों से मैं निवेदन करना चाहता था कि हमें रीज़नेबल बनना पड़ेगा, सेन्टीमेन्ट्स पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, उस समय

Page No.95

(श्री नाथूराम मिर्धा)

जब कि हम आगे बढ़ना चाहते हैं। जिस सीधे और सिम्पल इरादे से प्रोवीज़न रक्खा गया है वही लेना चाहिये। इसके विपरीत भी जो बातें सदन में कही गई उनसे मैं स्वयं भी यह महसूस करता हूँ कि उससे गलतफहमियां फैल सकती हैं इसलिए वापिस इस पर हम रिकन्सीडर कर लेंगे कि इस शब्द 'डेस्ट्रोय' के निकालने के बाद में किस तरह से ड्राफ्ट किया जावे।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : ओन ए पोइन्ट ऑफ क्लैरिफिकेशन, सर, माननीय मन्त्रीजी ने दोनों बातें बताई। एक यह बताई कि मेरी इच्छा नहीं, पर अगर सदन की यह इच्छा है कि इसको बदला जावे तो वे पर्टिकुलर भी नहीं कि इसे न बदला जावे। तो हम यह चाहते हैं कि कम से कम उनकी इच्छा क्या है, यह हमें स्पष्ट मालूम हो जाए कि इस प्रकार के रोग ग्रस्त मवेशियों को वे शान्ति से मारना चाहते हैं या नहीं ; कम से कम उनके फीलिंग्ज़ मालूम हों ताकि सदन उनके फीलिंग्ज़ के आधार पर अपनी ओपीनियन फोर्म करें।

श्री उपाध्यक्ष : फीलिंग का सवाल कहां पैदा होता है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : उन जानवरों को, जिनको किसी तरह से भी नहीं जिलाया जा सकता, इन्सान की तमाम कोशिशों के बाद भी कोई सूरत नहीं दिखाई दे तो मैं चाहता हूँ कि शान्तिपूर्वक उनके मरने की व्यवस्था अगर डेस्ट्रॉय के जरिये हो सके तो मैं इसे बहुत रीज़नेबल और ठीक मानता हूँ और इसके बावजूद भी सदन के सदस्य इस बात को पसन्द न करते हों, शब्द 'डेस्ट्रॉय' निकाल कर दूसरा शब्द जोड़ना चाहते हैं तो मैं उसको मन्जूर कर सकूंगा।

श्री मदनसिंह : शान्तिपूर्ण मौत तो समाधि से ही प्राप्त हो सकती है, वह आप कर नहीं सकते; इसलिये मैं समझता हूँ कि वैसे ही मरने दें तो ठीक होगा।

श्री उपाध्यक्ष : सो इसको डेफर कर दिया जावे, if be deferred.

(विराम)

Clause 10 : then we proceed further and come to clause 10. Shri B. N. Joshi.

(कुछ मा० सदस्यों के फिर भी खड़े होने पर)

इसके पूर्व कि हम आगे बढ़ें अभी जो थोड़ी अव्यवस्था सदन में हुई थी उसके सम्बन्ध में रूलिंग देने की बात कही गई थी। श्री बी० एन० जोशी ने असंसदीय शब्दों के प्रयोग पर आपत्ति की, दूसरे पक्ष से भी कुछ कहा गया। दोनों पक्षों की ओर से कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है जिनका प्रयोग नहीं होता तो उचित था। ऐसी स्थिति में इस प्रश्न पर कोई व्यवस्था देकर मैं इसे और जटिल नहीं बनाना चाहता और यहीं प्रश्न को समाप्त करते हुए इस व्यवस्था की मांग को निरस्त करता हूँ।

(विराम)

क्लॉज़ १०

श्री नाथूराम मिर्धा : उपाध्यक्ष महोदय, वह वर्ड 'डेस्ट्रॉय' वाला डेफर हो जाता है तो इसको भी डेफर कर दिया जाय, this may be also deferred.

श्री उपाध्यक्ष : He has requested that it should be deferred, so I defer clause 10 also.

(विराम)

क्लॉज़ ११, श्री पी० के० चौधरी।

Page No.96

श्री पी० के० चौधरी : I move the amendment that from sub-clause (1) of clause 11, delete the words "any Inspector has reason to believe that", and after deleting it, add the words "Inspector" in place of "he". So the clause will then read as follows :

"If an infective animal is kept on any land, or in any building or other place, the Inspector shall, forthwith, by order in writing, declare such land, building or place to be an infected place................Veterinary Surgeon."

मेरा जो संशोधन है वह इस बात पर है कि ओरीजिनल क्लॉज़ में " If any Inspector has reason to believe " रहेगा तो यह बड़ा डेन्जरस क्लॉज़ होगा । इन्सपेक्टर साहब को अगर घर बैठ कर भी मालूम हो गया कि वहां पर किसी एरिया में इन्फेक्टेड एनीमल है तो वह इन्फेक्टिव एरिया डिक्लेअर कर देगा, प्राइवेट प्लेस को भी वह इन्फेक्टेड घोषित कर सकेगा । इससे लोगों की हैरेसमेन्ट बढ़ने की गुंजाइश है क्योंकि किसी से भी गलत या सही सुन लिया कि फलां जगह किन्हीं पशुओं के गोचर में या किसी जगह पर किसी के मकान में या गोशाला में किसी एक पशु को इन्फेक्टेड डिज़ीज़ हो गई है तो इन्सपेक्टर साहब बिना उसको देखे-भाले, जांचे घर बैठे ऑन दि बेसिस ऑफ दैट इन्फोर्मेशन, एक नोन टेक्नीकल (non expert) आदमी की इन्फॉर्मेशन पर भी डिक्लेअर कर देगा । अब किसी भी जगह को इन्फेक्टेड एरिया डिक्लेअर कर देने के बाद वहां के आस पास के रहने वाले और अन्य वहां रहने वाले पशुओं को वहां से हटाना होगा, उनके मूवमेन्ट पर असर होगा और इससे हर एक आदमी हैरेस होगा । अगर किसी ने झूट ही गलत खबर दे दी हो या आपस में किसी से रंजिश और वैर हो और उसका बदला लेने के लिये भी गलत खबर देकर इसे हैरास करना चाहता हो । तो इन कारणों से मैंने यह संशोधन रक्खा है और इसलिए रक्खा है कि वह डिक्लेअर तो कर सकता है पर निश्चित तौर पर जानकारी प्राप्त करने के बाद ही कर सकता है और यह मतलब तब हल हो सकता है जब रीज़न टू बिलीव वाले को डिलीट कर दें और जहां " he " है वहां इन्सपेक्टर रख दें । " The Inspector can declare a private place to be an infected place if there is any infected animal......"

इसका इम्प्लीकेशन यह होगा कि इन्सपेक्टर खुद जाकर वहां उस जगह को और पशु को एग्ज़ामिन करेगा और एग्ज़ामिन करने के बाद अगर उसे तसल्ली हो जावेगी तब वह डिक्लेअर करेगा । खुद नहीं जावे और किसी वेटरनरी डिज़ीज़ के डॉक्टर को भेजकर मालूम करे तो यह भी हो सकता है, डिप्लोमा होल्डर हो तो उसे भी भेज सकते हैं । तो इसकी निश्चित जानकारी के बाद कर सकता है । नहीं तो क्या होगा ? मेरी किसी से दुश्मनी है और मुझे कोई नुकसान या हैरेसमेन्ट पहुँचाना है या पड़ोसी को नुकसान पहुँचाना होगा तो वह रिपोर्ट कर देगा, झूठ-मूठ भी कि फलां के घर में इन्फेक्टेड डिज़ीज़ पशु हैं और उस पर यह घर बैठा ही डिक्लेअर कर सकता है । इससे इन्सपेक्टर का वर्क भी ढीला रहेगा । वह दफ्तर में बैठकर किसी की इत्तिला पर ही डिक्लेअर कर देगा । इसलिये प्रोवीजन ऐसा रहे कि खुद इन्सपेक्टर या उस डिज़ीज़ का जानने वाला डिप्लोमा होल्डर या डॉक्टर वहां जाकर और फिर सारी

(श्री पी० के० चौधरी)

स्थिति देखकर डिक्लेअर करे। इसमें अननेसेसरी हैरेसमेन्ट की गुंजाइश नहीं रहेगी।

डॉ बहादुरसिंह : जो यह संशोधन श्री पी० के० चौधरी ने मूव किया है उसका मैं समर्थन करता हूँ क्योंकि इससे इन्सपेक्टर गलती कर सकता है और उस गलती से लोगों को बेकार परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिये जब तक उस स्थान का अच्छी तरह से एक्सपर्ट्स द्वारा निरीक्षण न करा लिया जावे, तब तक उसे डिक्लेअर नहीं किया जावे। मैं आशा करता हूँ, यह एक सीधा सा संशोधन है और इसे स्वीकार कर लिया जावेगा।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह संशोधन स्वीकार करने पर क्लॉज़ कैसे पढ़ेंगे ? मैं निवेदन करूं कि इस क्लॉज़ की लैंग्वेज कहीं से उठाकर देख ली जाय। इससे यही जाहिर होता है कि वह अपनी पूरी तसल्ली करे कि वास्तव में जानवर बीमार है या नहीं ? यह तसल्ली करने के बाद में क्या कार्यवाही करे, यह सारी व्यवस्था है आगे। अगर वह किसी को डिक्लेयर करते हैं तो नोटिस देंगे, उसके बाद में नोटिस की रिपोर्ट सर्जन के पास भेजेंगे। तो ऐसा नहीं है कि अननेसेसरी किसी को दुखी करने की उसके मन में जंच गई हो या बिना किसी को सूचना दिए उसके मकान में तंग करेंगे। यह डर कतई नहीं है जैसा आप संशोधन रखते हैं। अगर उसको स्वीकार कर लिया तो फिर उसको रीड कैसे करेंगे :

"If any Inspector has reason to believe that an infective animal is kept on any land, or in any building or other place he shall, forthwith, by order in writing......" इसको निकालने के बाद में क्लॉज़ कैसे रीड करें ?

श्री पी० के० चौधरी : क्लॉज़ रीड करते हैं !

"If any infective animal is kept on any land, or in any building or other place, the Inspector shall forthwith by order in writing declare such land, building or place to be an infected place......"

श्री उपाध्यक्ष : Mr, Chaudhry's amendment is that the words "any Inspector has reason to believe that" may be deleted, and we proceed with "If an infective animal is kept on any land or in any building or other place, he shall..." Here the word "he" will be replaced by "the Inspector" "shall forthwith, by order in writing..."

श्री नाथूराम मिर्धा : जो आप कहते हैं उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ? पॉवर्स तो अल्टीमेटली इन्स्पेक्टर के पास ही रहती हैं। इसके अन्दर "reason to believe" means that he should have reason, he should ascertain first" कि किसी के यहां बीमारी है या शंका है तो वह नोटिस देंगे और उसकी इत्तिला ऊपर ऑफिसर को भेजेगा। इसमें कोई डर नहीं है और आपके क्लॉज़ का जो कन्स्ट्रक्शन बनेगा वह सही नहीं होगा। यह जो ओरीजिनल है यह बिल्कुल ठीक है और इसी प्रकार इसको रहना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य अपना अमेन्डमेन्ट वापिस ले लेंगे।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : मेरे ख्याल से अमेन्डमेन्ट ठीक नहीं है।

Page No.98

श्री उपाध्यक्ष : Mr. P. K. Chaudhry.

श्री पी० के० चौधरी : When the Minister agrees with it that it makes no difference, तो उनको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए।

श्री नाथूराम मिर्धा : But that is not correct.

श्री पी० के० चौधरी : That is correct, grammatically correct, idiomatically correct, every way it is correct. "रीज़न टू बिलीव" का मेरा शक यही है कि इसके अन्दर मन्त्री महोदय यह बताते हैं कि इन्स्पेक्टर पूरी तहकीकात करके यह करेगा, लेकिन मैं समझता हूं कि "रीज़न टू बिलीव" का इन्टरप्रिटेशन बाद में क्या होगा ? इन्स्पेक्टर को जाकर किसी ने रिपोर्ट कर दी...

श्री उपाध्यक्ष : It is an explanation for withdrawal.

श्री पी० के० चौधरी : तो मैं तो मानता हूं कि इसका दुरुपयोग हो सकता है और यह होगा भी और कोई भी लेजिस्लेशन आप पास करें तो ऐसी गुंजाइश आप क्यों रखें ? why do you keep a scope for misinterpretation ?

इसलिए मेरा निवेदन था कि सैन्स तो सब कुछ होता था और जो पूवर आफ दी बिल का इन्टेन्शन पूरा होता था, लेकिन एम्बीगुएटी इसमें रिमूव होती थी। मुझे अफसोस है कि मन्त्री महोदय उसे एक्सैप्ट करने के लिए तैयार नहीं हैं; तो I should be permitted to withdraw it.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड ११ के अन्तर्गत प्रस्तुत किये हुए संशोधन को वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

संशोधन वापिस लिये जाने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री पी० के० चौधरी : I withdraw my amendment.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ११ स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ११ विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज़ १२

श्री श्रीभानसिंह : अब तो एडजोर्न कर दिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री पी० के० चौधरी।

श्री पी० के० चौधरी : I do not want to move.

श्री उपाध्यक्ष : श्री श्रीभानसिंह।

श्री श्रीभानसिंह : यह काफी टाइम लेगा, आज एडजोर्न कर दिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : You will have double advantage ?

श्री श्रीभानसिंह : अभी टाइम काफी हो गया है ? Six hours' legislative work; सब लोग बोलना चाहेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : इस पर तो आरम्भ कर दीजिए आप।

श्री श्रीभानसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा बहुत सिम्पल अमेन्डमेन्ट है कि इसका

(श्री श्रीमानसिंह)

जो सब क्लॉज़ (२), पार्ट (ए) है उसमें "रीज़नल लैंग्वेज़ ऑफ दी लोकेलिटी" तो यह है "Declaration of public infected places......."

उसमें यह लिखा है कि:–

"(2) The Veterinary Surgeon shall—

(a) cause a copy of the order passed by him under sub-section (1) to be exhibited prominently in the infected place in the regional language of the locality."

तो मेरी यह समझ में नहीं आया कि राजस्थान की आज रीज़नल लैंग्वेज़ क्या समझी जाये ? अगर हिन्दी है तो वहां उसमें हिन्दी लिख दिया जाता तो ठीक रहता, इन्सपेक्टर कोई गुजराती या मराठी में तो लिखेगा नहीं। लोकेलिटी की क्या डिफ्रेन्ट लैंग्वेजेज़ हैं और डिफ्रेन्ट डाइलेक्ट्स में भी रखें तो यह क्लियर नहीं है कि डिफ्रेन्ट रीज़नल लैंग्वेज क्या होगी ? किस रीज़न की क्या लैंग्वेज़ होगी ? नागौर की लैंग्वेज़ क्या है, भरतपुर की दूसरी लैंग्वेज़ है......

श्री नाथूराम मिर्धा : अगर आप चाहें तो हिन्दी रख लीजिए।

श्री श्रीमानसिंह : चाहता हूँ तभी तो मैं कह रहा हूँ।

श्री नाथूराम मिर्धा : या काट दो।

श्री श्रीमानसिंह : आपका जो स्टेट लैंग्वेज़ बिल है उसके तहत ही तो वह नोटिस सर्व होगा ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इसको काटकर आप हिन्दी कर सकते हैं, मैं इसको मंजूर करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : Should I put it to the vote ? प्रश्न यह कि क्लॉज़ १२ के अन्तर्गत प्रस्तुत किया हुआ संशोधन स्वीकार करते हुए, उसके बजाय 'हिन्दी' शब्द का प्रयोग कर दिया जाये, यह रहे।

(स्वीकृत)

संशोधन, संशोधनानुसार, स्वीकार किया गया।

श्री पी० के० चौधरी : On a point of order, the mover of the amendment said that in clause (a) delete the words "the regional language of the locality." You can delete it. Only delete this, if you accept his amendment; but do not insert 'Hindi'.

श्री नाथूराम मिर्धा : I say that it may be substituted by 'Hindi.'

श्री पी० के० चौधरी : How can you move an amendment now ? I object to it.

श्री उपाध्यक्ष : What is the objection ?

श्री पी० के० चौधरी : The amendment should be got circulated.

श्री उपाध्यक्ष : That has been relaxed. In view of the emergency I have relaxed it.

श्री पी० के० चौधरी: Then I should be given time to move my amendment.

श्री उपाध्यक्ष : What is the amendment ?

Page No.100

श्री पी० के० चौधरी : Whatever that may be ?

डॉ० बहादुरसिंह : इस प्रकार मेरा अमेन्डमेन्ट है वह मूव कर सकता हूं ?

श्री उपाध्यक्ष : I have already put it to the vote.

श्री उपाध्यक्ष : संशोधन स्वीकार कर लिया गया।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय जो संशोधन स्वीकार किया वह इसके स्थान पर हुआ या रीजनल लेंग्वेज के स्थान पर हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष : 'रीज़नल लेंग्वेज' के बजाय 'हिन्दी'।

श्री भैरोंसिंह : तो क्या यह वर्ड हटा दिया जाये ?

श्री उपाध्यक्ष : "रीज़नल लेंग्वेज़ ऑफ दी लोकेलिटी" को हटा दिया जाय और उसकी जगह 'हिन्दी' रख दिया जाये।

प्रश्न यह है कि क्लाज़ १२ को, संशोधनानुसार, स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १२, संशोधन रूप में, विधेयक का अंग बना।

श्री श्रीभानसिंह : I move that the House may be adjourned now.

श्री उपाध्यक्ष : We adjourn to meet tomorrow at 11.00 A. M.

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म० प० ४.४७ पर, दिनांक, २९ अक्टूबर के मध्यान्ह पूर्व ११ बजे तक के लिए स्थगित हुई)

संक्षिप्त-विवरण

(मंगलवार, २८ अक्टूबर, १९५८)

स्कम्भ

तारांकित प्रश्नोत्तर ५६४

गटेण्डा (त० दौसा) के स्कूल भवन का निर्माण ।

जागीरदारों की खुदकाश्त व प्रोपर्टी की इन्क्वायरी ।

प्राइमरी मिडिल स्कूल, बनीपार्क।

तहसीलदारों व नायब तहसीलदारों का फिक्सेशन ।

जयपुर शहर की रिकॉग्नाइज्ड मिडिल स्कूलें।

समाज कल्याण विभाग द्वारा कोटा जिले की संस्थाओं को सहायता ।

महाराणा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, धौलपुर ।

एस. डी. ओ. कोटा के कार्यालय का सुल्तानपुर में स्थानान्तरण ।

डिग्री कॉलेज के लेक्चरार की नियुक्ति ।

बीमा विभाग ।

गवर्नमेंट कॉलेज, सिरोही में साइन्स व कॉमर्स कक्षाएं ।

कोटा जिले में काश्तकारों को कृषि ऋण ।

जि० भरतपुर में बिक्री कर की वसूली ।

स्कम्भ

गोचर भूमि—पाली तहसील ।

छः से ग्यारह वर्ष तक की आयु के स्कूल में जाने वाले छात्र ।

तहसील उनियारा से अफसर व पटवारियों का तबादला ।

बिड़ला वेगन फेक्टरी, भरतपुर को दी जाने वाली बिजली ।

कोटपुतली तहसील में जमीनों का अलॉटमेन्ट ।

भीमगंज मण्डी, कोटा में हाई स्कूल भवन के निर्माण की मांग ।

लैण्ड रेकार्ड्स विभाग में भूतपूर्व टिकाना खेतड़ी के कर्मचारी ।

जिला विकास समिति बीकानेर द्वारा भवन निर्माण योजना ।

आर. ए. एस. कलेक्टर ।

कंजर कोलोनी, तहसील छबड़ा ।

हरिजनों की राज्य सेवा में नियुक्तियां ।

माउंट आबू पर कर्मचारियों की बैठकों का आयोजन ।

गाडोलिया लोहार सम्मेलन ।

राजस्थान कॉलेज, जयपुर ।

बूसी में कन्या पाठशाला खोलने की मांग ।

Page No.102

स्कम्भ

ग्राम खीरजो खास के पुरोहितों की ढाणियों के अग्निकाण्ड में सरकार द्वारा सहायता।

धौलपुर में भवन निर्माण के लिए सरकार द्वारा दी गई राशि।

दिनांक १७ अक्टूबर, १९५८ का स्थगित प्रश्न ६१८

नायब तहसीलदारों तथा प्रोबेशन नायब तहसीलदारों की सेवाएं।

भरतपुर जिले में अकाल की स्थिति सम्बन्धी राजस्व मन्त्री का वक्तव्य ६२६

श्री दामोदरलाल व्यास, राजस्व मन्त्री, ने भरतपुर ज़िले में अकाल की स्थिति से सम्बन्धित एक वक्तव्य दिया।

विधायी कार्य

राजस्थान पशु रोग विधेयक, १९५८ ६३६

स्कम्भ

(अग्रेतर खंडश: विचार-विमर्श)

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित उपरोक्त विधेयक पर आज खण्ड ७ से विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड ७, ७ए, ८ एवं ११ बिना किसी संशोधन के स्वीकृत हुए तथा खण्ड १२ संशोधित रूप में स्वीकार किया गया। खण्ड ९ व १० स्थगित रखे गये।

बुधवार, दिनांक २९ अक्टूबर, १९५८ की कार्य-सूची।

(१) राजस्थान पशु रोग विधेयक, १९५८ (पारित)

(२) राजस्थान वन (संशोधन) विधेयक, १९५८ (विचार स्थगित)

(३) राजस्थान जमींदारी तथा बिस्वेदारी उत्पादन विधेयक, १९५८ (विचार-विमर्श)

परिशिष्ट १

(कृपया प्रश्न संख्या १३७ का उत्तर देखिए)

सूची शिक्षण संस्थाऐं सरकारी व गैर-सरकारी मिडिल स्कूल, शहर जयपुर

१. उस्मानिया मिडिल स्कूल, जयपुर ।
२. महाराज कुमार मिडिल स्कूल, जयपुर ।
३. गुरु नानक देव विद्यालय, जयपुर ।
४. सिन्धी पंचायत मिडिल स्कूल, जयपुर ।
५. हिन्दू ए. वी. एम. स्कूल, जयपुर ।
६. देवऋषिकुल विद्यालय, जयपुर ।
७. चित्रगुप्त विद्यालय, जयपुर ।
८. गौड़ विप्र विद्यालय, जयपुर ।
९. दधिमथी मिडिल स्कूल, जयपुर ।
१०. मनोरंजक मिडिल स्कूल, जयपुर ।

राजकीय हिन्दी माध्यमिक विद्यालय

१. रामगंज मिडिल स्कूल, जयपुर ।
२. घाटगेट मिडिल स्कूल, जयपुर ।
३. मोदीखाना मिडिल स्कूल, जयपुर ।
४. रज़िडेन्सी मिडिल स्कूल, जयपुर ।
५. बेसिक मॉडल स्कूल, जयपुर ।
६. महाराजा मिडिल स्कूल, जयपुर ।
७. दरबार मिडिल स्कूल, जयपुर ।

परिशिष्ट २

(कृपया प्रश्न संख्या १४३ का उत्तर देखिए)

RAJASTHAN UNIVERSITY

List of Degree Colleges affiliated with this University in the Faculty of Arts only

1. Rajasthan College, Jaipur.
2. Savitri Girls College, Ajmer.
3. Government College, Sri Ganganagar.
4. S. S. G. Pareek College, Jaipur.
5. Maharani Sudershan College for Women, Bikaner.
6. Rajasthan Mahila Vidyalaya, Udaipur.
7. Raj Mahal Girls' College, Jodhpur.
8. Rajasthan Shramjivi Vidyapeeth, Night College, Udaipur.
9. Banasthali Vidyapeeth, Banasthali.
10. Government College, Sirohi.
11. Shri Rajendra College, Jhalawar.
12. Maharani's Girls College, Kota.
13. Government College, Banswara.
14. Shri Kalyan College, Sikar.

परिशिष्ट ३

(कृपया प्रश्न संख्या १४४ का उत्तर देखिए)

नामों की सूची

१. श्री रामगोपाल भंडारी, अन्ता, तहसील अन्ता।
२. गजानन्द सुनार, बडवा, तहसील अन्ता।
३. श्रीमती छीता बाई साकिन अन्ता, तहसील अन्ता।
४. श्री माधो चमार व मूल्या, योगयान, तहसील अन्ता।
५. बिरधा कराड, बांस्या हैड़ी, तहसील कनवास।
६. रामचन्द्र महाजन, कनवास तहसील कनवास।
७. गोरधन चमार, टोडी, तहसील कनवास।
८. बल्या, ऊंकार काछी, छीपाबड़ौद, तहसील छीपाबड़ौद।
९. हरीवल्लभ धाकड़, फूलबड़ौद, तहसील छीपाबड़ौद।
१०. लक्ष्मीनारायण काछी, सारथल, तहसील छीपाबड़ौद।
११. प्रभूलाल मीना, रामनगर, तहसील छीपाबड़ौद।
१२. बिरधीलाल कलाल, गनेशगंज, तहसील इटावा।
१३. नूरूखां साकिन चांचौड़ा, तहसील छबड़ा।
१४. जमनाप्रसाद साकिन हनवतखेड़ा, तहसील छबड़ा।
१५. हरीराम साकिन कादरपुरा, तहसील छबड़ा।
१६. ईसरलाल साकिन काडेयाहाट, तहसील छबड़ा।
१७. धूलसिंह साकिन कडेयानोहट, तहसील छबड़ा।
१८. लालचन्द साकिन सेमली, तहसील रामगंज मण्डी।
१९. कजोड़ साकिन पीपल्दा, तहसील पीपल्दा।
२०. कालू साकिन करवाड, तहसील पीपल्दा।
२१. फूंदिया साकिन करवाड़, तहसील पीपल्दा।
२२. गिरवरसिंह साकिन करवाड़, तहसील पीपल्दा।
२३. मांगीलाल साकिन करवाड़, तहसील पीपल्दा।
२४. नंदा साकिन करवाड़, तहसील पीपल्दा।
२५. भैरूया साकिन करवाड़, तहसील पीपल्दा।
२६. हरलाल साकिन देवरी, तहसील शाहाबाद।

Page No.106

२७. मुनीरखां साकिन देवरी, तहसील शाहाबाद ।

२८. पन्नालाल आत्मज, किशनलाल खाती, साकिन अकलेरा तहसील, बारां ।

२९. रामप्रसाद आत्मज, गेन्दीलाल ज्यौदिया, जामापुरा, तहसील बारां ।

३०. श्री लक्ष्मण आत्मज, लच्छा धाकड़, इन्डा तहसील बारां ।

३१. अमरा आत्मज जीवन माली, कोटडी तुलशां, तहसील बारां ।

३२. छीतरलाल आत्मज, मंगलाल मीना, गजनपुरा ।

३३. कन्हीराम आत्मज, सरवन नायक, गोरधनपुरा, तहसील बारां ।

३४. कल्याणमल आत्मज, रामगोपाल, तलावड़ा तहसील बारां ।

३५. रामनाथ आत्मज, गौरू मीना, थामली, तहसील बाराँ ।

३६. राधावल्लभ आत्मज, बालाबक्स बोहर, नलका, तहसील बारां ।

३७. श्रीमती मूली पत्नी मोतीलाल महाजन, फतहपुर, तहसील बारां ।

३८. श्री पन्नालाल आत्मज कालू मीना, व मूल्या गजनपुरा, तहसील बारां ।

३९. हीरालाल आत्मज ऊंकार धाकर, बामला, तहसील बारां ।

४०. मांगीलाल आत्मज रामगोपाल ब्राह्मण, बामला, तहसील बारां ।

४१. स्टेनली लायल आत्मज इलाइल ईसाई, बारां, तहसील बारां ।

४२. रामप्रतापसिंह आत्मज नन्दसिंह राजपूत, बावड़ी खेड़ा, तहसील बारां ।

४३. भैरवलाल आत्मज श्यामलाल मीणा, बैगनी, तहसील बारां ।

४४. कृष्णचन्द्र आत्मज गोपाल अहीर, मेलखेडी तहसील बारां ।

४५. श्री मोतीलाल आत्मज मथुरा अहीर, मौजपुर, तहसील बारां ।

४६. प्रभूलाल आत्मज मन्नालाल महाजन, मंडोला, तहसील बारां ।

४७ प्रभूलाल आत्मज मदनलाल महाजन, मंडोला, तहसील बारां ।

४८. आनन्दीलाल आत्मज रामगोपाल महाजन, सुन्दलक, तहसील बारां ।

४९. शिवप्रसाद आत्मज पन्नालाल कायस्थ, बारां, तहसील बारां ।

५०. रामगोपाल सूरजमल जलौदा, तेजाजी, तहसील मांगरौल ।

५१. मांगीलाल वल्द छोटासिंह, गोदावरी, तहसील मांगरौल ।

५२. प्रभूलाल वल्द गौरीलाल नाई, ऊदपुरा, तहसील मांगरौल ।

५३. मथुरालाल धाकड़, सूसवाली, तहसील मांगरौल ।

५४. देवीशंकर शर्मा, सीसवाली, तहसील मांगरौल ।

५५. बालमुकन्द कलाल, मऊ, तहसील मांगरौल ।

५६. बृजसिंह वल्द अर्जुनसिंह, मऊ, तहसील मांगरौल ।

५७. किशनलाल कस्तूरचन्द, बमोरी कलां, तहसील मांगरौल।
५८. धूलीलाल ब्राह्मण, रावल जावल, तहसील मांगरौल।
५९. रंगलाल मीना, जलोदा तेजाजी, तहसील मांगरौल।
६०. सादुलसिंह बोहत, तहसील मांगरौल।
६१. चन्द्रसिंह वल्द फूदासिंह राजपूत, रेनगढ़, तहसील मांगरौल।
६२. रामप्रताप महाजन साकिन माल बमोरी, तहसील मांगरौल।
६३. रहमतुल्ला मुसलमान, मांगरौल, तहसील मांगरौल।
६४. सूरजमल महाजन, मांगरौल, तहसील मांगरौल।
६५. हरिसिंह चारन, बमोरी कलां, तहसील मांगरौल।
६६. चन्द्रसेन माथुर, साकिन ऊदपुरा।
६७. श्री भंवरसिंह गोदावरी, तहसील मांगरौल।
६८. सुखलाल मीना छीगानिया, तहसील मांगरौल।
६९. केशरीसिंह राजपूत, रायथल, तहसील मांगरौल।
७०. ढूंढाशाह फकीर, सीसवाली, तहसील मांगरौल।
७१. मन्ना ग्यारस्या भवानी शंकर, मांगरौल, तहसील मांगरौल।
७२. हफीउल्ला वल्द बाउल्ला मुसलमान, मांगरौल, तहसील मांगरौल।
७३. नाथूलाल महाजन, मांगरौल, तहसील मांगरौल।
७४. माधो वल्द नारायन, मांगरौल, तहसील मांगरौल।
७५. रामा वल्द देवा, मांगरौल, तहसील मांगरौल।
७६. भोजा वल्द देवबक्श, मांगरौल, तहसील मांगरौल।
७७. माधो वल्द भंवरिया, मांगरौल, तहसील मांगरौल।
७८. कानगीर गुसाईं, कुन्डला, तहसील मांगरौल।
७९. मोती वल्द काना, पाकलखेडा, तहसील मांगरौल।
८०. कन्हैयालाल सीसवाली, तहसील मांगरौल।
८१. नरसिंहलाल सीसवाली, तहसील मांगरौल।
८२. नन्नेशाह फकीर सीसवाली, तहसील मांगरौल।
८३. रामकरण धाकड़, सीसवाली, तहसील मांगरौल।
८४. जगन्नाथ धाकड़, सीसवाली, तहसील मांगरौल।
८५. जगन्नाथ ब्राह्मण, सीसवाली, तहसील मांगरौल।
८६. रामनारायण धाकड़, सीसवाली, तहसील मांगरौल।

८७. बेनिया चमार, तिसाया, तहसील मांगरौल ।

८८. मोतीनाथ, तिसाया, तहसील मांगरौल ।

८९. कल्याणसिंह, रायथल, तहसील मांगरौल ।

९०. रामकल्याण रायथल, तहसील मांगरौल ।

९१. लटूरसिंह मुन्डली, तहसील मांगरौल ।

९२. हरदेव मीना, बोरदा, तहसील मांगरौल ।

९३. रामप्रताप ब्राह्मण सीध्या, तहसील मांगरौल ।

९४. रामनारायण बोहत, तहसील मांगरौल ।

९५. चून्या चमार, बोहत, तहसील मांगरौल ।

९६. कूचीलाल, जडावदिया, तहसील मांगरौल ।

९७. मांग्या चतरा चमार, बालापुरा, तहसील मांगरौल ।

९८ जगसिंह वल्द वैरीशालसिंह रेनगढ़, तहसील मांगरौल ।

९९. भौमसिंह वल्द प्यारसिंह, रैनगढ़, तहसील मांगरौल ।

१००. माधोसिंह वल्द गोपाल मेहर, खानपुरिया, तहसील मांगरौल ।

———

परिशिष्ट ४

(कृपया प्रश्न संख्या १४७ का उत्तर देखिये)

रकम जो भरतपुर जिले में ईंटों पर बिक्री कर से प्राप्त हुई

	भट्टों के मालिक का नाम	रकम
१.	श्री हनुमान ब्रिक फील्ड भरतपुर	५३०.३१ नये पैसे
२.	श्री जगन्नाथ प्रसाद ब्रिक फील्ड, भरतपुर	६,४३६.३६ ,,
३.	श्री सूरजभान ब्रिक फील्ड, भरतपुर	४,३०७.२७ ,,
४.	श्री बृजेन्द्र ब्रिक फील्ड, भरतपुर	१,६६६.३१ ,,
५.	श्री भरतपुर ब्रिक फील्ड, भरतपुर	४२१.६४ ,,
६.	श्री सियाराम गोपालप्रसाद, भरतपुर	१,०४७.६४ ,,
७.	श्री नदबई ब्रिक फील्ड, नदबई	१,०५०.२५ ,,
८.	कृष्ण ब्रिक फील्ड, डीग	८०८.८७ ,,
९.	श्री अग्रवाल ब्रिक फील्ड, भरतपुर	११७.६२ ,,
१०.	श्री अग्रवाल एण्ड कम्पनी, भरतपुर	४,०५५.३१ ,,
	कुल	२०,७६४.८८

परिशिष्ट ५

(कृपया प्रश्न संख्या १४८ का उत्तर देखिये)

नकशा गोचर भूमि बाबत जागीर वो खालसा ग्राम तहसील पाली

नम्बर शुमार	नाम ग्राम	तादाद रकबा गोचर	गाय बैल भैंस वगैरा	भेड़ व बकरी	तादाद मवेशी सम्वत् २०१३ योग	विशेष विवरण
१	२	३	४	५	६	७
	जागीर के ग्राम जिनमें गोचर भूमि है					
१.	आहेचिया	१८४	६७९	७७४	१४५३	
२.	आकेली	४०५	६९९	१	७००	
३.	बागडीया	५५४	१५२४	४१९	१९४३	
४.	बाला	१२१०	१६८०	२८६४	४५४४	
५.	बालेलाव	१६११	६५१	७७७	१४२८	
६.	बीठू	१९५७	१०९६	३०२५	४१२१	
७.	भालेलाव	५७१	४८१	२६३२	३११३	
८.	भांवरी	२७२९	१७९९	५०४९	६८४८	
९.	मांगेसर	२०९३	८५१	५९९३	६८४४	
१०.	भाकरी वाला गांव	१०९०	९६४	२१११	३०७५	
११.	बुधवाड़ा	६६१	४६१	११२८	१५८९	
१२.	चाटेलाव	४६६	४६१	१३२८	१७८९	
१३.	डरी	२०	२८५४	४०३६	५८९०	
१४.	दयालपुरा	१५७	१६०८	३१६०	४७३८	
१५.	डीगाई	१०७	१७७९	६४२	२४२१	
१६.	धरमधारी	२५	४५३	१५८४	२०३७	
१७.	गिरादड़ा हिस्सा जागीर	२९५	५६५	२१५२	२७१७	
१८.	गुढा एन्दला	८२५	३३१८	६०६९	९३८७	
१९,	गुढा नारखां	३१०	४०९	१४९४	१९०३	
२०.	गुरडाई	१५९	९७७	४३८४	५३६१	
२१.	जंवडीया	६६	१२२५	१५५०	२७७५	
२२.	जूनी एन्दाला	१२२४	४६८	—	४६८	

१	२	३	४	५	६	७
२३.	कान्दड़ा	४०	१०६४	३३३७	४४०१	
२४.	खेरवा	२९१६	४८४५	६००४	१०८४९	
२५.	खेतावास	२१५	३७९	२३३०	२७०९	
२६.	कुरणा गिरवर	३४८५	२७३६	८४०६	११९४२	
२७.	लाम्बिया	१२०१	१४९८	२२८१	३७७९	
२८.	मडली खुर्द	९११	८८९	२९२१	३८१०	
२९.	पाडासला खुर्द	४६२	५९८	४०४	१००२	
३०	पुनाथता	९४२	३९७	१६९९	२०९६	
३१	पेणावा	६४७	५६१	११५६	१७१७	
३२.	रालणा	६०	२४४	६	२५०	
३३.	राणा	६०३	१७८७	२२२४	४०११	
३४.	रावलवास	७२२	६२८	५	६४३	
३५.	रूपावास	७२८	२२६०	३४५३	५७१३	
३६.	साकदड़ा	८७१	६२७	१३०१	१९२८	
३७.	साथनी	६४०	३७८	१३३९	१७१७	
३८.	सोनाई माजी	५७२	१५७६	२९४१	४५१७	
३९.	सुन्देलाव	५६	६५५	१२१३	१८६८	
४०.	टेवाली कलां	२७१	८२५	४११	१२३६	
४१.	टेवाली खुर्द	५२१	८०८	१२५६	२०६४	
४२.	वायद	१५	९६०	१७८८	२७४८	
४३.	आटल	१८८	२७४	१६५०	४३९	
४४,	अरटीया	४४५	२४६७	६१०	३०७७	
४५.	भरीयासनी	१०४५	२२१	४२४	६४५	
४६.	विन्जा	३८	९६४	३९२९	४८९३	
४७.	सेन्डा	३४४	१७६०	४१२८	५८८८	
४८.	दानावासनी चारणा	१२२	४०८	६	४१४	
४९.	दिवाणदी	४७०	११३१	३०२२	४१५३	
५०.	दूदली	५७५	४३३	५६४८	६०८१	

Page No.112

१	२	३	४	५	६	७
५१.	दूंढली	२५३	२२२	४०८	६३०	
५२.	डूंगरपुर	४४५	६६१	२६५७	३३४८	
५३.	धोलेरीया जागीर	५३६	४२६	२११७	२५४३	
५४.	गढवाड़ा	६६५	११४३	१०४७	२१८०	
५५.	हीरावास	२५६	नदारद			
५६.	गिरवलिया	७१२	३७०	१३१४	१६८४	
५७.	जैंतपुरा	२७४७	१३६३	४७४६	६१४२	
५८.	क्लाली	११०२	६३२	२४१३	३३४५	
५९.	खान्डी	१३६	६५४	२०४४	२६६८	
६०.	लालकी	३२३	१३५५	१४२३	२७८१	
६१.	मालवा	१४०	३११	१६४६	१६६०	
६२.	मान्डवास	२६८३	२०६३	४०२६	६११६	
६३.	मगला	२५०	४४३	७०६	११४६	
६४.	मोरीया	३५१	३११	६६४	१३०५	
६५.	निम्बली ब्राह्मणान	६३७	१८८१	३२२४	५१०५	
६६.	निम्बली पटेलान	१६७	८६८	२४२६	३२६४	
६७.	पाती	५५८	६१६	३२२४	३८४२	
६८.	फैकारिया	६३	३६५	१३४६	१७११	
६९.	रोहीट	१२२४	१३१४	६८३१	८१४५	
७०.	सांजी	१२६	३६५	११६५	१५६०	
७१.	सावलता कलां	२०४	१४३६	७४४	२१८०	
७२.	सावलता खुर्द	४१८	६०६	५५७	११६३	
७३.	सीराणा	१२५३	७६२	१७६२	२५५४	
७४.	सुकरलाई	५५६	३६०	२८३३	३१६३	
७५.	तिगरा	६०५	८६४	२३४	११२८	
७६.	चोटीला	६७०	१२६६	४५००	५७६६	
७६	योग जागीर ग्राम जिनमें गोचर भूमि है ।	५४२०३	७७४८७	४५००	५७६६	

१	२	३	४	५	६	७
	जागीर के ग्राम जिनमें गोचर भूमि नहीं है					
७७.	आकड़ावास	—	६८३	४५४	११३७	
७८.	भावनगर	—	४१८	२६४४	३०६२	
७९.	भीन्डर	—	२०५	२७३४	२९३९	
८०.	भमादडा	—	४९७	१३१५	१८१२	
८१.	डेन्डा	—	२८९२	५१५५	८०४७	
८२.	देवाण	—	३७७	२३३५	३०१२	
८३.	धीगाणा	—	५०८	७८२	१२९०	
८४.	गोदावास	—	९४९	१३९४	२३४३	
८५.	गुन्दोज	—	३०५३	९१९२	१२२४५	
८६.	गुडा बिच्छु	—	३५१	९३७	१२८८	
८७.	गुडा गिरधारी	—	नदारद			
८८.	गुडासोनीगरान	—	१७४	.	१७४	
८९-	हजावा	—	१३४	९५१	१०८५	
९०.	जानामठ	—	नदारद			
९१.	कोनलाव	—	१२५१	२२९८	३५४९	
९२.	खातीखेड़ा	—	२९८	,,	२९८	
९३.	कुन्डली चारणान	—	४२	,,	४२	
९४.	कुलथाणा	—	८३७	२१०७	२९४४	
९५.	केरेला	—	४९५	२५१९	३०१४	
९६.	मादडी	—	१३१७	२१९२	३५०९	
९७.	मनीहारी	—	१८९०	७६३०	९५२०	
९८.	निम्बला खेड़ा	—	४३३	,,	४३३	
९९.	पडासला कलां	—	५८६	१०५२	१६३८	
१००.	पादरला	—	५६२	७४२	१३०४	
१०१.	साली	—	१०३८	२४६३	३५०१	

१ २	३	४	५	६	७
१०२. साकडावास	—	४९१	,,	४९१	
१०३, सोडावास	—	९४५९	२०३१	२९९०	
१०४. ठाकुरला	—	९२३	२५०३	३४२६	
१०५. ऊमकली	—	४९५६	९९८	११९४	
१०६. ऊतमण	—	७२८	२००७	२७३५	
१०७. बसी	—	३३५	८३०	११६५	
१०८- धोलेरिया सासण	—	३६६	२२७७	२६४३	
१०९. लाम्बडा	—	४०८	१२२६	१६३४	
११०. मुरडीया	—	४७९	२१२९	२५९८	
१११. मुलीयावास	—	१३५	१५०	२८५	
११२. नेहडी	—	२२५	,,	२२५	
११३, खेडा खुर्द	—	२५०	५८५	८३५	
११४. ऊन्दरा	—	५३९	२३२५	२८६४	
३८ योग जागीर ग्राम जिनमें गोचर भूमि नहीं है।	—	२५६२४	६५६४७	९१२७१	

खालसा के ग्राम जिनमें गोचर भूमि है

११५. वाणीयावास	१६८	३८३	८९७	१२८०	
११६. मान्डाई	२६७	३८२	१५३९	१९२१	
११७. ढाबर	१५५५	११३७	२६४१	३७६८	
११८. दुदिया	४२६	७७२	५	७७७	
११९. गिरदडा	१७१	४६५	५९५	१०६०	
१२०. हेमावास	९०५	१९७३	३०६०	५०३३	
१२१. जेतपुरा	२२९	८२५	१५३४	२३५९	
१२२. मीतड़ा	१८८६	२१८९	३३६२	५५५१	
१२३. माड़पुरीया	६८९	१६८८	१९४२	३६३०	
१२४. मन्डीया	६०६	११७७	२२१४	३३९१	
१२५. मन्डलीदरजीयान	३१४	४२०	२९७५	३३९५	

१	२	३	४	५	६	७
१२६.	निम्बेड़ा	१३९	३६२	३३४	६९६	
१२७.	निम्बली	७६८	८९१	३९५९	४८५०	
१२८.	पाली	२०६५	६६५०	१०११७	१६७६७	
१२९-	रामावासीया	२४३	२८५	,,	२८५	
१३०.	साया	१११५	१३४१	३३५४	४६९५	
१३१.	सोवनीया	९६७	८२४	३०६४	३८८८	
१३२.	पचपदरीया	२८१	७८१	२०३६	२८१७	
१३३.	सीणगारी	८	६२७	९३२	१५५९	
१३४.	सोनाई लाखा	१०९३	१९८०	३९१०	५८९०	
१३५.	खुन्डावास	६९०	१२१५	३२६५	४४७५	
२१.	योग खालसा ग्राम जिनमें गोचर भूमि हैं।	१२९६५	२६३६७	५१७६०	७८१२७	

खालसा के ग्राम जिनमें गोचर भूमि नहीं है

१३६.	माम्बोलाई	—	२०७७	२८०	२३५७
१३७.	गुडाप्रतापसिंह	—	४३३	७६२	११९५
१३८.	जाड़ कान्डडा	—	नदारद	बेचीराता	
१३९.	कानावासीया	—	२०६	१८३६	२०४२
१४०.	खारडा	—	१३४०	२९९३	४३३३
१४१.	मानपुरा	—	३०९	६३९	९४८
१४२.	सदावास	—	२०१	९८५	११८६
१४३.	खुटाणी	—	११३३	२२५८	२३९१
१४४.	पुरुतारी	—	३२१		३२१
१४५.	सदरीया	—	१३०१	४३५	१७३६
१४६.	गेलावास	—	७८७	३३७७	४१६४
११	योग खालसा ग्राम जिनमें गोचर भूमि नहीं हैं		८१०८	१३५६५	२१६७३

१	२	३	४	५	३	७
	गोशवारा					
७६.	योग जागीर ग्राम जिनमें गोचर है	५४२०३	७७४८७	१६८१२८	२४६०१५	
३८.	योग जागीर ग्राम जिनमें गोचर नहीं है		२५६२४	६५६४७	९१२७१	
११४.	योग कुल जागीर	५४२०३	१०३१११	२३४१७५	३३७२८६	
२१.	योग खालसा ग्राम जिनमें गोचर है	१२९६५	२६३६७	५१७६०	७८१२७	
११.	योग खालसा ग्राम जिनमें गोचर नहीं है		८१०८	१३५६५	२१६७३	
३२.	योग कुल खालसा	१२९६५	३४४७५	६५३२५	९९८००	
१४६.	योग कुल जागीर व खालसा	६७१६८	१३७५८६	२९९५००	४३७०८६	

परिशिष्ट ६

(कृपया प्रश्न संख्या १५३ का उत्तर देखिये)

सूची आसामियान तहसील कोटपूतली कि जिनको जमीन अलॉट की गई

क्रमसंख्या	नाम व्यक्ति	नाम ग्राम	तादाद रकबा जो अलॉट हुआ
१	२	३	४
१.	श्री रामदयाल चमार	मलपुरा	१५ बी.
२.	,, भूंधा ,,	,,	,,
३.	,, कालू ,,	,,	,,
४.	,, सोरामा ,,	,,	,,
५.	,, फूला ,,	,,	,,
६.	,, उमराव ,,	,,	,,
७.	,, सुलतान ,,	,,	,,
८.	,, बोदू ,,	,,	,,
९.	,, मूला ,,	,,	,,
१०.	,, गोविन्दा ,,	,,	,,
११.	,, सूखा ,,	,,	,,
१२,	,, कालू ,,	,,	,,
१३.	,, छाजू धानका	,,	१० बी.
१४.	,, रामकवार ,,	,,	,,
१५.	,, मोना ,,	,,	,,
१६.	,, सोनारायण चमार	केशवाना राजपूत	१५/३
१७.	,, जैला ,,	,,	,,
१८	,, बांक्या ,,	,,	,,
१९.	,, चंदर ,,	,,	,,
२०.	,, प्रताप ,,	,,	,,
२१.	,, भूला ,,	,,	,,
२२.	,, घीस्या ,,	,,	१५/४
२३.	,, भंवरया ,,	,,	,,
२४.	,, मक्खन ,,	,,	,,

Page No.118

१	२	३	४
२५.	श्री रामजीलाल चमार	केशवाना राजपूत	१५/४
२६.	,, गणेश ,,	,,	,,
२७.	,, मातादीन ,,	,,	,,
२८.	,, कालू ,,	,,	,,
२९.	,, साधू ,,	,,	,,
३०.	,, गवल ,,	,,	,,
३१.	,, चूना ,,	,,	,,
३२.	,, मज्या ,,	,,	,,
३३.	,, मन्ना ,,	,,	,,
३४.	,, रादू ,,	,,	,,
३५.	,, जेल्या ,,	,,	,,
३६.	,, चन्द्रा ,,	,,	,,
३७.	,, कुरडा ,,	,,	१५/३
३८.	,, मूल्या ,,	,,	,,
३९.	,, लिला ,,	,,	,,
४०.	,, ग्रीसा भंगी	,,	,,
४१.	,, मक्खन ,,	,,	,,
४२.	,, दीना ,,	,,	,,
४३	,, बनवारी ब्राह्मण	,,	१०
४४.	,, श्योनारायण श्रीराम	,,	२०
४५.	,, श्यानारायण रावत	,,	६
४६.	,, सोहन भंगी	कोट	२
४७.	,, सूरज ,,	,,	,,
४८.	,, रामजीलाल,,	,,	,,
४९.	,, दुलीचन्द ,,	,,	,,
५०.	,, परभाती ,,	,,	,,
५१.	,, सीलूराम ,,	,,	,,
५२.	,, बोदू ,,	,,	,

१	२	३	४
५३.	मुसम्मात अनारी भंगी	कोट	२ बी०
५४.	श्री चन्दरभान ,,	,,	,,
५५.	,, बिहारी ,,	,,	,,
५६.	,, दुरगा ,,	,,	,,
५७.	,, नाथू ,,	,,	,,
५८.	,, लीला ,,	,,	,,
५९.	,, भुवारी ,,	,,	,,
६०.	,, श्रीलाल ,,	,,	,,
६१.	,, रामप्रसाद ,,	,,	,,
६२.	,, दुरगा ,,	,,	,,
६३.	,, बनवारी ,,	,,	,,
६४.	,, लाला ,,	,,	,,
६५.	,, मन्ना ,,	,,	,,
६६.	,, परसादी ,,	,,	,,
६७,	,, धनसिंह ,,	,,	,,
६८.	,, मसदी ,,	,,	,,
६९.	,, जुलालिया ,,	,,	,,
७०.	,, रघुवीर ,,	,,	,,
७१.	,, जगन ,,	,,	,,
७२.	,, लखिमा ,,	,,	,,
७३.	,, गुरखा ,,	,,	,,
७४.	,, छाजू ,,	,,	,,
७५.	,, परसादी ,,	,,	,,
७६.	,, अमीचन्द ,,	,,	,,
७७.	,, वंशी ,,	,,	,,
७८.	,, जौहरी ,,	,,	,,
७९.	,, भोला ,,	,,	,,
८०.	,, नत्थूराम ,,	,,	,,

१	२		३	४
८१.	श्री लीला	भंगी	कोट	२ बी
८२.	,, अवतार	,,	,,	,,
८३.	,, रूडा	,,	,,	,,
८४.	,, बाबूलाल	,,	,,	,,
८५.	,, कीनू	,,	,,	,,
८६.	,, पेमा	चमार	,,	३
८७.	,, भूरा	,,	,,	,,
८८.	,, रिछपाल	,,	,,	,,
८९.	,, सोहन	,,	,,	,,
९०,	,, नारायण	,,	,,	,,
९१.	,, बातलू	,,	,,	,,
९२.	,, स्योनाथ	,,	,,	,,
९३.	,, छोगा	,,	,,	,,
९४.	,, हडसी	,,	,,	,,
९५.	,, सुगनचन्द	,,	,,	,,
९६.	,, मातादीन	,,	,,	,,
९७.	,, सुलतान	,,	,,	,,
९८.	,, ग्यारसी	,,	,,	३/२
९९.	,, जीराम	,,	,,	३
१००,	,, रामजीलाल	,,	,,	,,
१०१.	,, रामचन्द्र	,,	,,	,,
१०२.	,, सोहन	,,	,,	३/१२
१०३.	,, प्रकाशचन्द्र गुप्ता		,,	६/६
१०४.	१० हरिजनान देवता ग्यारसा चौथू देवता			६०बी. मिसल अपील में
१०५.	,, गोपाल गंगासहाय हरिजनान पांच सा० कोट			४८ बी० १४ वि०
१०६.	,, रामचन्द्र	ब्राह्मण	खरखरी	१०/१४
१०७.	,, मूलचन्द	,,	,,	४/१
१०८.	,, गेंदीदेबी		मोहनपुरा	४/१०

१	२	३	४
१०६.	श्री लोकदासकुमार	बासडी	१०
११०.	,, ग्यारसी थावरमल	थारदड़ा	७४/१४ अलॉटमेंट-रेवेन्यु बोर्ड से केन्सिल हो गया।
१११.	,, चन्दर कुम्हार	बासडी	१०
११२.	,, पीरू नायक	,,	३/१६
११३.	,, बूधा माली	,,	१०
११४.	,, प्रहलाद कन्हैयालाल यादव	पाथरेडी	३०
११५.	,, लादू अहीर	,,	१३
११६.	,, सुल्तान मीना	पुरवास	१०
११७.	,, स्योनारायण चमार	बड़ावास	११/१०
११८.	,, कन्हैयालाल यादव	पाथरेडी	५
११६.	,, प्रहलादचन्द यादव	,,	,,
१२०.	,, भूरा ओंकार हरिजनान	नागडीवास	१६
१२१.	,, भौंरा	,,	८
१२२.	,, केसर	,,	१०/१
१२३.	,, ग्यारसी बावरिया	टापरी	४
१२४.	,, सोजी ,,	,,	३
१२५.	,, हरनाथ गूजर	,,	४
१२६.	,, गुल्या धानका	,,	६
१२७.	,, मामराज चमार	,,	५
१२८.	,, सुरजा चमार	,,	६
१२६.	,, बोदन गूजर	,,	६
१३०.	,, थावरिया रामनाथ	,,	३
१३१.	,, भगवाना गूजर	,,	५
१३२.	,, फूला ,,	,,	६
१३३.	,, रोडा ,,	,,	६
१३४.	,, तोतिया बावरिया	,,	२
१३५.	,, घनसी गूजर	,,	४

१	२	३	४
१३६.	श्री प्रभाती गूजर	टापरी	६
१३७.	,, हजारी चमार	मालाहेडा	१०
१३८.	,, देवीसहाय	,,	८
१३९.	,, भूरा बलाई	,,	८
१४०.	,, परभाती चमार	,,	८
१४१.	,, नाथू चमार	,,	८
१४२.	,, मूला बलाई	,,	६
१४३.	,, कालू चमार	,,	१२
१४४.	,, किशना चमार	,,	१५
१४५.	,, गोपी बलाई	,,	५
१४६.	,, प्रहलाद गूजर	,,	८/८
१४७.	,, सुरजा गूजर	,,	१२
१४८	,, गोपी चमार	,,	८
१४९.	,, नारायण चमार	,,	१०
१५०.	,, हरलाल बलाई	,,	१२
१५१.	,, बूधा चमार	,,	६
१५२.	,, गनेश ,,	,,	१०
१५३.	,, जयनारायन चमार	,,	८
१५४.	,, नन्दा ,,	,,	५
१५५.	,, मूलाराम बलाई	,,	१०
१५६.	,, सोहन	,,	८
१५७.	,, फूला चमार	,,	१०
१५८.	,, गोपी ,,	,,	८
१५९.	,, स्योसहाय चमार	,,	७
१६०.	,, नेता ,,	बासडी	१०/५
१६१.	,, स्योसहाय ,,	,,	,,
१६२.	,, मोहन ,,	,,	,,
१६३.	,, चौसा रामदेव मीना	पुरवास	१५

१	२	३	४
१६४.	श्री कानू भगवाना मीना	आसडी	१२/१५
१६५.	,, झूंथा बावरिया	आनचकी	६/१०
१६६.	,, चंदर ,,	,,	८/२
१६७.	,, ग्यारसा ,,	,,	६/१०
१६८.	,, स्योनारायण बावरिया	,,	८
१६९.	,, लादू चमार	मालाहेडा	५
१७०.	,, दुरगाप्रसाद शर्मा	चतुर्भुज	७
१७१.	,, मोतीलाल मोची कोट	,,	७
१७२.	,, पूरनमल ब्राह्मण कोट	,,	७
१७३.	,, प्रभुकुमार ,,	,,	७
१७४.	,, कन्हैयाकुमार ,,	,,	७
१७५.	,, लीलाकुमार ,,	,,	७
१७६.	,, मातादीन ,,	,,	७
१७७.	,, राधा माली कोट	,,	७
१७८.	,, दयाला खटीक	गोनेडा	८
१७९.	,, प्रह्लाद ,,	,,	५
१८०.	,, सन्तू ,,	,,	५
१८१.	,, परभाती ,,	,,	१०
१८२.	,, मामला ,,	,,	१०
१८३.	,, पूरन ,,	,,	१०
१८४.	,, बुधा ,,	,,	५
१८५.	,, परभाती मीना	,,	५
१८६.	,, मोहन ,,	,,	५
१८७.	,, सरसू तेली	,,	१७
१८८.	,, केहरी मीना	,,	१०
१८९.	,, हरनाथ कुमार	,,	१०
१९०.	,, चुन्या खटीक	,,	१०
१९१.	,, सुरजन चमार	,,	४

१	२	३	४
१९२.	श्री बोदिया खटीक	गोनेडा	१०
१९३	,, सुगना खटीक	,,	५
१९४.	,, हीरा खटीक	,,	५
१९५.	,, सुखा चमार	,,	१०
१९६.	,, दीना मीना	,,	८
१९७.	,, रिछपाल खटीक	,,	१०
१९८.	,, स्योकरण गूजर	,,	१०
१९९.	,, रूडा गूजर	,,	५
२००.	,, बिहारी खटीक	,,	६/१०
२०१.	,, छोट्या ,,	,,	,,
२०२.	,, प्रहलादसिंह जोगी	सांस	५
२०३.	,, राधेश्याम	,,	५
२०४.	,, सागरनाथ जोगी जोधपुरा	,,	५
२०५.	,, रामलाल माली कोट	प्रापरेडी	११/५
२०६.	,, सुल्तान गूजर	कल्याणपुरा खुर्द	१०
२०७.	,, बीरबलसिंह गूजर	,,	१०
२०८.	,, रामचन्द्र गूजर	,,	१०
२०९.	,, गाडानाथ जोगी	,,	१०
२१०.	,, महादेवी जोगी	,,	१०
२११,	,, वंशीनाथ जोगी	,,	१०
२१२.	, भिडदानाथ जोगी	,,	५
२१३.	,, जयरामा	,,	५
२१४.	,, दयाराम गूजर	,,	१०

१	२	३	४

सूची आसामियान जिन्हें जमीन अस्थाई काश्त वास्ते बताई गई

१.	श्री घीसाराम धानका राजनोता	दादूका	१५ बी० काश्त नहीं हुई
२.	,, बद्रीप्रसाद ब्राह्मण कोट	गोपीपुरा	१० बी० ,, ,,
३.	,, हीरा जोधा गूजरान	मीरापुर बेरी	१०
४.	,, मदनलाल चौधरी कोट	अमाई	६/२ काश्त नहीं हुई
५.	,, जयराम मीना जगदीशपुरा	बालड़ो	१०
६.	,, सूंडा चमार	,,	१०
७.	,, सुरबा मीणा	,,	१०
८.	,, सोहन गूजर कोट	,,	७

सूची उन व्यक्तियों की जिनको खुदकाश्त में डी० सी० जागीर जयपुर से जमीन दी गई

१.	श्री भगवानसहाय पटवारी	कोटपुतली गांव बूचाहेडा	१६ बी० १८ बिस्वा
२.	,, घनश्याम जोशी कोट	,, ,,	२०
३.	,, रघुवरदयाल चौधरी कोट	बड़ावास	१५
४.	,, जगदीशशरण चौधरी कोट	सांस	५
५.	,, सुगनचन्द चौधरी कोट	बडावास	५

सूची उन व्यक्तियों की जिनको राजस्थान सरकार से जमीन दी गई

१.	श्री मक्खन खटीक	कोटपुतली गाँव बूचाहेडा	१५ बी०

परिशिष्ट ७

(कृपया प्रश्न संख्या १५५ का उत्तर देखिये)

इस्व जेल कर्मचारियान ठिकाना खेतड़ी से तहसील कोटपुतली के राजस्थान सर्विस में आये

क्रमसंख्या	नाम कर्मचारी	पद	तारीख नियुक्ति	राजस्थान में आने की तारीख
१.	श्री रामनारायण	आ० कानूनगो	२२–३–२६	१६–५–५४
२.	श्री रामस्वरूपसिंह	पटवारी	६–११–३०	,,
३.	श्री कन्हैयालाल	,,	६–११–३७	,,
४.	श्री उमरावप्रसाद	,,	१–३–३७	,,
५.	श्री भंवरलाल	,,	२५–२–३६	,,
६.	श्री नत्थूलाल	,,	१–८–४०	,,
७.	श्री मातादीन	,,	२६–६–४६	,,
८.	श्री शहजादसिंह	,,	७–२–४३	,,
९.	श्री जयमलसिंह	,,	१६–७–४८	,,
१०.	श्री हीरालाल	,,	१–४–५१	,,
११.	श्री पन्नालाल	,,	२–४–५०	,,
१२.	श्री हरदवारीलाल	,,	१–६–४६	,,
१३.	श्री विष्णुदत्त	,,	८–२–४६	,,

परिशिष्ट ८

(कृपया प्रश्न संख्या ११५ का उत्तर देखिए)

LIST OF NAIB-TEHSILDARS WHO HAVE BEEN PROMOTED AS TEHSILDARS

1. Shri Budhkaran Ujjawal.
2. ,, Moolraj Dhariwal.
3. ,, Shri Nath Thanvi.
4. ,, Uma Charan Gaur.
5. ,, Banshidhar.
6. ,, Brij Behari Singh.
7. ,, Rama Nand.
8. ,, Deep Singh.
9. ,, Motilal Bhardwaj.
10. ,, Shri Narayan.
11. ,, Bhom Singh.
12. ,, Bhot Ram.
13. ,, Kalu Ram.
14. ,, Dashrath Singh.
15. ,, Phoolchand Mahalawat.
16. ,, Purendra Singh.
17. ,, Jagdish Chandra Mangal.
18. ,, Kundanlal Gupta.
19. ,, A. H. Khan.
20. ,, Bheru Sing.
21. ,, Kishan Chand Gupta.
22. ,, Mangal Singh, Offg. Tehsildar (Bikaner Div.)
23. ,, Kan Singh (Date of birth 21-3-1916)
24. ,, Vishvendra Pal Singh.
25. ,, Gurucharan Singh.
26. ,, Jagat Narayan Shrivastava.
27. ,, Deoki Nandan.
28. ,, Manaklal Kakar.
29. ,, Beharilal.
30. ,, Onkar Prasad.
31. ,, Prafulla Chandra.
32. ,, Sahas Karen Arha.
33. ,, Gopal Singh.
34. ,, Laxmi Raj Mathur.
35. ,, Chandi Dan Chargan.

36. „ Amarsingh B. A., Settlement Deptt.
37. „ Narayan Singh Va d.
38. „ Pyarelal.
39. „ Satya Pal Agarwal.
40. „ Jagan Nath Chandei.
41. „ Lekhraj Sharma.
42. „ Sontok Chand Jain.
43. „ Kani Ram Thanvi.
44. „ Shyamsingh, B. A. LL. B., (Date of birth 9-4-1926)
45. „ Rajaram Bhargava.
46. „ Shanti Swaroop.
47. „ Anand Narayan Bahadur.
48. „ Narendra Mal Mehta.
49. „ Kishore Saran Shrivastava.
50. „ Bhagwatilal Napalia.
51. „ Kansingh Deora, B. A. (Date of birth 1-4-1920)
52. „ Jeth Mal Vyas.
53. „ Ramesh Chandra Sharma M A.
54. „ Mangalsingh Bhardwaj, A. S. O., Settlement Deptt.

Page No.129

शुद्धि-पत्र

(कार्य-विवरण दिनांक २८ अक्टूबर, १९५८)

स्तम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
५७२	१	(डॉ बहादुरसिंह)	(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)
५७४	१	(श्री दयाकृष्ण विजय)	(श्री भीखाभाई)
५९७	७	जो कंट्रेवर्सी शुरू	जो कंट्रोवर्सी शुरू
६०४	अन्तिम से ८	in anticipations	in anticipation
६०५	२०	की केंजर जाति	की कंजर जाति
६१३	४	कि प्रदेश की	कि प्रवेश की
६१८	अन्तिम	please e:	please state
६१९	७	lst	list
६२३	अन्तिम	list of such	list of such......
६२६	शीर्ष	भरतपुर जिले में	तारांकित प्रश्नोत्तर
६२९	१	बाड़: ग्रस्त	बाढ़ ग्रस्त
६३६-६४१	शीर्ष	पशु रोग विधेयक	अकाल सम्बन्धी वक्तव्य
६४२	८	स्पेडिफाइड रास्ते से स्पेडिफाइड	स्पेसिफाइड रास्ते से स्पेसिफाइड
६६९	अन्तिम से ८	श्री प० के० चौधरी	श्री पी० के० चौधरी
६६९	,, ७	my amendmtnt	my amendment
६७०	शीर्ष	पशु-रोग	पशु-रोग
६८५	२	च्बध	क्षुब्ध
६८७	१	वइ उपलब्ध नहीं है	वह उपलब्ध नहीं है
६८८	१	(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)	(श्री मूलचन्द डागा)
६८९	२५	सांक्रामक रोगों के	संक्रामक रोगों के
६९०	१	(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)	(श्री मूलचन्द डागा)
७१०	शीर्ष	पशु-रोए विधेयक	पशु-रोग विधेयक
७१५	१३	eries	series
७१६	५	Caon	Can
७१८	१६	सूबेदारसिंह	श्री सूबेदारसिंह
७२८	अन्तिम से ४	Govenment	Government
७४१	१७	Menber	Member
७४४	शीर्ष	-२७ अक्टूबर, ५८-	-२८ अक्टूबर, ५८-

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
७४६	२	गय	गाय
७४६	२४	द्वार	द्वारा
७५६	अन्तिम से ३	Inspetor	Inspector
७६४	६	रिकॉग्नाइड	रिकॉग्नाइज्ड
७७३	अन्तिम से २	भौपसिंह	भौमसिंह
७७४	७	श्री रतपुर	श्री भरतपुर
७८६	अन्तिम से ६	श्री भामराज चमार	श्री भीमराज चमार